# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४ ] तृतीय विधान सभा का चतुर्थ सत्र, १९६३ का २३वां दिवस [ संख्या १७



मंगलवार, १० सितम्बर १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ९-३१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, सिंचाई, विधि, शक्ति, समाज कल्याण, गृह, श्रम, निर्वाचन, सार्वजनिक निर्माण, जल-दाय, आयुर्वेदिक, पुनर्संस्थापन–विभाग ]

### आदिवासियों के जंगलात के अधिकार

५९०. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या वन मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बेरडी, जिला पाली, तहसील बाली के रहने वाले आदिवासियों ने जंगलात के महकमे द्वारा उन पर होने वाले मनमाने अत्याचार के खिलाफ माननीय वन मन्त्री जी को ता० ३०-५-६३ को एक आवेदन-पत्र भेजा था ?

(२) क्या उस आवेदन-पत्र में आदि-



वासियों के जंगलात महकमे द्वारा उनके गाय, बकरी नहीं चरने देने की तथा जमीन से गैर कानूनी रूप से बेदखल करने की, जानवरों को चरते हुए पकड़ने की तथा आदिवासियों पर मनमाना जुर्माना करके रसीद न देने की शिकायत की थी ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से आदिवासियों को जो कानूनी अधिकार मिला हुआ है उसको जबरदस्ती छीना जा रहा है ?

(४) क्या आदिवासियों ने आवेदन-पत्र में यह भी लिखा था कि देशी रियासत के राज्य में उनको जो कानूनी अधिकार मिला हुआ था आज स्वतन्त्र भारत में उन अधिकारों को छीना जा रहा है और जंगलात महकमे द्वारा उनको सजा देने की धमकी दी जा रही है ?

(५) आदिवासियों को सरकार की तरफ से जंगलात में क्या क्या अधिकार मिला हुआ है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरन्जननाथ आचार्य): (१) जी हां। ग्रामवासियों की तरफ से एक आरोप-पत्र प्राप्त हुआ था।

(२) जी हां।

Page No 2



( निरन्जननाथ आचार्य )

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(५) जो पैदावार जंगल हक़दारान को मुफ्त या रियायती कीमत पर दी जाती है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

**श्री कुमारानन्द:** जो पत्र आपको दिया था, जिसके लिए आपने कहा था, 'जी हां'; आप कृपा करके बताइये कि क्या क्या लिखा हुआ था उसके अन्दर ?

**श्री निरन्जनाथ आचार्य:** माननीय वन मंत्री महोदय को जो पत्र दिया था उसमें आपने कहा था, वे शिकायतें सब थीं पत्र में, लेकिन अधिकारों को छीना गया, यह बात सत्य नहीं है; और जो अधिकार उनको दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सारे अधिकारों का विश्लेषण सम्यक् रूप से और विशद् रूप से किया गया है।

**श्री कुमारानन्द:** क्या यह सही है कि फोरेस्ट गार्ड उन् लोगों पर जबरदस्ती जुर्माना करते हैं और जुर्माना वसूल करते हैं ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य:** ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य यह बतलायें कि फोरेस्ट गार्ड के प्रति कुछ इस तरह की शिकायतें हैं, उनके विरुद्ध तो उस जानकारी पर कदम लेने में हम हिचकिचायेंगे नहीं।

**श्री कुमारानन्द:** उन्होंने यह लिखा था कि जैसी रियासतों के समय में सहूलियत मिलती थी वे सहूलियतें छीनी गई हैं, क्या यह बात सच है ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य:** जो रियासतों के वक्त में लाभ उनको प्राप्त था वही लाभ अब भी प्राप्त है।

**श्री भैरोंसिंह:** ( किशनपोल, जयपुर ): जिन अत्याचारों के बारे में जो लिखित शिकायतें आई है और जिनको सही कहा है उस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया है ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य:** सही नहीं माना है। जिन अत्याचारों का जिक्र इसमें किया गया है हमने यह कहा है कि ठीक नहीं है यह बात।

**श्री भैरो सिंह:** क्या उन शिकायतों की जांच करवाई गई थी ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य:** प्राइमा फेसी प्रश्न पैदा नहीं होता था। हमारे पास जो रियायतों का नक्शा है, वे बराबर दी जा रही हैं रियायतें। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी।

**श्री भैरोंसिंह:** जुर्म और अत्याचार जो कि यहां हो रहे हैं और आपने कहा कि सही नहीं माने हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं कि जुर्म और अत्याचार नहीं हुए।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य:** शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। जिनको रियायतें मिली हुई हैं वे बड़े प्रसन्न हैं।

**श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ): भूतपूर्व रियासतों में उनको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए थे ?

**प्रश्न संख्या ५६१।**

**श्री अध्यक्ष:** श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

**( अनुपस्थित )**

(श्री अध्यक्ष)

श्री जुझारसिंह।

**मरम्मत**

५६२०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( १ ) जिला कोटा के पंचायत समिति क्षेत्र सांगोद में स्टेट के विलीनीकरण के पहले कितने 'चैक-डेम्स' भूतपूर्व कोटा स्टेट और भूत-पूर्व जागीरदारों द्वारा बनाये गये थे?

( २ ) क्या यह सही है कि ग्राम डाबडी ( Dabri ) में डाबर नला पर ग्राम विनोद और नागाजी का बाग में चेक-डेम्स पिछले वर्षों में उपेक्षा के कारण बह गये और इसके परिणाम-स्वरूप आस-पास के गांवों में सोइल इरोज़न हो गया?

( ३ ) उपरोक्त 'चैक-डेम्स' सी तथा इस क्षेत्र में इसी प्रकार के अन्य कार्यों की मरम्मत के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, सिंचाई ( श्री दिनेशराय डांगी ) : यह प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह ( किशनपोल, जयपुर ) : यह कब जानकारी मिली कि सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने अध्यक्ष महोदय, बताया था कि सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब आया आपकी जानकारी में जो यह आपने कहा वह?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले सत्र में भी पूछा गया था, उस बार जो जानकारी आई थी इसमें कि कोटा राज्य के अन्दर महकमा बान्ध हुआ था उसका सोइल कन्जर्वेशन का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्दर था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस प्रकार की प्रवृत्ति का इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है और न उस प्रकार का कोई रेकॉर्ड ही मिलता है। हमने पहले भी लिखा है कि इसका हमारे विभाग से सम्बन्ध नहीं है। एग्रीकल्चर विभाग से सोइल कन्जर्वेशन का सम्बन्ध होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सोइल कन्जर्वेशन का कार्य फोरेस्ट, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब नहीं कर रहे हैं आजकल?

श्री भीखाभाई : सिंचाई विभाग से इसका ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय को समय के पहले उसको भेजना था। यह प्रश्न कई महीनों से चल रहा है, आखिर किसी न किसी विभाग से इसका सम्बन्ध है। हर एक मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है।

दूसरी बात यह है कि केवल बांध आपके चार्ज में है, इससे आपके विभाग का काम तमाम नहीं बनता है। कोई भी ड्रेनेज या सिंचाई का काम होगा वह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना पहले दी जा चुकी है सेक्रेटेरियेट लेवल पर। मैंने एक पत्र देखा था हमारे यहां के जो टेक्निकल असिस्टेन्ट हैं उनके पास। उस पत्रसे यह मालूम पड़ता है कि उसका जवाब

( श्री भीखाभाई )

दे चुके हैं। मैं अर्ज नहीं कर सकता हूँ डेफिनिटली कि असेम्बली सेक्रेटेरियेट में आया कि नहीं। यह जो पत्र था वह २९ जनवरी, १९६३ का है। मैं यह निवेदन कर दूं, The Question is concerned with the Soil conservation which is being dealt with by the Agriculture Deptt.

Hence it is requested that the reply may be obtained from the Agriculture Department.

श्री भैरोंसिंह : आप पहले से ही फैसला कर सकते थे कि कौन से डिपार्टमेंट से इसका सम्बन्ध है। हाउस में आने की क्या बात थी ?

श्री अध्यक्ष : बजट सेशन से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरी दफा केरी फॉर्वर्ड हो रहा है।

प्रश्न संख्या ५९३

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

( अनुपस्थित )

## कुशलगढ़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार

५९४. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कुशलगढ़ सब डिविज़न के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार को तोड़ कर बांसवाड़ा में मिला दिया गया है? यदि हां, तो मजिस्ट्रेट कितने दिन कुशलगढ़ में कार्य करेंगे और कितने दिन बांसवाड़ा में ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में कुशलगढ़ सबसे अधिक पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र के शत प्रतिशत लोग गरीब हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों को अपने मुकदमे दायर करने के लिए बांसवाड़ा जाना पड़ता है और अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण समय पर मुकदमा दायर न कर सकने के कारण न्याय पाने से वंचित रह सकते हैं ?

(४) क्या कुशलगढ़ के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जनता को बांसवाड़ा जाने के लिए ७०–७५ मील का रास्ता तय करना पड़ता है और इस प्रकार उन्हें सस्ता न्याय नहीं मिल सकता ?

(५) क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को कुशलगढ़ में पूरे समय तक कार्य करने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विधि ( श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं, कुशलगढ़ के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार को बांसवाड़ा में मिलाया नहीं गया है, बल्कि अधिकारियों की कमी के कारण मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा को ही उनकी सेवा के अतिरिक्त कुशलगढ़ के कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। वे अपनी कोर्ट महीने में एक सप्ताह कुशलगढ़ में रखते हैं।

(२) यह नहीं कहा जा सकता कि कुशलगढ़ सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तथा वहां के निवासी शत प्रतिशत गरीब हैं, क्योंकि इसकी इस स्थिति का ज्ञान इस विभाग को नहीं। वैसे कुशलगढ़ आदिवासी क्षेत्र है तथा वहां के निवासी गरीब हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

(३) जी नहीं, कुशलगढ़ क्षेत्र के मुकदमे कुशलगढ़ कोर्ट में ही दायर किये जाते हैं। अलवर्त्ती मुन्सिफ मजिस्ट्रेट द्वारा कुशलगढ़ से सम्बन्धित आवश्यक कार्य, यदि कोई हो, का निपटारा बांसवाड़ा में किया जाता है। जब कि उक्त अधिकारी बांसवाड़ा में होते हैं।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां, जैसे ही अधिकारी उपलब्ध होंगे नियुक्ति कर दी जायगी।

**श्री हीराभाई** : आपने जो पहले प्रश्न में कहा कि 'जी नहीं', तो वह क्षेत्र तोड़ा गया या नहीं?

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने कहा कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट वहां से कुशलगढ़ से तोड़ा गया नहीं है, बल्कि क्योंकि हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कमी है इसलिए कुशलगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जो बांसवाड़ा में है उनको दे दिया गया है, इसलिए वे एक महीने में एक हफ्ते के लिए जाते हैं और वहां पर केसेज को डिसाइड करते हैं। अगर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह का मामला हो तो बांसवाड़े जाकर कोई व्यक्ति ला सकता है।

यह इसलिए किया गया कि कुशलगढ़ में मुकदमे कम थे और हमारे पास मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की कमी थी।

**श्री हीराभाई** : आपके पास मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की कमी है, लेकिन वहां के हजारों लोगों को नुकसान होता है। उनके पास पैसा नहीं है वहां पर जाने-आने के लिए, इसलिए वांसवाड़ा नहीं जाकर गैर हाजिर रहना पड़ता है। फिर वे गरीब टाइम पर अपील भी नहीं कर सकते, उनके लिए यह परिस्थिति सामने आती है। बाँसवाड़ा वहाँ से ६०–७० मील की दूरी पर है। आप कहते हैं कि वहां पर गरीबी की स्थिति नहीं है। मंत्री महोदय सोच-विचार कर जवाब दें तो उचित होगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीराभाई ने कानूनी मसले की बात कही है।

**श्री परसराम मदेरणा** : कोर्ट कुशलगढ़ में होता है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट का स्टाफ वहां मौजूद है। प्रश्न यह रहता है कि अधिकारी उपलब्ध होंगे तो जल्दी ही प्रबन्ध किया जायगा। मैंने जो आश्वासन दिया है उससे संतोष होना चाहिये।

**श्री हीराभाई** : कब होगा? १० साल बाद होगा तो क्या मतलब निकलेगा? मैं आश्वासन चाहता हूं कि कब हो जायगा?

**श्री अध्यक्ष** : बिरदाराम।

## टोडा बांध की मरम्मत

**५६५. श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जालोर से २ मील की दूरी पर टोडा नामक एक पुराना बांध है जिससे आस-पास के बहुत बड़े भू-भाग की सिंचाई होती थी?

(२) क्या यह सही है कि अब यह बांध टूट कर बेकार हो गया है? यदि हां, तो क्या

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

सरकार इस टूटे-फूटे बांध की मरम्मत करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां। पर इससे सिर्फ मामूली सिंचाई होती थी।

(२) यह सही है, इसकी मरम्मत के लिए ३००० रूपये अक्टूबर, ६१ में मंजूर किये थे लेकिन जनता से श्रमदान नहीं मिलने से अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

## ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतिकरण

**५६६. श्री रविशंकर याज्ञनिक** (पिंडवारा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में विद्युतिकरण का क्या प्रोग्राम है ?

(२) ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार किस आधार पर पहले बिजली दे रही है और भविष्य में देती रहेगी ?

(३) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के सरूपगंज, रोहिड़ा दोनों कस्बों की आबादी क्रमश: २००० और ५००० है, वहां इन्डस्ट्री की भी गुन्जाइश है और वहां खेती का लोड भी अधिक है, फिर भी अभी तक वहां बिजली उपलब्ध नहीं की गई है ?

(४) क्या सिरोही जिले के सरूपगंज, रोहिड़ा गांवों में बिजली लगाने की सरकार के पास कोई योजना है ?

**उप-मन्त्री, विद्युत** (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३०३ स्थानों को विद्युतिकरण करने का प्रोग्राम है।

(२) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान तथा भविष्य में बिजली देने का निम्न आधार है:—

१. जन संख्या (२) लोड क्षमता (३) मौजूदा पॉवर स्टेशन, सब स्टेशन, एवं ट्रान्समीशन लाइन से समीपता।

४. आर्थिक लाभ।

५. अर्थ एवं सामग्री की प्राप्ति।

(३) जी नहीं। १९६१ की जनगणना के अनुसार रोहिड़ा व सरूपगंज की प्रत्येक की जनसंख्या ५००० से कम है और ये प्रश्न २ (१) के उत्तर में दी गई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते।

(४) जी नहीं।

## गृह-निर्माण तथा कोलोनीज़ स्थापित करने हेतु सहायता

**५६७. श्री केसरीसिंह** (पाली) : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state:—

Whether it is a fact that while funds are provided by the Social Welfare Department to assist the people of the Scheduled Castes and Tribes in the Panchayat Samitis to build their houses and colonies, no such assistance is provided to such of them as reside in the Municipalities, excepting Mehtars ?

Is there any special reason for this ? If not, why ?

# Page No 7



**समाज कल्याण मंत्री ( श्री भीखा भाई )** : Yes. Under the Centrally sponsored Schemes funds are provided for housing subsidy for the Scavengers.

In the State Plan schemes housing aid is given for rehabilitation on land wich is available in the rural areas.

With a view to implement the recommendations of the Malkani Committee the Central Government have provided funds to improve the working conditions of the scavengers who are at the lowest ladder. The State Government have selected the Municipal areas where the condition of the scavengers is worst and the Municipalities have also agreed to provide housig facilities.

**श्री केसरीसिंह** : अध्यक्ष महोदय, दूसरे भाग का उत्तर दिया वह ठीक तरह से सुनाई तो नहीं दिया; तथापि पूछना यह है कि जब भांभियों को और दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गांवों में इस तरह की सहायता देते हैं तो जो लोग म्युनिसिपल टाउन्स में रहते हैं उनको क्यों नहीं देते ? उनको नहीं देने का कोई खास कारण तो दिखाई नहीं देता। क्या वेलिड रीज़न्स हैं कि म्युनिसिपल टाउन्स में उन लोगों को नहीं देते, भंगियों को देते हैं; दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट्स को नहीं देते इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ?

**श्री भीखाभाई** : डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मिटाने का सवाल हो रहा है। जो लोवेस्ट लेडर में हैं। सोसाइटी की हिरायार्की में उन्होंने बहुत सफर किया है। क्योंकि यह केन्द्रीय योजना है तो इसमें मेहतरों को सुविधा देनी चाहिए। म्युनिसिपेलिटीज़ भी उनको जमीन देने को तैयार रहती हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सभी शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सहायता दी गई है। मलकानी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को विशेष सहायता देनी चाहिए, लेकिन हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि सबको सहायता दे सकें। इसलिए स्केवेन्जर्स को प्रायोरिटी देते हैं।

**श्री केसरीसिंह** : लोएस्ट रेन्ज ऑफ दि लेडर के लिए इकोनोमी का बेस रखें तब तो समझ में आ सकता है, लेकिन आप तो जाति को लेते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि मेहतरों में भी कई लोग अच्छी स्थिति के हैं और भामियों वगैरह में भी बहुत से लोगों की हालत भंगियों से भी खराब है, इसलिए खाली स्केवेन्जर्स को ही प्रायोरिटी देना और दूसरों को नहीं देना ठीक नहीं है।

**श्री भीखाभाई** : हमारे पास साधन नहीं है।

**श्री केसरीसिंह** : ऊपर से तय कर दें उसको आंख मींचकर फोलो मत करावो, रीजन पर भी गौर फरमावो।

**श्री अब्दुलजब्बार ( निम्बाहेड़ा )** : क्या सरकार राजस्थान की समस्त म्युनिसिपेलिटीज़ से पूछना चाहती है कि हरिजनों को मकान बनाने आदि के लिए मदद देने को तैयार है ?

**श्री भीखाभाई** : जितना हमारे पास प्रोविज़न है उतना ही कर सकते हैं।

**श्री अब्दुलजब्बार** : म्युनिसिपैलिटीज़ से इस बारे में मालूम करना चाहते हैं या नहीं ?

**श्री भीखाभाई** : This is a hypothotical question, Sir, which cannot be answered here.

**श्री केसरीसिंह** : भांभी वगैरह दूसरी शिड्यूल कास्ट के लोग हैं गांवों में, अभी उनकी ऐसी स्थिति है कि उनको इमदाद देना वाजिब है। टाउन्स में आने से आर्थिक स्थिति सुधर गई, लोएस्ट लेडर में नहीं रहे; ऐसी बात ऊपर से कहते हैं लेकिन दरअसल में ऐसी बात नहीं है।

**श्री भीखाभाई** : By profession they are so.

**श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मकान वगैरह के लिये ग्रान्ट देने की नीति सरकार की है या नहीं ?

**श्री भीखाभाई** : यह अलग प्रश्न है, सुनाई भी नहीं दिया।

**श्री रामकिशन** (बैर) : अलग कुछ नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित)

**श्री रामकिशन** (बैर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्व का प्रश्न है उसका उत्तर जरूर देना चाहिये।

**आत्म हत्या के प्रयत्न का मामला**

**५६८. श्रीमती सुमित्रा** (झुन्झुनू) [श्री रामकिशन (बैर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मार्च १९६३ में झुन्झुनू के डाक्टर इन्चार्ज हॉस्पिटल ने पुलिस में एक केस अटेम्प्ट टू सुसाइड का दर्ज करवाया था ?

(२) यदि हां, तो उस केस के बारे में क्या यह जांच की गई कि उस लड़की के अटेम्प्ट टू सुसाइड के कारण क्या थे ?

(३) क्या इस केस के बारे में वहां के जिलाधीश के नाम को भी घसीटा जा रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उप-मंत्री, गृह** (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जांच की गई थी, किन्तु जांच से आत्म-हत्या के प्रयास का सही कारण ज्ञात नहीं हो सका।

(३) इस घटना के सम्बन्ध में जिलाधीश, झुन्झुनु श्री खिलजी के खिलाफ स्थानीय साप्ताहिक 'राहुल' एवं पाक्षिक 'महाप्राण' में समाचार छपे थे। तफ्तीश से उक्त समाचारों के बारे में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका। 'महाप्राण' ने बाद में इसका प्रतिवाद छाप कर खंडन किया है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस मामले में एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा जांच कराई गई ?

**गृह मंत्री** (श्री मथुरादास माथुर) : जी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने यह बताया कि आत्म-हत्या का प्रयास किया गया, क्या इस प्रकार का प्रयास कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : जी हां ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या केस रजिस्टर हुआ?

**श्री मथुरादास माथुर** : जी हां ।

**श्री भैरोंसिंह** : आगे क्या हुआ ।

**श्री मथुरादास माथुर** : चालान कर दिया ।

**श्री रामकिशन** : क्या झुंझुनू पुलिस ने इत्तला नहीं दी थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां से नहीं हटाया गया तो जांच नहीं हो सकेगी ?

**श्री मथुरादास माथुर** : श्री भैरोंसिंहजी के प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ ।

**श्री रामकिशन** : आप साफ बताइये कि क्या वहां की स्थानीय पुलिस ने यह मांग की थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं हटाया तो जांच न्यायसंगत नहीं होगी ?

**श्री मथुरादास माथुर** : पुलिस ने ऐसा नहीं कहा कि डी. एम. को नहीं हटाया तो न्याय-संगत जांच नहीं होगी । जांच हो गई और चालान भी पेश हो गया ।

**श्री रामकिशन** : किसका चालान हो गया ?

**श्री मथुरादास माथुर** : जिसने आत्म हत्या करने की कोशिश की ।

**श्री रामकिशन** : आपने तो उत्तर में कहा था कि जानकारी करने की कोशिश की लेकिन सही कारण ज्ञात नहीं हुआ ?

**श्री भीमसिंह** : आपने पूछा था कि आत्म-हत्या करने की क्यों कोशिश की, उसके उत्तर में मैंने बताया था कि प्रयास करने पर भी सही ज्ञात नही हो सका कि क्यों आत्म-हत्या करने की कोशिश की ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या उस लड़की का बयान नहीं लिया गया था ?

**श्री अध्यक्ष** : मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिये बहस में जाने की आवश्यकता नहीं ।

## यूनियनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना

५६६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्रम विभाग के ऑर्डर नं० एफ. ६ (२) एल. आर. (२) ६० । १८३८ जयपुर, १ अगस्त, ६० के अनुसार उप श्रम आयुक्त ने किन-किन यूनियन्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था ?

(२) किस-किस यूनियन ने कब-कब इस कैंसलेशन के विरोध में रिप्रेजेन्टेशन किये ? किन-किन रिप्रेजेन्टेशन का निर्णय हो चुका है और क्या ? कितने रिप्रेजेन्टेशन बाकी हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उप-श्रम आयुक्त को यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अधिकार नहीं था ? यदि नहीं, तो कानून की किस धारा से ?

(४) क्या उपरोक्त ऑर्डर का कोई शुद्धि-पत्र भी निकाला गया ? यदि हां, तो क्यों और किस किस यूनियन के लिए ?

# Page No 10



(श्री भैरोंसिंह)

(५) क्या यह सही है कि किसी यूनियन ने बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज की अदालत में इस आॅर्डर के विरुद्ध दावा दायर किया और डिप्टी एल. सी. ने अदालत से क्षमा-याचना की ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) जिस गलती के कारण क्षमा-याचना करनी पड़ी है उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**उप-मंत्री श्रम** (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) सन् १६६० में कुल ८२ यूनियन्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) केवल एक यूनियन द्वारा रिप्रेजेन्टेशन किया गया था, जिसका निर्णय उनके हक में दिया जा चुका है।

(३) डिप्टी लेबर कमिश्नर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अधिकार था। इन्डियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट, १६२६ की उपधारा (ब) धारा १० के अन्तर्गत दो माह का नोटिस देने पर।

(४) जी हां, चूंकि जब दो यूनियन्स, जिनके वार्षिक हिसाब इस कार्यालय में प्राप्त हो चुके थे; कार्यालय द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण १ अगस्त, १६६० से इनका नाम रद्द किये जाने वाली सूची में सम्मिलित किया गया था, परन्तु जांच के पश्चात् उन्हें उस सूची से अलहदा कर दिया गया।

(५) जी हां, पलाना कोलेरी, मजदूर यूनियन, जामसर ने डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज, बीकानेर की अदालत में इस आॅर्डर के विरूद्ध अपील की थी। शुद्धि-पत्र निकाल दिये जाने के कारण डिप्टी लेबर कमिश्नर तथा रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स ने अदालत के समक्ष अपनी गलती स्वीकार की। क्षमा-याचना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

( कृपया परिशिष्ट २ देखिये )

**श्री भैरोंसिंह** : क्या आपने उनको एक माह का नोटिस दिया था ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : जी हां।

**श्री भैरोंसिंह** : सबको दिये थे या नहीं ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : सबको ही दिये थे।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जिस समय लिस्ट निकली थी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, उस समय आपके डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट आना चाहिए, वह आ चुका था ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : एक का आ चुका था। इसमें गलती का संशोधन किया है।

**श्री भैरोंसिंह** : अधिकांश का आ चुका था ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : जी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या उसके अलावा और किसी ने नहीं भेजा सरकार को ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : नहीं; और का नहीं आया।

**श्री भैरोंसिंह** : सभी की जानकारी है ? एक के अलावा किसी और सोसाइटी का नहीं था ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : हां जी नहीं था।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास।

### मकान बनाने के लिये अनुसूचित जातियों को सहायता

६००. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में अनुसूचित जातियों को मकान बनाने के लिये सरकार ने गत ५ वर्षों में कितनी सहायता दी ? जिलेवार अलग–अलग रिपोर्ट देने की कृपा करें।

**समाज कल्याण मंत्री** (श्री भीखाभाई): सूची सदन की मेजं पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री मुरलीधर व्यास** : मेरा प्रश्न था कि राजस्थान अनुसूचित जातियों को मकान बनाने के लिए सरकार ने गत ५ वर्षों में कितनी सहायता दी ? आपकी सूची के अन्दर कितनी सहायता दी है उसका टोटल दर्ज नहीं है, जिलेवार अलग अलग रिपोर्ट मिली है। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या योजनाबद्ध तरीके से कौन–कौन सी अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं और उनकी कितनी दर्ख्वास्तें हैं उनको देखते हुए किसी आधार पर दिया जाता है या अपने अधिकार से ही निश्चित कर लेते हैं, उसके हिसाब से दिया जाता है ?

**श्री भीखाभाई** : सविस्तार सूचना दी गई है और यह माननीय सदस्य के सेटिस्फेक्शन के लिए दी गई है। उसका हिसाब और जोड़–तोड़ कर सकते हैं, यह मेन्टल एक्सर्साइज का सवाल है। इसमें जो सूची दी गई है— हर आदमी या परिवार के लिए जैसी-जैसी रिकमन्डेशन समाज कल्याण अधिकारी की, म्युनिसिपलिटी की या पंचायत समिति की जिस प्रकार की रिकमन्डेशन आती है, उसके हिसाब से सहायता दी गई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस आधार पर दी गई है तो बीकानेर में समाज कल्याण विभाग की रिकमन्डेशन पर और कलेक्टर की रिकमन्डेशन पर, वहां के नोटीफाइड भील जाति के लोग हैं, गाड़िया लोहार हैं उनको सहायता क्यों नहीं दी गई है ?

**श्री भीखाभाई** : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : उसकी रिकमन्डेशन है....

**श्री अध्यक्ष** : आप उसी के लिए पूछ लेते। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर चुका हूँ कि राजस्थान भर का सवाल पूछ कर एक जगह पर नहीं आये क्योंकि मंत्री महोदय को सारे राजस्थान भर की सूचना नहीं हो सकती।

**श्री मुरलीधर व्यास** : प्रश्न में पूछा था कि टोटल कितना हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : टोटल दे दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि अमुक जगह कम दिया और अमुक जगह ज्यादा दिया।

**श्री मुरलीधर व्यास** : टोटल दिया नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से बहस करना उचित नहीं समझता; एक सुझाव है, स्वीकार करें तो।

प्रश्न संख्या ६०१

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

## ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन

६०२. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स द्वारा यूनियनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने के निर्णय के खिलाफ कितनी अपीलें अदालतों में पिछले चार सालों में दायर हुई हैं ? ये अपीलें किन यूनियनों ने की हैं ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त अपीलों में से कितनी अपीलों के फैसले हो चुके हैं ? कितने फैसले रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स के विरुद्ध हुए हैं ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स के यूनियनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के विरुद्ध निम्नलिखित कुल ५ अपीलें अब तक दायर हुई हैं:—

१. पलाना कोलियरी मजदूर यूनियन, पलाना।

२. राजस्थान गवर्नमेंट प्रेस कर्मचारी यूनियन, बीकानेर।

३. जोधपुर ट्रक अॉपरेटर्स एसोसियेशन, जोधपुर।

४. मोटर वर्क्स (मजदूर) यूनियन, उदयपुर।

५. राजस्थान इलेक्ट्रिक वाटर वर्क्स फेडरेशन, जयपुर।

(२) इनमें से ४ अपीलें फैसल हो चुकी हैं जिनमें १ फैसला रजिस्ट्रार के विरुद्ध हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रजिस्ट्रार के विरुद्ध फैसला हुआ, वह किस यूनियन की अपील में हुआ ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह हुआ है, गवर्नमेंट प्रेस कर्मचारी यूनियन, बीकानेर।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी आप कह चुके हैं, पलाना के केस में माफी मांगी है और बीकानेर गवर्नमेंट प्रेस कर्मचारी यूनियन की अपील आपके खिलाफ मंजूर की गई है। क्या आपके विभाग ने इस बात की जानकारी करने का प्रयास किया कि ये फैसले डिप्टी रजिस्ट्रार ने कुछ राजनैतिक कारणों से तो नहीं किये थे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी नहीं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या आप कह सकते हैं कि डिप्टी रजिस्ट्रार कई बार राजनैतिक कारणों पर रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

## पंचायतों के चुनाव

६०३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि इस साल होने वाले पंचायत चुनावों को एक साल के लिए स्थगित कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार ग्राम पंचायतों के चुनावों को इसी साल, जब कि अवधि समाप्त हो रही है, करवाने के प्रश्न पर पुन: विचार विचार करेगी ?

चुनाव मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं सदन में स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि चुनाव अप्रेल के एण्ड में करा दिये जायेंगे, इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री दिग्विजयसिंह : दूसरे प्रश्न में मैंने पूछा है कि अवधि समाप्त हो रही है तो चुनाव कराने के विषय में पुन: विचार करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस सदन में स्टेटमेंट डिमान्ड करने पर जवाब दे चुका हूँ कि पंचायतों की अवधि माह दिसम्बर में समाप्त हो रही है और हम अप्रेल के एण्ड तक सात हजार पंचायतों के चुनाव करवा देंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह चुनाव जल्दी करवा....

श्री दिग्विजयसिंह : मैं जानकारी करना चाहूँगा कि राज्य सरकार से कि दिसम्बर में अवधि समाप्त होने वाली है तो ऐसी क्या दिक्कत है कि अप्रेल में चुनाव कराने का निर्णय लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : दिक्कत कुछ नही है, दिसम्बर में अवधि समाप्त होगी। लेकिन सदन जानता है कि सादिक अली कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। उसके बाद चुनाव करवा दिये जायेंगे—जनवरी, फरवरी, मार्च व अप्रेल तक की मयाद मांगी है। जनवरी, फरवरी में आप लोग यहां बिज़ी होंगे, क्योंकि सैशन होगा ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या मंत्री महोदय को ख्याल है कि अध्यापक अप्रेल में व्यस्त रहेंगे, तो क्या अवधि आगे बढ़ानी पड़ेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : अप्रेल में व्यस्त रहेंगे तो मार्च में करवा देंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : मार्च में फसल कटती है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सादिक अली कमेटी बैठाई गई है, उसकी रिपोर्ट कब तक आयेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : उसकी रिपोर्ट, मैं समझता हूँ, फरवरी में आ जायगी या उसके पहले आ जायगी ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : फिर अप्रेल में चुनाव कैसे हो जायेंगे ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कोई योजनाबद्ध नीति तो नहीं है कि चुनाव आगे बढ़ाये जायं ?

श्री मथुरादास माथुर : सदन में कोई बात कहते हैं तो हम जवाबदारी के साथ कहते हैं। योजनाबद्ध नीति नहीं है ।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : यह आश्वासन दिया था....

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या यह माना जाय कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर, जो मयाद आपने बताई है, उसमें पंचायत कानून में रिपोर्ट में की रिकमन्डेशन्स के आधार पर संशोधन होकर वे पास हो जायेंगे ?

**श्री मथुरादास माथुर** : कुछ भी हो। अप्रेल में चुनाव हो जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : गोविन्दसहाय।

### गंगापुर–हिन्डोन सड़क

६०४. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गंगापुर हिन्डौन रोड का कार्य करीब ६ वर्ष से चल रहा है; किन्तु १०–११ माइल का टुकड़ा अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरा होगा ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : जी हां । ५ फर्लांग का टुकड़ा मील १०–११ में अधूरा है। यह कार्य वर्षा के बाद आरम्भ कराया जाकर इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायेगा।

**श्री गोविन्दसहाय** : अध्यक्ष महोदय, यह पिछली दफा आश्वासन दिया था मंत्री महोदय ने; एक महीने, दो महीने में पूरा हो जायगा लेकिन उसको साल भर हो गया ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री जयनारायण सालोदिया।

### समाज कल्याण विभाग का छात्रावास

६०५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो लड़कियों का छात्रावास है वह शहर से कितनी दूरी पर है ?

(२) क्या यह सच है कि छात्रावास के लिये जो मकान किराये पर है वह बहुत छोटा है ?

(३) इस मकान में कितने कमरे हैं व इसका कितना किराया दिया जाता है ?

(४) इस छात्रावास पर सालाना कितना खर्चा किया जाता है ?

(५) इस छात्रावास में गत साल कितनी लड़कियां भर्ती की गई थीं ?

**समाज कल्याण मंत्री** (श्री भीखाभाई): (१) छात्रावास जयपुर शहर से लगभग २ मील की दूरी, बापूनगर में हायर सैकन्डरी और प्राइमरी कन्या पाठशालाओं के समीप है।

(२) मौजूदा छात्राओं की संख्या के लिये काफी स्थान है।

(३) इस मकान में ५ कमरे, १ रसोई घर और १ स्टोर है। मकान का किराया १६५)रु. मासिक है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिफारिश के अनुसार है।

(४) सन् १९६२–६३ में ६,८७३) रुपये खर्च हुए हैं।

(५) गत वर्ष सन् १९६२–६३ में १७ लड़कियों को प्रवेश दिया गया था।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : अब मौजूदा, इस साल कितनी लड़कियां हैं छात्रावास में ?

**श्री भीखाभाई** : १७ ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : १७ लड़कियों के लिए खर्च कितना होता है ?

**श्री भीखभाई** : मैंने निवेदन कर दिया, खर्च बताया है ६ हजार के करीब ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : १७ लड़कियों के लिए ६ हजार खर्च होता है, तो क्या गवर्नमेंट महसूस नहीं करती है कि संख्या बढ़ाई जाय ?

**श्री भीखाभाई** : इस साल बढ़ी है। गत वर्ष लड़कियों नहीं आई, जो जयपुर से पांच लड़कियां को भर्ती किया गया ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : क्या यह सही है कि छात्रावास शहर से दूर है इसलिए लड़कियां वहां जाना पसन्द नहीं करती हैं ?

**श्री भीखाभाई** : जी नहीं ।

**एक माननीय सदस्य** : इस स्थान पर लड़कियां नहीं पहुँचतीं तो दूसरे स्थान पर इसे तब्दील क्यों नहीं किया जाता ?

( ३ म. प. )

## भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज की आर्थिक सहायता

६०६. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत दो वर्षों में राज्य में भारत सेवक समाज कल्याण तथा भारत साधु समाज को कितनी आर्थिक सहायता राज्य सरकार से दी गई है और किस कार्य के लिये ?

**समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई)**: गत दो वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सेवक समाज व भारत साधु समाज को कोई सहायता नहीं दी गई ।

**श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : आपके विभाग द्वारा नहीं दी गई तो कौनसे विभाग द्वारा दी गई ?

**श्री रामकिशन** : यह आपसे कब पूछा था ? आपने यह उत्तर अपने आप ही दे दिया ? यह तो भारत सेवक समाज कल्याण तथा भारत साधु समाज का प्रश्न था ।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट ।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का क्या होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : अबकी किसी दूसरे मंत्रीजी को ट्राई कीजिये ।

( विराम )

**प्रश्न संख्या ६०७**

श्री गोविन्दसिंह ।

( अनुपस्थित )

नैक्स्ट, श्री केदारनाथ ।

---

## गंगानगर में हत्यायें, डकैतियां व चोरियां

६०८. **श्री केदारनाथ** ( गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री केदारनाथ)

वर्ष १६६२ ६३ में कितनी हत्यायें, डकैतियां व चोरियां गंगानगर जिले में हुईं और कितनों में पुलिस को अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सफलता मिली ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उप-मंत्री. गृह (श्री भीमसिंह) : गंगानगर ज़िले में सन् ६२–६३ में, प्रश्न में वर्णित अपराधों की संख्या इस प्रकार है :

डकती १७, चोरियां ४८३, एवं कत्ल ५४

इनमें से अब तक १० डकैती, १६० चोरी एवं ३४ कत्ल केसेज़ में अपराधी पकड़े गये तथा चालान किये गये हैं। चालान किये गये केसेज़ में से अब तक १ डकैती, ४१ चोरी एवं ७ कत्ल के केसेज़ में अपराधी सजायाब हुए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

## गहरे कूओं पर काम करने वालों की सुरक्षा

६०६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, जलदाय विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे। :

(१) बीकानेर शहर के गहरे कूओं पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(२) क्या उपरोक्त कर्मचारियों को सुरक्षा हेतु रबड़ के दस्ताने, तख्तों पर लगाने के लिये रबड़ शीट, कूए में जाने वाले बिजली के तारों को कवर करके रखना तथा सीढ़ियों के विपरीत दिशा में जाली आदि की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री, जलदाय (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) बीकानेर शहर के गहरे कुओं पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु निम्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं :

(अ) कूओं के प्लेटफार्मो की मरम्मत करवादी गई है।

(ब) लोहे की मजबूत सीढ़ियां हर एक प्लेटफॉर्म पर लगवा दी गई हैं।

(स) हरएक प्लेटफॉर्म पर बिजली के लट्टू लगवा दिये गये हैं।

(द) मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था कुछ कूओं पर की गई है तथा बाकी कुओं पर काम चल रहा है।

(२) जी हां, व्यवव्था निम्न प्रकार हैं :

(अ) कूओं पर काम करने वाले हर कर्मचारी के लिये दस्ताने का प्रश्न ही नहीं उठता, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन व वायरमैन जो बिजली के तारों पर काम करते हैं उनके लिए दस्तानों का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है।

(ब) हर कूए के स्विच बोर्ड के आगे लकड़ी के तख्तों पर रबड़शीट लगाने के टेन्डर कर दिये गये हैं।

(स) कुछ कुओं में बिजली के तार एल-काथिन पाइप के अन्दर डाल दिये गये हैं। बाकी कूओं का काम अन्डर प्रोग्रेस है तथा सीढ़ियों की विपरीत दिशा में करीब-करीब सभी कुओं में रेलिंग लगी हुई है।

श्री भीमसेन : अब कितने बिजली के कूओं में बाकी है।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह निश्चित सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन काम चल रहा है, जल्दी ही हो जावेगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री गंगासिंह।

**श्री केसरीसिंह** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पूछने की मुझे इजाजत दी है।

## मुकदमों की वापसी, जिला नागौर

६१०. **श्री गंगासिंह** (जायल) [श्री केसरीसिंह (पाली) द्वारा पूछा गया] : Will the Home Minister please reply :

(a) How many criminal cases the Government has withdrawn from the Courts of District Nagaur after 1st July, 1961 ?

(b) What are the reasons for the withdrawal of these cases ?

(c) Out of the cases withdrawn, how many cases were such which were investigated by C.I.D. Branch ?

**उप-मंत्री, गृह** (श्री भीमसिंह) : (a) Six criminal cases were withdrawn from the courts of District Nagaur after 1st July, 1961.

(b) Four cases were withdrawn in the larger interest of amity and harmonious relations between various communities. One case was withdrawn on account of its having been found to be fabricated. One case was withdrawn as the loan amount had been repaid with interest and the protracted criminal proceedings in the court would have delayed the winding up of a Cooperative Service Society with the result that the people of village Khunkhuna would be bereft of the benefit of starting a new service Cooperative, which could not be established before the one had been liquidated.

(c) There is only one such case.

**श्री केसरीसिंह** : 'One such case' आपने बताया वह कौनसा केस है ?

**श्री भीमसिंह** : यह एफ. आई. आर. २४५६ नागौर का है।

**श्री केसरीसिंह** : आप यह जो एक केस फरमाते हैं वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एम्बेज़लमेंट वाला केस तो नहीं है ?

**गृहमंत्री** (श्री मथुरादास माथुर) : यह कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला केस नहीं है।

**श्री केसरीसिंह** : क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में एम्बेज़लमेंट हुआ उसने पैसा री-पे कर दिया तो क्या उसको पैसा री-पे करने के बाद सजा मिलनी चाहिये या उसको छोड़ देना वाजिब है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : रुपया बकाया था और डिपार्टमेंट ने जांच करके कहा, and the case was withdrawn.

**श्री केसरीसिंह** : क्या आप ऐसे और भी एम्बेज़लमेंट करने वालों को माफी बक्स देंगे।

**श्री मथुरादास माथुर** : कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने फैक्ट्स को देखते हुए यह वाजिब समझा। यह एक टैक्निकल पोइन्ट था। डिपार्टमेंट ने रिकमन्ड किया।

**श्री केसरीसिंह** : टैक्निकल मामलों में इस प्रकार की बात हो तो आप माफ कर देंगे ?

**श्री मथुरादास माथुर** : अगर डिपार्टमेंट रिकमन्ड करता है तो ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद ।

**नाजायज़ पिलाई वसूल करना**

६११. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

( १ ) क्या यह सही है कि कोटा डिविजन के किसानों ने सिंचाई विभाग द्वारा नाजायज पिलाई वसूल करने के संबंध में सरकार को जानकारी कराई है ?

( २ ) क्या यह सही है कि इस वर्ष पिलाई की वसूली के लिये हजारों किसानों का वारण्ट, कुर्किया देने पर व पुलिस की सहायता से वसूली की जा सकती है ।

( ३ ) क्या यह सही है कि जिन किसानों के खेत–नहरें फूट जाने के कारण या लीकेज होने पर पानी से भर गये तथा फसलें बरबाद हो गईं उनसे फिर भी पानी पिलाई वसूल की गई एवं कानूगो, तहसीलदार व पटवारी की मौके की रिपोर्ट की परवाह नहीं की गई ?

( ४ ) यदि हां, तो पाटन तहसील में कितने किसानों की जमीनों की फसलें नहरों के पानी से बरबाद हुई हैं व कितने व्यक्तियों के मुआवजे देने की कार्यवाही जारी है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**उप-मंत्री, सिंचाई** ( **श्री दौलतराम सारण** ) : ( १ ) कुछ शिकायतें आई थीं जो जांच पर गलत साबित हुई ।

( २ ) वसूली राजस्व विभाग के द्वारा की जाती है अतः इसकी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

( ३ ) नहरें फूट जाने अथवा लीकेज होने से जहां फसलों को हानि हुई वहां पिलाई वसूल नहीं की गई ।

( ४ ) पाटन तहसील में जिस रकबे में पानी भरने से नुकसान हुआ है उसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ?

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये )

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : यह जांच किसके द्वारा और कब करवाई गई ?

**श्री दौलतराम सारण** : जिस समय कुछ शिकायतें आई थीं उसी समय विभाग के द्वारा जांच कराई गई ।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : शिकायत कब आई और कौनसे अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराई गई ?

**श्री दौलतराम सारण** : इरिगेशन विभाग के अधिकारियों द्वारा ही जांच कराई गई ।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : उन्हीं के लोगों के खिलाफ शिकायत थी और उन्ही के द्वारा जांच करावेंगे तो वे कब कहेंगे कि हमारे विभाग वालों ने गलती की है । कौनसे डिपार्टमेंट से जांच कराई और कब कराई गई ?

**श्री दौलतराम सारण** : डिपार्टमेंट में बहुत से कर्मचारी और अधिकारी होते हैं और इसके अलावा किसानों के लिये भी नियम बने हुए हैं । उसको एक महीने का समय दिया

( श्री दौलतराम सारण )

जाता है और अगर कोई आपत्ति होती है तो वह प्रार्थनापत्र पेश करता है और नियमित समय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता है और उसकी जांच मौके पर जाकर की जाती है और मौके पर कार्यवाही करते हैं।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : एक महीने के अन्दर-अन्दर लोगों ने शिकायतें की हैं और उनकी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं और उनकी शिकायतों को सही होते हुए भी नहीं माना। भला उन्हीं के लोगों की शिकायत की जाए और वे ही लोग जांच करें तो किस प्रकार वे कहेंगे कि हमारे विभाग ने इस प्रकार की गल्ती की है। इसलिये आपके विभाग ने वही किया जो उनको करना था। पटवारी, कानूगो की मौके की रिपोर्ट की परवाह नहीं की।

**श्री दौलतराम सारण** : जांच हमेशा तथ्यों के आधार पर होती है, किसी के कहने मात्र से नहीं होता कि यह बात सही है या गलत है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : जब किसानों ने रकम नहीं दी तो पुलिस को साथ लेजा कर उनके खिलाफ वारन्ट निकलवाकर वसूली की गई। जब आप कहते हैं कि यह दूसरे डिपार्टमेंट का काम है तो फिर पुलिस को कैसे साथ ले गये ?

**श्री दौलतराम सारण** : वसूली का सम्बन्ध इरिगेशन से नहीं है, यह मैंने पहले बताया है। यह वसूली रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। इसलिये इस बात को आपको समझना चाहिये कि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूली करता है तो इरिगेशन का इसमें कहां प्रश्न आता है ?

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : इतनी समझ तो इसमें है, लेकिन आपने बिल बना कर भेजा है और बिल बनाने में वास्तव में गलती हुई है। जिस डिपार्टमेंट ने बिल बना कर भेजा है उसके अनुसार वसूली होगी। इसलिये गलत बिल बनाया उसकी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन वाले बिल बनाते और सही सूचना अपने अधिकारियों को देते नहीं, जब कभी शिकायत होती है। उनको अपनी गलतियों को ठीक करने के लिये कहा जाता है तो वे अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते और अपनी लापरवाही को छिपाने के लिये अधिकारियों को अंधेरे में रख देते हैं और सही सूचना नहीं देते। आप इसकी जांच करा लें तो आपको मालूम हो जाएगा।

**श्री दौलतराम सारण** : आप द्वारा यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, यह सही नहीं हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** ( कोटा ) : आपने बताया कि जिनको नुकसान हुआ हैं। उनको मुआवजा दिया गया हैं; किन किन को दिया गया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : किस किस को मुआवजा दिया गया है, यह सूची में दर्ज है।

**श्री दिग्विजयसिंह** ( उनियारा) : क्या यह सही है कि इरिगेशन के द्वारा ही उसकी वसूली की जाती है ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने निवेदन किया है कि वसूली राजस्व विभाग करता हैं।

**श्री दिग्विजयसिंह** : इरिगेशन के पटवारी करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने शायद प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा है। प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि इस वर्ष पिलाई की वसूली के लिये हजारों किसानों के वारन्ट, कुर्कियां देने पर व पुलिस की सहायता से वसूली की जा सकती है ?

इससे इस बात का संबंध नहीं है। यह सही है कि सिचाई का रेकॉर्ड इरिगेशन विभाग द्वारा रखा जाता है और वसूली राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार होती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लोगों ने एक महीने के अन्दर अन्दर शिकायत की। पिलाई नहीं हुई और इसलिये पिलाई की वसूली नहीं की जानी और इसकी जांच होनी चाहिये। मगर फिर भी किसानों के खिलाफ वारन्ट और कुर्कियां निकाल कर व पुलिस की सहायता से वह पिलाई वसूल की गई।

श्री दौलतराम सारण : जितनी नियमानुसार शिकायतें होती हैं उनकी मौके पर जाकर सुनवाई होती हैं। माननीय सदस्य किसी निश्चित केस के बारे में बतावेंगे तो उसकी मैं जानकारी कर लूंगा। जनरल तौर से यह कह देना कि गलत काम हुआ है यह बात तो सही नही है। अगर कोई खास केस आप बतावेंगे तो अवश्य उसकी जांच कराई जावेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नाथूरामजी मिर्धा को प्रार्थन-पत्र दिये गये और उनसे कहा गया कि कलेक्टर के यहां और तहसीलदार के यहां सारा रेकॉर्ड है उसको आप देख सकते हैं। आप अपने डिपार्टमेंट की कमजोरियों को देख सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

## एडवर्ड मैमोरियल भवन

६१२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

(1) Is it a fact that there is one "Edward Memorial" building in Jaipur City ? If yes, where it is situated?

(2) Is it a fact that the building is being utilised by the Government for Medical College Hostel ? If yes, since when ?

(3) Is it a fact that the said building was first utilized as 'Musafirkhana' during the Jaipur State times and over thereafter ?

(4) Does the Government not feel that looking to increased number of travellers visiting Jaipur, the State capital, such buildings should be left open for such visitors ?

(5) Is it is fact that the "Edward Memorial" was taken by the Government for temporary use ? If yes, for how much period ? Is the Government not intending to vacate the same ? If not, why ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना पूरी उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिये इसका उत्तर अगली टर्न पर दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : यह तो बिलकुल नाक के नीचे ही है।

प्रश्न संख्या ६१३

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

( अनुपस्थित )

श्री मनफूलसिंह !

सूरतगढ़ पीलीबंगा सड़क

६१४. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(१) सूरतगढ़ से पीलीबंगा सड़क कितने वर्षों से बन रही है ? क्या पीलीबंगा से ८ मील सड़क तैयार हो चुकी है, लेकिन सूरतगढ़ तक नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या इस सड़क पर जहां राजस्थान नहर गुजरती है वहां अभी सड़क नहीं बन पाई है ? यदि हां, तो इसके न बनने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) दिनांक २४-३-५८ से। जी हां। सूरतगढ़ की ओर से ४ मीलों में डामर का कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी ४ मीलों में कार्य प्रगति पर है।

(३) जी हां। जब इस सड़क पर कार्य चालू था, राजस्थान नहर विभाग द्वारा जब तक कि उस विभाग का पुल न बन जाये कार्य बन्द करा दिया था। पुल निर्माण के बाद यह कार्य नहर विभाग द्वारा किये जाने को लिखा था, किन्तु अब यह कार्य पुनः इस विभाग द्वारा किये जाने को तय हुआ है। अब यह कार्य हाथ में ले लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

उदयपुर में औद्योगीकरण

६१५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या उदयपुर के भावी औद्योगीकरण को मद्देनजर रखते हुए सरकार नजदीक से किसी जलाशय या नदी का जल उदयपुर तक ले जाने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): जी हां। जयसमन्द झील से पानी लाने की योजना बनाई जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायगी।

श्री दिनेशराय डांगी : इसके लिये क्योंकि इसमें दो महकमों का हाथ है, पब्लिक हैल्थ और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट; इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तखमीना तैयार हो गया है व पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट से अभी तैयार नहीं हुआ है, उसके आने पर यदि फिज़ीबल हुआ तो शीघ्र ही चालू किया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कितना खर्चा इस योजना पर आयेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : अभी तो खर्च का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

## कोटड़ी में बिजली

६१६. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि कोटड़ी पंचायत समिति (जिला भीलवाड़ा) ने एक प्रस्ताव पास कर मांग की है कि जो बिजली सुवागा तक आई है वह कोटड़ी भी सप्लाई की जावे ?

(२) यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या इरादा रखती है और कोटड़ी में किस वर्ष तक बिजली पहुँच जावेगी ?

**उप मन्त्री, विद्युत्** (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : क्या कोटड़ी पंचायत समिति से यह लिखा हुआ नहीं आया कि जो बिजली सुवागा तक आई है वह कोटड़ी भी सप्लाई की जाय ?

**श्री परसराम मदेरणा** : सुवागा तक आई है, यह तो इल्म में है; पर सुवागा से बिजली कोटड़ी तक ले जाई जाय, इस प्रकार की कोई मांग सरकार के पास नहीं आई है।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : जिस मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ था मैं खुद उसमें मौजूद था। उसी दिन प्रस्ताव आपके पास भेजा गया है और उसकी कॉपियां सभी संबन्धित अधिकारियों को भेजी गई है। जो बिजली सुवागा तक पहुँच गई है उसे कोटड़ी तक पहुँचाने का प्रबन्ध किया जाय, मैं इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहूँगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जोधसिंह।

## आयुर्वेदिक औषधालय

६१७ **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

( १ ) क्या सरकार ने औषधालयों में दी जाने वाली औषधियों के लिये कोई फारमोकोपिया तैयार किया है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन में प्रस्तुत की जावे ?

( २ ) वर्तमान में राजकीय औषधालयों में कौन से योग विगत पांच वर्षों में प्रयुक्त किये हैं ?

( ३ ) इनमें ऐसे कौन कौन से योग हैं जिसमें विषैले और मादक द्रव्य डाले जाते हैं ?

( ४ ) इनके विष का घातक प्रभाव नहीं होगा, ऐसा प्रामाणिक निर्णय किस आधार पर लिया जाता है ? क्या इसके लिये कोई एपरेटस है ?

( ५ ) क्या रसायनशालाओं के साथ कोई लेबोरेटरी है जिसमें इनके परीक्षण का ब्यौरा रखा जाता है ?

**उप मंत्री, आयुर्वेद** (श्री दौलतराम सारण) : ( १ ) जी हां, फार्मोकोपिया निर्धारित है, उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

( २ ) फार्मोकोपिया में निर्दिष्ट सभी योग औषधालयों में रोगियों के अनुपात से पांच वर्षों में प्रयुक्त किये गये हैं। विभिन्न श्रेणी के औषधालयों को जितने तादाद में ये योग दिये जाते हैं उसकी मिकदार भी ये योगों के सामने निर्दिष्ट है। 'ए' क्लास में रोगियों की कमी बेशी के अनुसार आवश्यकता को देखते हुए घटाई व बढ़ाई गई है।

( श्री दौलतराम सारण)

( ३ ) इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( ४ ) रसायनशालाओं में औषधियों का निर्माण आयुर्वेदिक शास्त्रीय आधार पर किया जाता है। नियमानुसार विष व उपविषों की शुद्धि की जाती है जिससे घातक प्रभाव होने का अन्देश नहीं रहता।

( ५ ) जी नहीं। सभी औषधियां प्रशिक्षित व अनुभवी वैद्यों के तत्वावधान में आयुर्वेदिक रीति से निर्मित होती हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री जोधसिंह चौहान** : क्या इसके लिये कोई एपरेटस है ?

**श्री दौलतराम सारण** : आवश्यकता नहीं।

**श्री जोधसिंह चौहान** : क्या सरकार लेबोरेटरी खोलने की सोच रही है ?

**श्री दौलतराम सारण** : आयुर्वेदिक पद्धतियों से औषधियों का निर्माण होता है, इसलिये दूसरी बातों की आवश्यकता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नत्थीसिंह।

### नलों के टेम्पोरेरी मीटर

६१८. **श्री नत्थीसिंह** ( भरतपुर ) [ श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया ] : क्या जलदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) भरतपुर शहर में कितने लोगों को नल के टेम्पोरेरी मीटर वाटर वर्क्स विभाग द्वारा दिये हुए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ लोगों के टेम्पोरेरी मीटर्स तीन महीने बाद ही उनकी अवधि बढ़ाने की प्रार्थना के बावजूद वापिस ले लिये गये हैं जब कि कुछ के पास साल भर से अधिक समय से टेम्पोरेरी मीटर्स चल रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है ?

(३) भरतपुर शहर में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे वाटर वर्क्स विभाग ने मीटर्स के रुपये जमा करा लिये हैं और उन्हें अभी तक मीटर नहीं दिया है ? आइन्दा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**उप-मंत्री, जलदाय** ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) केवल तीन।

(२) जी नहीं। ६ महीने की अवधि से अधिक का कोई टेम्पोरेरी कनेक्शन नहीं चल रहा है।

(३) एक भी नहीं। यह विभाग मीटरों के रुपये जमा नहीं करता है बल्कि वाटर कनेक्शन के रुपये जमा करता है। जैसे-जैसे सरकारी मीटर उपलब्ध होते हैं कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

**श्री रामकिशन** : सुनाई तो कुछ साफ दिया नहीं, फिर भी पूछ लेता हूं। '(३)' के उत्तर में कहा, दिये जा रहे हैं, ये कब से दिये जा रहे हैं; लोगों ने रुपया जमा करा दिया उनमें से कितनों को मीटर दिये गये हैं ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : मैंने कहा कि मीटर का रुपया हमारे यहां जमा नहीं होता। सरकारी मीटर उपलब्ध होने पर मीटर देते हैं सका किराया जमा करते हैं।

**श्री रामकिशन** : बॉक्स का रुपया सभी शहरों से जमा कर लिया है, खाली बॉक्स पटक दिये हैं।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : मीटरों की तो कमी है ही। ज्यों ही मीटर एवेलेबल होंगे दिये जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सांवलियाराम।

**भेसा पिचूना का बांध**

६१६. श्री **सांवलियाराम** (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील रूपवास, जिला भरतपुर में जो बांध ग्राम भेसा पिचूना के बीच में बना हुआ है वह हर साल टूट जाता है जिसके कारण ग्राम वाले व मवेशी परेशान होते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध को पक्का कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

उप-मंत्री, **सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(३) जी हां, तखमीना बना लिया गया है एवं उसकी स्वीकृति के बाद काम शुरू कर दिया जायगा।

**श्री रामकिशन** (वैर) : यह हंसी और मजाक का मामला बन गया है। लगातार १२ साल से यह बांध जब से बना बराबर टूटता आ रहा है। कोई साल ऐसा नहीं कि यह टूट नहीं जाता हो। तो क्या सरकार जांच करेगी कि यह हर साल क्यों टूट जाता है ?

**श्री दिनेशराम डांगी** : इसका तखमीना बना लिया गया है, १,७६,००० रु० का और नेक्स्ट मानसून से पहले ही इसको ठीक करा दिया जायगा।

**श्री सांवलियाराम** : यह बांध हर साल टूट जाता है, इस पर आपके पास रिपोर्टें गलत हुई हैं, गलत रिपोर्टें अधिकारी दे देते हैं मामूली सी कार्यवाही करके और इस तरह यह हर साल टूट जाता है और इस बांध के हर साल टूट जाने के कारण हजारों बीघा जमीन खराब होती जाती है, मवेशियां बह जाती हैं, वहां के आस-पास के बासिन्दों को हर साल बड़ा नुकसान होता है।

**श्री रामकिशन** : क्या इसको पक्का करने का एस्टीमेट बन गया है ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : ३० हजार तो लास्ट इयर खर्च किया है और १७६ हजार का तकमीना बना लिया गया है; नेक्स्ट मानसून से पहले ही इसको ठीक कर दिया जायगा।

**श्री रामकिशन** : काहे के लिये यह तखमीना बना लिया गया है, मरम्मत के लिये या पक्का करने के लिये ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : १७६ हजार का तखमीना बना लिया गया है। पक्का करने के लिये और नेक्स्ट मानसून से पहले ही आरम्भ कर दिया जायगा।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): क्या यह सही है कि गत १२ वर्ष से हर साल यह बांध टूट रहा है ?

# Page No 25



**सिंचाई मंत्री** (श्री भीखाभाई) : इसकी जानकारी तो नहीं है. पर माननीय सदस्य ने कहा है तो जानकारी करके माननीय सदस्य को सूचना दी जायगी ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : हर साल १२ वर्ष से यह बांध टूट रहा है, तो सरकार ने क्या किया है १२ वर्ष से, यह तो बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना है।

**श्री भीखाभाई** : यह तो तथ्यों पर निर्भर है कि १२ साल से टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। माननीय सदस्य कहते हैं; यह बात है, पर यह बांध १६५८ में एक बार टूटा था, तभी से तखमीना विचाराधीन है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मन्त्री महोदय को पता ही नहीं है कि बांध कितनी बार टूटा है। क्या यह सही है कि यह बांध १२ वर्ष में १२ बार टूटा है, अगर यह सही नहीं, तो कितनी बार टूटा है ?

**श्री भीखाभाई** : इसके बारे में निश्चित रूप से जवाब दे दिया गया है कि यह बांध १६५८ में टूटा है। बाद में टूटने का प्रश्न नहीं। यहां तक की इन्फोमेर्शन है, बाद की इन्फोर्मेशन चाहेंगे तो दे दी जायगी।

**श्री रामकिशन** : इस बांध के हर साल के रिपेयर्स के बजट देखिये, उससे साबित होता है कि यह हर साल टूटता है।

**श्री सांवलियाराम** : यह हर साल टूटता है और हमारे वहां के लोगों को बड़ा भारी नुकसान हर साल होता है।

**श्री दिनेशराय डांगी** : हर साल नहीं टूटता, पानी बाहर निकलता है।

**श्री अध्यक्ष** : टूटा नहीं, फूटा है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : अध्यक्ष महोदय, यह बांध हर साल टूटता है और सरकारी रकम का अपव्यय होता है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह !

**श्री मजलिस खां** (कामा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया ६२०।

**श्री अध्यक्ष** : Sorry, श्री मजलिसखां।

## भूमि की सनदें

६२०. **श्री मजलिस खां** (कामा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर और भरतपुर के मेव व दीगर मेव मुसलमानों को भूमि की सनदें अभी तक नहीं मिली हैं ?

(२) यदि हां, तो ये सनदें कब तक दे दी जावेंगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि वगैर सनद मिले दोनों जिलों में मुसलमानों के खातेदारी के दाखिल दर्ज नहीं किये जाते और ऐसी हालत में यह भूमि का बाहमी तबादला आदि नहीं कर सकते ?

**उप-मंत्री, पुनर्वास** (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सनदें दोनों जिलों में दी जा रही हैं।

(२) यह काम शीघ्र ही समाप्त हो जावेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

( ३ ) जिन मेवों को उनकी पहिले वाली भूमि दे दी गई उनके दाखिल खारिज वगैर सनदों के जारी किये जा रहे हैं। केवल उस भूमि का, जो असल की एवज में मेवान को या मुसलमानों को दी जाती है, दाखिल खारिज तथा तबादला बिना पट्टे के नहीं हो सकता।

**श्री मजलिस खां** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंटरी है। क्या जनरल आॅर्डर द्वारा दाखिल खारिज करा दिये जायेंगे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : वह तो ज्यों-ज्यों रीजनल आॅफिसर सर्टिफिकेट देते रहते हैं उसके अनुसार इवेक्यूई प्रोपर्टी के अनुसार देते रहते हैं। आॅर्डर तो जारी ही है।

**श्री मजलिस खां** : इन दाखिले खारिजों की फीस क्या होगी ? पहले इतनी ही फीस ली गई जितनी मालगुजारी होती थी ? क्या मेवों से भी इतनी ही ली जायगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह जानकारी नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : क्या यह सही है कि जिन मेवों को अपनी खुद की होल्डिंग न देकर उनको दूसरी होल्डिंग दी गई और उनसे डबल लैंड रेवेन्यू वसूल की जा रही है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह अलग प्रश्न है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : ऐसे मेव हैं, जिनको किन्हीं सर्कमस्टान्सेज में अपनी जमीन को छोड़ कर जाना पड़ा, वे वापिस आकर बस गये, उनको जब वे वापिस आये तो अपनी ओरीजिनल होल्डिंग नहीं मिली, उसके बदले उनको दूसरी जमीन दी गई। अब उनसे कहा जा रहा है कि तुम टीनेन्ट्स हो, म्युटेशन नहीं किया और फीस ली जा रही है जब कि उनका कोई कुसूर नहीं है। इस विषय में १५ वर्ष तक गवर्नमेंट कुछ न कर सकी। एश्योरेन्स देना चाहिये गवर्नमेन्ट को कि डबल लगान उनसे न लिया जाय।

( विराम )

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिह।

## लाइसेन्स रिन्युअल फीस

६२१. **श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( क ) क्या यह सही है कि श्रम विभाग के १८ अप्रेल, सन् ६१ के परिपत्र के अनुसार साप्ताहिक अवकाश अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स के रिन्यूअल की फीस दो रुपया निर्धारित की गई थी ?

( ख ) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा के इन्स्पेक्टर ने स्थानीय व्यापारियों से २) रु० के स्थान पर ४) रुपये रिन्यूअल फीस के मांगे, जिस पर व्यापारियों ने उसका विरोध किया तथा श्रम विभाग को शिकायतें भेजीं ?

( ग ) क्या यह सही है कि श्रम विभाग ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए केवल दो रुपया रिन्यूअल फीस का लेने का आदेश दिया परन्तु १ रु० पैनल्टी तथा आठ आने एक माह से अधिक देने का आदेश दिया ? यदि हां, तो क्यों और किस अधिकार से ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवनीशंकर नन्दवाना) : (क) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(ख) श्रम विभाग के १८ अप्रेल, ६१ के परिपत्र से इन्स्पेक्टरों में आम तौर पर यह भ्रम हो गया था कि आया रजिस्ट्रेशन देर से कराने की फीस दुगुनी लेने के साथ जिसका प्रावधान इस परिपत्र में किया गया था देर से रिन्यूअल करने की फीस भी दुगुनी वसूल की जाय। इन्स्पेक्टर भीलवाड़ा को भी यह भ्रम था, मगर उसने यह फीस दुगुनी वसूल नहीं की।

भीलवाड़ा के व्यापारियों ने अपने पत्र दिनांक १–४–६२ में यह संकेत किया था कि इन्स्पेक्टर कानून का गलत अर्थ लगा कर २) रु० के बजाय ४) रु० वसूल करना चाहते थे।

(ग) यह सही है कि इसका स्पष्टीकरण करते हुए सब इन्स्पेक्टरों को यह आदेश दिया गया कि निर्धारित रिन्यूअल फीस के अलावा देर से रिन्यूअल कराने पर नियम ६ (३) के अनुसार केवल १) रु० पैनल्टी वसूल की जाय; परन्तु आठ आना शुल्क एक माह के अधिक वसूल करने का कोई आदेश नहीं दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक रुपया पैनल्टी और शुल्क वसूल किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने जांच की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विभाग की जानकारी पर ही यह मैं उत्तर देरहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी आप चाहें तो आपको रसीदें दे दूं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं और जानकारी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

## सड़कों का तोड़ा जाना

६२२. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वाटर वर्क्स बीकानेर द्वारा पिछले एक साल में निम्नलिखित प्रमुख सड़कें कितनी बार तोड़ी गई :

(१) चौतीने कुए से कोटगेट,

(२) नए कुए से कन्दोई बाजार,

(३) कोटगेट से तेलीवाड़ा सड़क,

(४) तेलीवाड़ा से मोहतों के चौक,

(५) तेलीवाड़ा से बाढ़ियों व वदों के चौक,

(६) स्टेशन से रानी बाजार होते हुए पी. बी. एम. अस्पताल।

(७) रानी बाजार से गोगागेट तथा

(८) कोटगेट से बागड़ियान मोहल्ले तक।

(२) इन सड़कों की बार बार तोड़ फोड़ में अलग अलग सड़क पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि सड़कों की तोड़ फोड़ पाइपों की दोषपूर्ण फिटिंग्ज व पाइपों के बार बार फूट जाने की वजह से की गई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है व उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४) पाइपों की फिटिंग्ज़ का कार्य किसी ठेकेदार के द्वारा कराया गया था या विभागीय स्तर पर ?

(५) क्या वाटर वर्क्स द्वारा तोड़ी गई सड़कों के लिए बीकानेर नगर परिषद् ने पत्र लिखे ? यदि हां, तो कितने और उसका जवाब वाटरवर्क्स द्वारा कब कब दिया गया ? प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची, संलग्न है।

(२) सूची (अ) संलग्न है। पाइप लाइन बिछाने का ही खर्चा विभाग को देना पड़ा। उसके बाद फूटने पर या लीकेज होने पर ठेकेदार को भुगतना पड़ा।

(३) जी हां। लीकेज मिटाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है तथा पाइप फूट जाने की जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं डाली जा सकती। ठेकेदार द्वारा लीकेज मिटा देने पर आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(४) पाइपों का फिटिंग्ज़ कार्य अधिकतर ठेकेदार द्वारा कराया गया। कुछ लाइनें विभागीय मजदूर लगा कर भी डाली गई हैं।

(५) जी हां। नगर परिषद् द्वारा इस विषय पर ३ पत्र मिले हैं और तीनों का जवाब दिया गया। प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो यह कहा कि ठेकेदार उसकी मरम्मत करता है और लीकेज़ होने पर ठेकेदार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी मरम्मत करे तो क्या यह सही है कि अब तक म्युनिसिपल बोर्ड वाटर वर्क्स से ५, ५।। हजार रुपया मरम्मत का मांगता है और वाटर वर्क्स ने चुकाया नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। जानकरी करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, छः, सात कागज दिये। तीन चिट्ठियां वाटर वर्क्स ने म्युनिसिपल बोर्ड को लिखीं। म्युनिसिपल बोर्ड ने बार बार वाटर वर्क्स को को लिखा कि इन सड़कों की रिपेयर करवा कर दें। वाटर वर्क्स ने यह जवाब दिया कि आप मरम्मत करवा लें, सुपरविज़न हमारे विभाग से होगा पहले, उसके बाद एस्टीमेट भेजें और पेमेन्ट बाद में होगा। ठेकेदार की लीकेज की जिम्मेदारी है जब कि म्युनिसिपल बोर्ड क्यों बन्द करे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : म्युनिसिपल बोर्ड ने एडवान्स मांगा था, उसका प्रोविज़न नहीं है इसलिए नहो दिया गया। जहां वाटर वर्क्स हैं सड़कें म्युनिसिपल बोर्ड ही तैयार कराता है। इन्जीनियर उसको देख लेता है। लेकिन कितनी टूट-फूट है और कितनी रकम होती है, उनको लिखा दिया है कि वह मरम्मत करा ले, वाटर वर्क्स पेमेन्ट कर देगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ठेकेदार ने जब पाइप लाइन डाली तो लीकेज बन्द करने का काम उसका है, म्युनिसिपल बोर्ड को क्यों कहा गया ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : हमेशा के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : हमेशा के लिए थोड़े ही उसकी जिम्मेदारी है। पाइप लाइन फ़ट जाय तो उसकी जिम्मेदारी थोड़े ही है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : जब आप तोडते हैं; म्युनिसिपल बोर्ड उसको खुद रिपेयर नहीं कराता है। लेकिन आप नहीं करते हैं। और बाद में जब वह कराता है तो वाटर वर्क्स वाले बिल नहीं चुकाते हैं। रोज वाटर वर्क्स वाले सड़कें तोड़ते रहते हैं।

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : बराबर चुकाया जाता है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : सुनाई नहीं दिया।

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : बिल बराबर चुकाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : ये चिट्ठियां आपने सदन की मेज पर रखी हैं, आपने अब तक नहीं चुकाया ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : इन चिट्ठियों को भी पढ़ लीजिये, उनमें क्या है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

## नोहर के गांवों की सिंचाई योजना

६२३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील नोहर, जिला गंगानगर के गांवों की सिंचाई हेतु कोई योजना तैयार की गई है ? अगर हां, तो कितनी लागत से कितनी भूमि सिंचित की जायेगी ?

(२) उक्त योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा इस योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

**उप-मंत्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। नोहर फीडर द्वारा नोहर तहसील का ७४,६८६ एकड़ क्षेत्र प्रतिवर्ष सिंचित होगा। योजना की लागत लगभग ६० लाख रु० होने का अनुमान है।

(२) योजना की स्वीकृति आने पर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा और तीन वर्ष में पूरा हो सकेगा।

**श्री भीमसेन** : इस योजना की स्वीकृति कब तक मिलने की आशा है ?

**श्री दौलतराम सारण** : निश्चित तिथि नहीं कही जा सकती। प्रयास किया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

## गोपाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ शिकायत

६२४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गोपाल इन्डस्ट्रीज मजदूर यूनियन कोटा ने गोपाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कोटा के सम्बन्ध में इन्सपेक्टर फैक्ट्रीज, कोटा के पास यह शिकायत की है कि इस फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता और

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो यह शिकायत फैक्ट्री इन्सपेक्टर को कब प्राप्त हुई ?

(२) क्या फैक्ट्री इन्सपेक्टर ने इस शिकायत के पहले या बाद में कभी इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया ? यदि किया, तो किन किन तारीखों में ? कृपया निरीक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) (अ) यह सही नहीं है।

(ब) जी हां, यह शि

(स) दिनांक ११–२–६३ को यह शिकायत प्राप्त हुई।

(२) जी हां। शिकायत के पहले (१) दि० १३–७–६२

शिकायत के बाद में :

(१) दिनांक ३–३–६३

(२) दिनांक १३–४–६३, तथा

(३) दिनांक ११–७–६३ व ; नरीक्षण किये।

निरीक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखदी गई है।

( सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई )

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : दे तो दी गई, नहीं तो अब पहुंचा दी जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय श्रम मंत्रीजी को यह शिकायत की थी कि यहां पर वो रेट लागू नहीं हैं और लोगों को परेशान किया जाता है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : माननीय मंत्रीजी ने जब उद्घाटन किया था तो उनसे यह शिकायत की थी कि वर्क्स कमेटी जो चुनाव जीत कर आयी थी उनको डिस्मिस कर दिया गया। श्रम मंत्रीजी को उद्घाटन के समय यह बात कही थी।

( विराम )

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छः महीने काम करते हैं और चार महीने बिठा दिया जाता है। वर्क्स कमेटी ने चुनाव लड़ा तो उनको बिठा दिया गया। निरीक्षण करने गये, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया।

श्रम मंत्री ( श्री भीखाभाई ) : अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य ठीक नहीं है और सही नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा नहीं, उनका प्रतिनिधि नहीं आ सका। बाकी ऐसी मेरे सामने कोई बात नहीं आयी। शान्तिपूर्वक समारोह हुआ। वर्क्स कमेटी का उद्घाटन किया, उसका मुझे अच्छी तरह से मालूम है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वर्क्स कमेटी के सदस्यों ने यह समस्या रखी थी या नहीं ?

Page No 31



**श्री भीखाभाई** : प्रोडक्शन कमेटी ने रखी थी, न कि वर्क्स कमेटी ने ।

It was not a Works Committee but it was a Production Committee...

**श्री रामकिशन** (वैर) : वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं और आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं ।

**श्री भीखाभाई** : प्रोडक्शन कमेटी की बात है । पहले उद्घाटन किया । फिर यह बात रखी । वर्क्स कमेटी की बात बताते हैं वह बिल्कुल गलत है । प्रोडक्शन कमेटी की बात है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या इन्स्पेक्टर साहब निरीक्षण को गये थे तो जिस यूनियन ने शिकायत की थी उसके प्रतिनिधि को बुलाया था ।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : बुलाने के लिए गये । उन्होंने इन्कार कर दिया, मैं साथ नहीं चलता ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन ।

### पुलिस डकैत मुठभेड़

६२५. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर-धौलपुर में सन् ५८ से सन् ६२ तक पुलिस डकैत मुठभेड़ की कितनी घटनायें हुई हैं ?

(२) इन घटनाओं में कितने डकैत तथा कितने पुलिस कर्मचारी मारे गये हैं ?

(३) पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारे गये पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

**उप-मन्त्री, गृह** (श्री भीमसिंह) : (१) सन् १९५८ से १९६२ तक भरतपुर-धौलपुर में पुलिस डकैत मुठभेड़ की ११ घटनायें हुई जिनमें ९ धौलपुर सब-डिवीजन में एवं २ डीग सब-डिवीजन में ।

(२) इन घटनाओं में १० डाकू व १ पुलिस कर्मचारी मारे गये ।

(३) मृतक पुलिस कान्सटेबिल श्रीचन्द के परिवार को १,०००) रु० पुलिस बेनोवोलेन्ट फन्ड से, ५००) रु०, पुलिस वैलफेअर फंड से, १,४१९) रु० चन्दा एकत्रित करके एवं ६०८) रु० ग्रेच्युटी के दिये गये । इसके अतिरिक्त ७६) रु० मासिक पेन्शन उसकी विधवा को एवं १५) रु० २० न. पै. मासिक उसकी पुत्री को स्वीकार किये गये हैं ।

**श्री रामकिशन** : ये स्वीकार कब किये गये हैं ?

**श्री भीमसिंह** : इसकी डेट तो मेरे पास नहीं है ।

**श्री रामकिशन** : यह पेन्शन मिलना भी शुरू हो गया है या नहीं इस प्रश्न के बाद में ?

**श्री भीमसिंह** : यह मालूम करके बता सकता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ; श्री मुरलीधर व्यास ।

### आयुर्वेद रत्न उत्तीर्ण वैद्यों का ग्रेड

६२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— क्या यह सही है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रयाग की आयुर्वेद रत्न परीक्षा उत्तीर्ण वैद्यों को 'बी' ग्रेड नहीं दिया जा रहा है जब कि इसके समकक्ष अन्य परीक्षा पास वैद्यों को दिया जाता हैं ?

**उप-मंत्री, आयुर्वेद** (श्री दौलतराम सारण): जी हां। यह सही है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की आयुर्वेद रत्न परीक्षा उत्तीर्ण वैद्यों को 'बी' ग्रेड नहीं दिया जा रहा है, कारण यह है कि 'बी' ग्रेड भिषगाचार्य के तत्सम योग्यता रखने वाले वैद्यों को ही प्रदान किया गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : साहित्य रत्न आदि पास वाले लोगों को क्यों दिया जाता है ?

**श्री दौलतराम सारण** : ये परीक्षाएं दूसरी परीक्षाओं के समकक्ष मानी गई हैं और यह समकक्ष नहीं है, इसलिये नहीं दिया गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसको समकक्ष कैसे नहीं माना है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जिन जिन परिक्षाओं का पांच वर्ष का कोर्स है उसको भिषगाचार्य के समकक्ष माना गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : वे तो 'ए' ग्रेड में आ जाते हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : लेकिन यह मान्यता प्राप्त उपाधियों में से नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट।

### भीनमाल में छात्रावास

६२७. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या को देखते हुए क्या सरकार वहां एक छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ?

**श्रम मंत्री** (श्री भीखाभाई) : इस वर्ष अनुसूचित जातियों के लिये राजकीय स्तर पर छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। अत: जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास खोलने में असमर्थता है।

**श्री बिरदाराम फुलवारिया** : आप वहां छात्रावास कब खोलेंगे जब कि वहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है ?

**श्री भीखाभाई** : जब पैसा ज्यादा मिलेगा तब जरूर विचार किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : गैर-सरकारी संस्था द्वारा छात्रावास चलाया जाय तो क्या सरकार मदद देगी ?

**श्री भीखाभाई** : अभी तो इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : गैर-सरकारी तौर पर अगर छात्रावास खोला जाय तो क्या सरकार मदद देगी ?

**श्री भीखाभाई** : गये साल का जो प्रावधान था वह इस साल खोल दिये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : तो इस साल न सरकारी छात्रावास होंगे और न गैर-सरकारी होंगे।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री केदारनाथ।

# Page No 33



## समाज कल्याण विभाग के छात्रावास

६२८. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

गंगानगर जिले में कितने छात्रावास समाज कल्याण विभाग की ओर से चल रहे हैं ? इन पर सरकार द्वारा कितना वार्षिक व्यय किया जाता है और एक छात्र के हिस्से में कितना पड़ता है ?

**समाज कल्याण मंत्री** (श्री भीखाभाई): गंगानगर जिले में कुल दो राजकीय छात्रावास चल रहे हैं। एक छात्र पर करीब ४०) रुपये माहवार खर्चा आता है। एक छात्रावास जिसकी स्वीकृत संख्या २५ लड़कों की है, उस पर लगभग १०,०००) रुपये तथा ६० लडकों के छात्रावास पर लगभग २४,०००) रुपये प्रतिवर्ष खर्चा आता है।

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : गवर्नमेंट की तरफ से जो छात्रावास चलाये जाते हैं उसमें ४०) रुपया खर्चा आता है प्रति विद्यार्थी, जब कि प्राइवेट छात्रावासों में २५) रुपया ही आता है ?

**श्री भीखाभाई** : इस बारे में सरकार विचार कर रही है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## जावाल नदी पर कॉज़ वे

६२९. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाडा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सिरोही जिले में जावाल नदी पर पुल पहली बार किस साल में बना ?

(२) पश्चिमी किनारे की कॉज़ वे की रपट कितनी बार बह कर गई?

(३) सन् १९६० और १९६२ में रपट के बह जाने से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

(४) कॉज वे का बार बार टूट जाने का क्या कारण है ? क्या काम कमजोर हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) वर्ष १९६१ में।

(२) केवल एक बार।

(३) वर्ष १९६० में कोई हानि नहीं हुई तथा वर्ष १९६२ में २५,०००) रु० की हानि हुई।

(४) आकस्मिक दुर्घटना अत्यधिक वर्षा के कारण। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रविशंकर याज्ञनिक** : सन् ६२ के अन्दर वर्षा ही नहीं हुई, आपने वैसे ही कह दिया वर्षा के कारण टूटा है।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : अधिक वर्षा के कारण टूटा है।

**श्री रविशंकर याज्ञनिक** : सन् ६२ में अधिक वर्षा ही नहीं हुई, आप यह गलत कह रहे हैं ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : गलत तो नहीं कह रहा हूं ।

## स्थगित प्रश्न

( ३—९—६३ )

### समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर व्यय

४००. **श्री जयनारायण सालोदिया** ( निवाई ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित लड़कियों के लिये कितने छात्रावास हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) कौन कौन से छात्रावासों में कितनी कितनी लड़कियां हैं ?

(३) हर साल इन छात्रावासों में कितना खर्चा होता है ? प्रत्येक छात्रावास के आँकडे अलग अलग बताने की कृपा करें ।

**समाज कल्याण, मंत्री** (श्री भीखाभाई) : इसके पोस्टपोनमेन्ट के बारे में सूचना दी जा चुकी हैं । ज्योंही सूचना एकत्र हो जायगी उत्तर प्रस्तुत कर दिया जायगा ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : गिने चुने ही छात्रावास हैं । उनकी भी सूचना आप एकत्र नहीं कर पाये ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट , श्री जोधसिंह ।

### जंगलात की सीमा तहसील गिरवा

४११. **जोधसिंह चौहान** ( गिरवा ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

( १ ) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील उदयपुर में मेवाड़ सरकार के समय जो जंगलात की भूमि थी उसे राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी हैं और नई सर्वे करा कर नई जंगलात की सीमा पर पत्थर गढी भी हो चुकी है ?

( २ ) क्या यह भी सही है कि गिरवा तहसील के कई गांवों में जंगलात में अपने डिमार्केशन लाइन गांव के घरों के पास भी लगादी है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे गांवों की सूची दें ।

( ३ ) क्या यह सही हैं कि गांव हवाला बवड़ा, गोलेका, डोड़ावली, भसेड़ा बडी आदि जंगलात की पत्थर गढ़ी घरों के पास आगई है जिससे आये दिन जानवर पकड़े जाते हैं और लोग परेशान हैं ?

( ४ ) क्या यह सही है कि ग्राम भेंसड़ा में मेवाड़ सरकार के समय जो जंगलात की लाईन थी उसे बाद में राजस्थान सरकार ने जंगलात कराई और जंगलात की सीमा को बढ़ा दी है जिससे उनकी चरणोट की जमीन भी अन्दर आ गई है ? क्या सरकार जिन-जिन गांवों की चरणोट की जमीन जंगलात में आ गई है उसे वापस छोड़ने का आदेश देने का विचार रखती है ?

**उप-मंत्री, वन** ( श्री निरंजननाथ आचार्य ) : ( १ ) जी नहीं ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

( २ ) जी नहीं।

(३) जी हां। किन्तु पत्थर गढ़ी के समय पर डिमार्केशन लाइन घरों से लगभग एक मील दूरी पर थी पर अब आबादी व कृषि बढ़ने से गांव डिमार्केशन लाइन तक आबाद हो गये हैं। लोगों के परेशान होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं आयी है।

( ४ ) जी नहीं। ग्राम भैंसड़ा में राजस्थान सरकार ने सीमा नहीं बढ़ाई है। चरनोट की जमीन जंगलात के ब्लाकों में आने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री जोधसिंह चौहान** : क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि गिरवा तहसील के कई गांवों में डिमार्केशन लाइन गांवों के घरों के पास भी लगादी हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री जोधसिंह चौहान** : क्या गांव हवाला, बवडा, गोलेंका, डोडावली, भसेड़ा बडी आदि जंगलात की पत्थर गढ़ी घरों के पास आगई हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जैसा कि मैंने अर्ज किया आबादी के पास डिमार्केशन लाइन आ गई हो, यह बात नहीं है। डिमार्केशन लाइन उनके पास नहीं गई है।

**श्री जोधसिंह चौहान** : घरों के इतनी नजदीक लाइन आ गई है कि पशु–घर से निकलते ही सीधे उसमें चले जाते हैं और उसे ६), ८) रुपया फाइन देना पड़ता है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इस प्रश्न पर विचार करूंगा।

**श्री दिग्विजयसिंह** ( उनियारा ): क्या इस सम्बन्ध में जिला परिषद् और पंचायत समिति ने मांग की है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

**श्री जोधसिंह चौहान** : आपके सामने तथ्य रखें जांय तो क्या आप विचार करेंगे ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : तथ्य आयेंगे तो जरूर विचार करूंगा।

**श्री जोधसिंह चौहान** : जब यहां पर सब माननीय सदस्यों जो तथ्य रख रहे हैं वे काफी नहीं हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: पर्याप्त हैं।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : हम जो शिकायत कर रहे हैं वह क्या तथ्य नहीं है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपने कहा डिमार्केशन लाइन के घरों के पास जाने की। डिमार्केशन लाइन गांवों पर डाल दी गई, यह गलत है।

**श्री अध्यक्ष** : आप गम्भीरता से इन प्रश्नों को लें।

**श्री दिग्विजयसिंह** : आपने कहा शिकायत नहीं आई है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, देवाली भडेसा के निवासियों ने शिकायत नहीं की ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : शिकायतों के सम्बन्ध में आपने क्या आदेश दिये हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह अलग से प्रश्न है इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : आपके सामने मैंने तथ्य रखे थे जंगलात के काटने के, क्या आपने उन पर ध्यान दिया है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : मेरी फाइल पड़ी है आपके पास ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : वह तो व्यक्तिगत प्रश्न है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : जंगलात का सवाल रेबारियों से सम्बन्धित है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : आपके पास इनकी व्यक्तिगत फाइल कैसे आ गई ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपके सहयोग से प्राप्त हुई है।

**श्री अध्यक्ष** : जो व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाते हैं उनको आप व्यक्तिगत मान लेते हैं और उसको चार महीने तक रख भी लेते हैं। व्यक्तिगत मामलों में ऐसा करना भी चाहिए।

नेक्स्ट।

**बाड़ा खेड़ा जोड़ की आमदनी, सिरोही**

४२६. **श्री रविशंकर याज्ञनिक** : (पिंडवारा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सिरोही के बाड़ा खेड़ा जोड़ की आमदनी सन् १९५०-५१ से १९६२-६३ तक प्रतिवर्ष कितनी हुई ?

(२) सन् १९६१-६२ एवं ६२-६३ में आमदनी क्यों बढ़ी ?

(३) सन् १९५० से १९६३ तक किस किस वर्ष कौन कौन रेन्जर रहे ?

(४) १९६१ के पहले बाड़ा खेड़ा जोड़ की आमदनी कम रहने का क्या कारण है ? जबकि दूसरे सभी जोड़ों की आमदनी बढ़ी है ?

(५) क्या यह सही है कि यह आमदनी पहले के रेन्जर के तबादले के बाद बढ़ी है ?

**उप-मन्त्री, वन** (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) नक्शा संलग्न है।

(२) सन् १९६१-६२ व ६२-६३ में बाड़ा खेड़ा जोड़ पर अच्छी बोली लगने का कारण बहुत सी अन्य बीड़ों का पंचायतों व गौशाला द्वारा त्रिवर्षीय औसत आय पर लेना है। इससे ठेकेदारों को बेचे जाने वाली जोड़ों में कमी हो जाने से कॉम्पीटीशन अधिक हुआ और बोली अच्छी आई।

(३) रेन्जर्स निम्न प्रकार रहे :

सन् १९५०-५१ से १९६१-६२ (पार्ट) तक श्री विजयसिंह व सन् १९६१-६२ (पार्ट) से आज तक श्री पुखराज तातेड़।

(४) जैसा कि प्रश्न संख्या २ के उत्तर में बताया गया है सन् १९६१-६२ से आमदनी अच्छी होने का कारण ठेकेदारों में प्रतिस्पर्द्धा थी; बाड़ा खेड़ा की आमदनी भी बढ़ी है जैसा कि संलग्न नक्शे से विदित होगा।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(५) जी नहीं, सन् १९६१-६२ के नीलाम तक श्री विजयसिंह ही रेन्ज आॅफीसर थे। आमदनी बढ़ने का मुख्य कारण ठेकेदारों में स्पर्द्धा थी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(विद्युत प्रकाश अदृश्य होने पर)

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): या तो लाइट को ठीक कराया जावे या फिर सदन को एडजोर्न कर दिया जावे।

(और भी अनेक सदस्यों ने एक साथ कहा—अश्रव्य)

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): अगर यही स्थिति है बिजली की कि कभी आई, कभी गई, तो घण्टे दो घण्टे के लिए, जब तक कि बिल्कुल ठीक न हो जावे, सदन को स्थगित कर दिया जावे। ऐसे काम कैसे चल सकता है।

**श्री अध्यक्ष**: मन्त्री महोदय पता लगाने गए हुए हैं अगर फिर भी सम्भव नहीं हुआ तो स्थगित कर दिया जावेगा थोड़े टाइम के लिये।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य**: पहले ही चश्मा लगाते हैं, फिर ऊपर से यह हाल है तो बड़ी दिक्कत है।

**श्री अध्यक्ष**: फिर भी आप अच्छा देख लेते हैं।

**श्री रविशंकर याज्ञनिक** (पिंडवारा): अध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदारों में स्पर्द्धा तो हमेशा होती है। फिर क्या वजह है कि इन्हीं सालों में ये बढ़े हैं?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य**: स्पर्द्धा से मेरा मतलब कॉम्पीटीशन से है। तो ठेकेदार ज्यादा थे। आपस में कॉम्पीटीशन हुआ उससे हमारा अमाउन्ट बढ़ा।

**श्री रविशंकर याज्ञनिक**: यह बात नहीं है। कॉम्पीटीशन में तो ठेकेदार वैसे ही हर साल आते हैं। इसका मुझे पता है। इसका कारण वह रेन्जर है। उस रेन्जर को वापिस नहीं लगाया गया है।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य**: मैं व्यक्ति विशेष को आधार नहीं मानता। नक्शे हैं मेरे पास। कुछ तो माल की अधिक मांग थी मार्केट में, और फिर कॉम्पीटीशन की भावना ठेकेदारों में आई इसलिये अमाउन्ट ज्यादा बढ़ा। आदमी इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न समाप्त हुए।

(३.४३ म. प.)

## शक्कर वितरण सम्बन्धी ध्यान-आकर्षित करना

श्री दुर्गालाल बाढ़दार शक्कर के वितरण के सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षित करने का नोटिस प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में सर्व श्री भीमसेन, उमरावसिंह, हीराभाई, रामकिशन, रामानन्द अग्रवाल, ज्वालाप्रसाद, भैरोंसिंह, सतीशचन्द्र अग्रवाल, सागरमलजी ने भी इस विषय पर अन्य नोटिस भेजे और हैं वे माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी माननीय मन्त्री महोदय से लेना चाहते हैं।

(पुनः विद्युत-प्रकाश अदृश्य)

**श्री रामकिशन** (वैर): एक मेरा भी था, साहब चीनी पर ही।

श्री अध्यक्ष : जी हां, आपका भी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): अध्यक्ष महोदय, खाद्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने से पहले मैं आपका ध्यान और विद्युत् मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि मेरे जैसे माइनस ६ का चश्मा लगाने वाले के लिये इस बिजली के गुल होने और बार बार गुल होने के सम्बन्ध में कुछ किया जाय। यह तो बिजली का मखौल सा हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आपकी आवाज सुन तो ली गई है।

(विद्युत-प्रकाश के पुनः आ जाने पर)

लीजिये आपकी सुनवाई हो गई है तत्काल।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यदि आप सभी हमारी सुनवाई पर इसी प्रकार ध्यान दे दिया करें तो बहुत अच्छा रहे।

तो अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३६ के अन्तर्गत, चीनी के राशन कार्ड व वितरण से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्कर के वितरण के सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मोशन के जरिये मेरा व सदन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है। इससे पहले भी एकाध प्रश्न सदन में पूछे गये थे और उस वक्त मैंने कुछ प्रकाश इस प्रश्न पर डालने की चेष्टा उस समय भी की थी।

सदन के कुछ और माननीय सदस्यों ने भी, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनके बारे में जिक्र किया, अपने अपने इलाकों में होने वाली शक्कर के वितरण और उपलब्धि सम्बन्धी पेचीदगियों और तकलीफों की ओर ध्यान दिलाया।

इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं सभी सदन के माननीय सदस्यों को कि इस प्रश्न को एक कन्टेस्ट में देखने और समझने की जरूरत है।

शक्कर की कमी आज सारी दुनिया में महसूस की जा रही है। केवल हमारी देश में ही नहीं। यह एक इन्टरनेशनल शोर्टेज शक्कर में आई हुई है। अमेरिका जैसे देश में भी, जब हम वहां गये, तो हमने यही देखा। वहां भी शोर्टेज थी, यूरोप के अन्य देशों में भी थी, आस्टेलिया में भी हमने यह शोर्टेज देखी। दुनिया के जिन थोड़े से शुगर पैदा करने वाले देशों में जो कई सालों से शुगर का स्टॉक पड़ा था उसकी डिमान्ड काफी ऊंचे भावों पर इन्टरनेशनल मार्केट में हो गई और छोटे-छोटे एग्रीकल्चरल कन्ट्रीज जैसे क्यूबा ने इस तेजी में काफी पैसा कमाया। उस क्यूबा का रशियन गवर्नमेन्ट के साथ में एक एग्रीमेन्ट है शक्कर के बारे में। तो आज इन्टरनेशनल मार्केट को इतना तेज देखकर उसने रशियन गवर्नमेन्ट से भी फ्रीडम चाही है कि शक्कर का वह उससे कम कोटा ले क्योंकि उसे इन्टरनेशनल मार्केट में आज शक्कर की बहुत ज्यादा कीमत मिल रही है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो यह सब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि दुनिया भर में शक्कर की इस सीज़न में कमी महसूस की जा रही है और इस कारण इसकी प्राइसेज़ दुनिया भर में ऊंचे चले गये हैं और कई कन्ट्रीज़ में तो काफी ऊंचे गये हुए हैं और वहां पर भी इस स्थिति को किस तरह से कन्ट्रोल किया जावे इस बारे में सारे देश की सरकारें सोच रही हैं।

इसका असर हमारे देश पर भी पड़ा। जो पिछली बार हमारे यहां शुगर का प्रोडक्शन हुआ वह करीब-करीब हमारे यहां की रिक्वा-रमेन्ट के लगभग था। हमारे यहां लगभग २६–२७ लाख टन का कन्जम्पशन है। इतना स्टाक और प्रोडक्शन इस सीज़न तक हमारे देश में था। पर चूंकि शुगर का इन्टरनेशनल मार्केट इस सीज़न में बहुत अच्छा है और जैसा आप सब जानते होंगे कि हिन्दुस्तान में जो शुगर प्रोड्यूस होती है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट वर्ल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट के मुकाबले में ज्यादा पड़ती है, इसलिये यहां की शुगर का मार्केट में जाना, इन्टरनेशनल मार्केट में दूसरी शुगर प्रोडक्शन करने वाली कन्ट्रीज़ के कॉम्पीटीशन में जाना नार्मल समय में सम्भव भी नहीं था। ऐसी स्थिति में जब की इन्टरनेशनल शुगर मार्केट की प्राइस बहुत ऊंची आई है और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऊंची रहते हुए भी इसी ऊंची रेट में हमें कुछ फोरेन एक्सचेन्ज मिल सकता है इस दृष्टिकोण से हमने यह निश्चय किया, यानि भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि एक निश्चित क्वान्टिटी, क्वान्टिटी तो मुझे मालूम नहीं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पांच लाख टन के लगभग।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो पांच लाख टन के करीब शुगर हिन्दुस्तान से दूसरे देशों को भेजने का तै किया, क्योंकि इमर्जेन्सी के तुरन्त बाद जैसा आप भी स्वीकार करेंगे इस देश में जिसमें हमेशा से फोरेन एक्सचेन्ज की दिक्कत रही है और इमर्जेन्सी के बाद तो और भी दिक्कत बढ़ गई थी, तो उसको एक सीमा तक हल करने के लिए, और वह हल करना जरूरी था इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, देश का एक-एक नागरिक आज इस मौके पर यह चाहता भी है कि जितनी अधिक फोरेन एक्सचेन्ज उपलब्ध कर सकें हमारी इमी-जिएट डिमांड पूरी करने के लिए की जाए, हमने शुगर का इतना कोटा बाहर भेजना तय किया। इसके लिए देश के लोगों को त्याग करना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफें भी उठानी पड़ेंगी और इस हिसाब से आम लोगों को अपने नॉर्मल कन्जम्पशन में कुछ कमी करनी पड़ेगी।

इस हिसाब से इस दृष्टि को सामने रख कर भारत सरकार ने शुगर के मार्केट पर कन्ट्रोल और रेस्ट्रिक्शन लगाई। उसने इसके लिए सारे देश में अलग-अलग स्टेटों का एक कोटा निश्चित कर दिया और कह दिया कि देश की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे इस कोटे में अपना काम चलावें।

मैं निवेदन करूं कि इसी तरह से राज-स्थान के लिए भी कोटा मुकर्रर किया गया। आज से ढ़ाई–तीन साल पहले भी ऐसी स्केअर-सिटी की स्थिति हमारे यहां देश में आई थी। उस समय भी भारत सरकार ने शुगर की कमी को पूरा करने के सिलसिले में कुछ कदम उठाये थे और वे भी इस स्टेटवाइज़ कोटा अलॉटमेन्ट के रूप में थे। तो ६१ के अप्रेल और मई के महिने में राजस्थान के लिए जो कोटा फिक्स किया गया था वह पहले कम था

( श्री नाथूराम मिर्धा )

करीब सात हजार टन के लगभग था। फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने ज्यों ज्यों देश के हालात शुगर के बारे में सुधर रहे थे, कुछ आगे की क्राप्स के बारे में कुछ फेवरेबल सर्कमस्टान्सेज़ दिखाई देते थे हमने भारत सरकार से कहा कि हमारा कोटा शुगर का कम है और हमको कुछ ज्यादा कोटा दिया जाये। तो अल्टीमेटली मई और जून के महीने में राजस्थान का शुगर का कोटा उस समय ८॥ हजार टन का मुकर्रर किया था और उस समय हमने उस परिस्थिति को और कम करने के लिए यह कोशिश की कि उसका वितरण जितना भी हो उसको ठीक ढंग से किया जाये। वैसे नार्मल केस में राजस्थान में शुगर का कन्जम्प्शन होता है....

(पुन : विद्युत प्रकाश अदृश्य)

**श्री मुरलीधर व्यास** : कार्यवाही स्थगित कर दी जाये, बिजली नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : बहुत गर्मी है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आ जायेगी, अभी। राजस्थान के रहने वाले हैं, क्या हुआ ? मैं कहूँगा कि किसान और हम सब धूप के और गर्मी के आदी हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि ८॥ हजार टन के कोटे में भी हमें काफी तकलीफें महसूस होती थीं और नार्मल कोर्स में राजस्थान का पूरा आंकड़ा तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया हूं लेकिन जैसा मुझे मालूम पड़ता है कि राजस्थान का जो स्टेन्डर्ड इन पिछले महीनों में ः का कन्जम्पशन जितना राजस्थान को नार्मल ट्रेंड में चाहिए वह १२–१३ हजार टन के करीब चाहिए और इस समय जब कि १२–१३ हजार टन के कोटे में जो कोटा अभी राजस्थान के लिए फिक्स किया गया है वह सिर्फ ६ हजार टन का है और यह कोटा १२ हजार टन के मुकाबिले में, आप एहसास करेंगे, कि आधे के बराबर है। अब इतने कम कोटे के अन्दर जो हमारी डेली नेसेसिटीज़ हैं और शुगर का जितना कन्ज़म्पशन है हलवाइयां मिठाई बनाते हैं, चाय के लिए शुगर, दूध के लिए शुगर, बच्चों के लिए शुगर और जो अपने खाने का तरीका है उसमें शुगर का जितना एलीमेन्ट है उतना नार्मल तरीके से हम कन्ज्यूम करते रहे और यह आशा करके चलें कि उतनी ही पहले जैसी सहूलियतें मिलती रहें तो यह कतई सम्भव नहीं है। हमको यह मानकर चलना पड़ेगा कि देश में चीनी की कमी है और कुछ न कुछ त्याग और सेक्रीफाइस की आवश्यकता रहेगी। इसलिए इसका बंटवारा चाहे हम जितना एफीशियेन्टली करें, मैंने पहले निवेदन भी किया था कि शुगर के इतने कम कोटे में यह भी कर दें कि राशनकार्ड का सिस्टम कर दिया जाये, कन्ट्रोल कर दिया जाय और नई मशीनरी को इसके लिए सेट अप किया जाय और ठीक वितरण किया जाय तो वह ऐसी चीज सोचते हैं कि इतना बड़ा एक्सपेन्डीचर करने में भी डिफिकल्टीज़ कम नहीं हैं। क्योंकि कन्ट्रोल के समय की डिफिकल्टीज़ को आप लोग सब जानते हैं और वह आपसे छिपी हुई नहीं हैं। तो हम इन पेचीदगियों में नहीं पड़ना चाहते हैं। कलेक्टर्स को हम उस हिसाब से कि उनके इलाके की क्या पॉपुलेशन है उसमें कितने बड़े-बड़े शहर हैं क्योंकि आप यह मानकर चलें कि आज के युग में आप सब चाहते हैं कि गांवों और शहर में डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए

( श्री नाथूराम मिर्धा )

क्योंकि देश के सब नागरिक बराबर हैं। लेकिन जो प्रेक्टीकल बात है वह सब जानते हैं कि शहर के लोगों की कन्ज़म्पशन करने की कैपेसिटी गांव के लोगों के मुकाबिले में कुछ ज्यादा है। गांव वाले लोग तो कुछ गुड़ भी काम में लेते हैं, देशी चीनी और कड़कड़ खांड जिसको कहते हैं वह भी काम में लेते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं खुद महसूस करता हूँ कि गांव और शहर वालों के बीच में डिस्टिंक्शन आज के युग में नहीं हो सकता जैसा कि पहले होता था। इसलिए इतने कम कोटा में गांव और शहर वालों को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सन्तोष दिलायें इसका भी ध्यान हमें रखना होता है। हलवाइयों की मांग आती है कि उनका कोटा बढ़े। पहले के मुकाबिले में कोटा मुकर्रर करने लगें तो उनकी डिमाण्ड को मीट नहीं कर सकते और जो हमारे घरों में नोर्मल कन्ज़म्पशन की डिमाण्ड है उन सारी चीजों को नॉर्मल वे में नहीं चला सकते.......

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : आप तो मंत्रियों की दावत बन्द कीजिए।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मेरे ख्याल से बन्द हैं और मीठा अब दावतों में होता नहीं है। अगर आपको मंत्रियों से ही संतोष होता है तो मैं अपील करूंगा कि इन दिनों में मिठाई खाना बन्द कर दें और मैं प्रेक्टीकली इस बात को खुद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हमारे देश में शुगर की तकलीफ है उसको हम सब अहसास करते हैं। कोई खांड खाने से मोटा नहीं हो जायेगा ...

**श्री रामकिशन** (वैर) : खांड खाने से मतलब तो और ही कुछ निकलता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हमारे मारवाड़ी में तो चीनी खाने से मतलब है।

**श्री रामकिशन** : खांड खाने से मतलब यह है कि कोई ससुराल में जाता है तो उसको खांड दी जाती है। कहीं ऐसा तो आपने नहीं सोच लिया है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप तो बैठ जाइये, बस।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नॉर्मल से हमारी कन्डीशन आधी है और शुगर के वितरण में जैसी हालत और सहूलियतें पहले थीं वे अब नहीं मिलेंगी.......

**श्री केसरीसिंह** ( पाली ) : Point of information Sir, क्या यह सही है कि १९६१ के कोटा में ८॥ हजार मन पांती आता था उतना गवर्नमेन्ट ने नहीं लिया और ५ हजार टन ही लिया जिसकी वजह से यह शुगर की कमी हुई।

**श्री नाथूराम मिर्धा** ; आप निश्चित रहिये। ६ हजार टन कोटा हमें दिया है और राजस्थान गवर्नमेन्ट ने एक मन कोटा लैप्स नहीं होने दिया है। एक मन भी हमने हर महीने में नहीं छोड़ा है क्योंकि एक वैगन या एक बोरी भी अगर कोटा की रह जाती है तो वह कोटा लैप्स हो जाता है और राजस्थान ने अपनी मांग को इस तरह से गियर-अप कर रखा है कि एक मन का कोटा भी राजस्थान को महीने के महीने जो मिलता है उसको लैप्स नहीं होने दिया है ....

**श्री केसरीसिंह** : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो कोटा बांधा वह १९६१ के मुताबिक बांधा ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अगर बांधते तो हमें भी ८।। हजार टन देते। हमारी भी मजबूरियां हैं। हम भी उनको कितना ही जोर देकर कहेंगे उनके जितनी कोठार की गुंजाइश है उसके मुताबिक ही देंगे। हमने भारत सरकार को अब भी कहा है कि राजस्थान को कम दिया है। उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए हमें इन परिस्थितियों को समझना है। सब लोगों को समझाना है कि ज्यादा से ज्यादा शुगर हमको मिल सके, उसका हम उपयोग करें और वितरण के बारे में हलवाइयों को भी तकलीफ होगी, बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को बच्चों के लिए त्याग करना चाहिए, उनको दूध में हम चीनी दें चाहें हमको मिले या न मिले। यह मौके राष्ट्र में कभी कभी आते हैं और उनको बरदाश्त हमको करना चाहिए। उसके लिए गांवों में कमी रहती है क्योंकि कार्ड बनाकर वितरण करने में पेचीदगियां होती हैं, तो इस तकलीफ को आप और हम सब को भुगतनी हैं और इसको हम सभी महसूस करते हैं। इसलिए हमारी तरफ से हमने यह कह रखा है कि इसका बैस्ट मौके पर अगर कोई जज हैं तो वह कलेक्टर है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात और खुशी की बता दूं कि अभी दीवाली और दशहरा आ रहे हैं और इसके लिए ६०० टन शुगर और ज्यादा मिली है। इसलिए इस मौके पर कुछ लोगों को और ज्यादा राहत देने की कोशिश करेंगे कि लोगों को शुगर का कोटा ज्यादा दिया जा सके। इसके अलावा हमारे आगे के शुगर के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नजर आते हैं और हमारे स्टॉक की कुछ पोजीशन अच्छी हो और कोटा बढ़े तो जितनी तकलीफ गांव वालों को या शहर वालों को महसूस होती है उसमें कुछ कमी होगी। मैंने इतनी बातें, इन्टरनेशनल से लेकर इस बात तक इसलिए निवेदन कीं कि जो माननीय सदस्य है वह इसकी अहमियत को समझ जायेंगे। तो वह लोगों को ढंग से समझाने में और जैसा-जैसा आपने कहा है उसको मन्जूर करने के लिए तैयार हूँ और यह कमी हमारी कोई लॉग चलने वाली नहीं है। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

**श्री अध्यक्ष** : केवल वे ही माननीय सदस्य बोलें जिनके नाम मैंने बताए थे।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस चीनी के वितरण और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित किया। उसका निराकरण करने की चेष्टा जिस प्रकार से की गई है तो केवल यह बताया जाता है सदन के सामने कि कोटा का जो अलॉटमेंट होता है राजस्थान स्टेट को और जितनी चीनी की आवश्यकता होती है, उस दृष्टिकोण से उतना कोटा नहीं मिलता है और यह एक क्षणिक कष्ट है, जिसे सहन करना चाहिए। मुझे निवेदन करना है इस क्षणिक कष्ट को सहन करना जानता जानती है। देश पर संकटकालीन स्थिति है और जनता इस बात को समझती है। मेरी मन्शा आपसे एक्स्प्लेनेशन मांगने की नहीं थी। मुझे तो इसके वितरण के ढांचे पर कहना था। सबसे पहले जब चीनी खुले बाजार में बिकती थी तो केंद्रीय सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से यह घोषणा की गई है कि कुछ चीनी इस देश के बाहर भेजी जा रही है, उसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में चीनी महंगी हो गई।

**श्री अध्यक्ष** : जो आपकी दिक्कतें हैं वितरण के संबंध में, उन पर बोलें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं उसी पर आ रहा हूं ।

तो आपने राशन कार्ड का सिस्टम चलाया । इसका मूल आधार जयपुर शहर में मलेरिया के कार्ड्स को बनाया और निश्चय किया गया कि जितनी एन्ट्रीज़ इन कार्ड्स में होंगी उतने ही मैम्बर्स एन्टर किए जायेंगे । लेकिन यह बात आप भी जानते हैं और आपका सारा स्टाफ इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके नाम इन मलेरिया कार्ड्स में एन्टर्ड नहीं हैं। तो उन लोगों के सामने यह दूसरी दिक्कत आने लगी । आपने एक दूसरा तरीका निकाला कि किसी एम.एल.ए. या किसी आॅफीसर से अटेस्टेशन करा लें, वेरीफाई करालें, वे यदि रिकमेंड करदें तो इसके बाद में उसका चीनी का कार्ड बन जायगा । उन पर लिखा था कि जो कोई गलत डिक्लेरेशन देगा वह खुद इसके लिए जिम्मेदार होगा । लेकिन इस अटेस्टेशन के कारण लोगो को ६-६ बार घर से एम.एल ए. के पास और वहां से दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बराबर परेशान होते हैं । आज अपने दफ्तर से पता लगाइये । आज भी सैकड़ों इन्सान हैं जो वहां जाकर क्यू लगाते हैं । साधारण स्थिति के आदमी को एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है और उस दिन की तनख्वाह कट जाती है, मजदूर की मजदूरी कटती है, फिर भी उसको आसानी से कार्ड नहीं मिलता । मैंने अधिकारियोंसे मिलने की चेष्टा न की हो तो यह बात गलत है, मैंने अधिकारियों को भी ऐप्रोच किया, अपनी तरफ से सुझाव भी दिए, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ और जनता बराबर तकलीफ पा रही है ।

अब वितरण को लीजिए । एक तरफ तो राज्य सरकार इस बात को प्रोत्साहन देना चाहती है कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ जितनी बन जायं उतना अच्छा है और हम उन सोसाइटीज़ के द्वारा चीनी और अन्य खाद्य वस्तुओं का वितरण करेंगे । इसी भावना को लेकर इन सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है । लेकिन आप उनको चीनी किस तरह से देते हैं । मेरे क्षेत्र में कम से कम जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको आप २५ बोरी का कोटा अलाॅट करते हैं, उससे कम नहीं देना चाहते हैं । अब एक साधारण स्थिति की समिति पांच बोरियों के रुपये जमाकर नई बोरियां ले सकते हैं, लेकिन २५ से कम नहीं लेते हैं । सोसाइटियों को आश्वासन दिया जाता है कि १०० मेम्बर बनने पर सोसाइटी को रजिस्टर किया जायगा । २५० रुपये देकर मेम्बर बनना पड़ता है,१००० रुपये देकर सेंट्रल कोआॅपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बनना पड़ता है । तो मैंने अधिकारियों को निवेदन किया आप ५ बोरी दे दें इन सोसाइटीज़ को, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है । इसके बाद दूसरी १०–१५ बोरियों का कोटा अलाॅट करदें । लेकिन अधिकारियों की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर सोसाइटी चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो उनको संसार में जीने का अधिकार नहीं है, ऐसी सोसाइटी का अंत कर देना चाहिए ।

एक तरफ तो आप सोसाइटीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप वितरण इस तरह से करना चाहते हैं । आप सोसाइटीज़ को बंद कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं; लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इतने बड़े शहर में केवल ८० दूकानें चीनी की खोली गई हैं । वितरण के सम्बन्ध में आपके अधिकारियों की हिदायतें हैं कि एक दूकान ५००० आदमियों से ज्यादा कार्ड रजिस्टर नहीं कर सकती । कुछ दूकानों पर यह बात देखने में

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

भाई है कि कार्ड रजिस्टर कर लिए और कुछ अपने भाई-बन्धुओं के लिए जगह छोड़ देते हैं, सिर्फ अधिक चीनी प्राप्त करने के लिए। अब आप देखिये छंटाक भर चीनी या पाव भर चीनी प्राप्त करने के लिए आदमी को दस चक्कर एल. एल. ए. के पास लगाने पड़ते हैं, बीस चक्कर कलेक्टर के पास लगाने पडते हैं।

तो ये जो कठिनाइयां आती हैं चीनी के वितरण में और राशन कार्ड के बनाने में, इस ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि कम है या ज्यादा। यह तो हम भी जानते हैं कि हमारे देश पर संकट है। लेकिन जो कुछ मात्रा दी जाय वह इस तरह से दी जाय कि हम आराम पा सकें। आप कृपा करके स्पष्टी-करण करने की चेष्टा करें और हो सके तो उचित इन्तजाम करें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : मैं कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

**श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो भी कोटा मिले उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। शहरों में भी अच्छी मात्रा मिल जाय और कुछ गांवों में भी मिल जाय और बाकी गांव यों ही रह जाते हैं। जितनी भी सरकार कोटा दे उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाय।

**श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया** (बनेड़ा) : मैं आपके द्वारा कुछ सुझाव मंत्री महोदय को इस बारे में देना चाहता हूँ। सवाल इस बात का है कि आज जिस तरह से शक्कर का भाव निर्धारित किया जाता है, उसमें जो थोक व्यापारी हैं उनको १।।) रुपया बोरी पर मुनाफा दिया जाता है और खुदरा व्यापारी को ८ आना बोरी मुनाफा दिया जाता है, जब कि थोक व्यापारी को सिर्फ ३-४ दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि ज्यों ही माल आजाता है, खुदरा व्यापारी उसे उठा लेता है। इस तरह से जल्दी पैसे थोक-फरोश के पास आ जाते हैं और वे मेहनत भी ज्यादा नहीं करते। इन लोगों के लिए १।।) रुपया फिक्स किया गया है और जिन लोगों को सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है और खुद बैठकर एक-एक और दो-दो किलो बेचना पड़ता है, उन लोगों को ८ आने मुनाफा दिया जाता है। यह बहुत कम है, इसलिए उनका मुनाफा बढ़ाना चाहिए।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा के कलेक्टर महोदय के सामने जिस वक्त यह बात हुई तो दो व्यापारी जो खुदरा-फरोश थे उनके बीच झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि हमको थोक फरोश का लाइसेंस दीजिए हम दस हजार रुपये डिफेन्स फंड में देने को तैयार हैं और एक रुपया बोरी पर मुनाफा लेने दीजिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आदमी डिफेंस फंड में दस हजार देने को तैयार हो जाता है उसको कितना मुनाफा होने की आशा है। यह जो स्केल तय की गई है वह अनुभवहीनता की बात है, तो मेरी राय में खुदरा-फरोश को ज्यादा और थोक फरोश को कम मुनाफा मिलना चाहिए।

इसके अलावा इसके वितरण के लिए विजिलेन्स कमेटियां बनाई गई हैं। मैं भीलवाड़ा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूँ। वहां पर उस कमेटी में २१ मेम्बर्स हैं जिनमें से १८ मेम्बर खास भीलवाड़ा के हैं उनमें से १३ मेम्बर्स वहां के व्यापारी हैं। इसके अलावा कलेक्टर के जो दो आदमी हैं वे डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोग हैं। अब जो कोटा आता है उसका १।३ भीलवाड़ा-प्रोपर के लिए दिया जाता है। १५५ बोरियां हलवाइयों के लिए दी जाती हैं। जहां पर ८।। लाख का पोपुलेशन है वहां पर ६० हजार आदमियों के लिए १।३ और १५५ बोरियां हलवाइयों के लिए।

बाकी का जो बचता है वह सारे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर देते हैं। तो आप समझ लें, अध्यक्ष महोदय, कि इतनी १०० बोरी अगर २३, ४० या ५० हजार आदमियों को देदी जाय और बाकी के ८ लाख आदमियों के लिए सिर्फ ६० बोरी रहती हैं तो यह किस तरह का वितरण हुआ ? यह न तो समाजवादी व्यवस्था है और पूंजीवादी तो क्या उससे भी आगे के कदम की व्यवस्था होगी, ऐसा मैं समझता हूँ।

आप फरमायेंगे कि किसान लोग या गांव के रहने वाले लोग गुड़ खा लेते हैं। मैं इस सदन में पहले भी दो दफा शिकायत कर चुका हूँ और आज भी शिकायत करता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर कन्सर्न्ड की इसमें जो अभूतपूर्व गलती इस प्रकार की रही है कि उन्होंने डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट का उपयोग उन लोगों के लिए नहीं किया है जिन लोगों ने ज्यादा मुनाफा कमाया है। गुड़ का भाव आपको पता नहीं कि जब शक्कर का भाव बढ़ा या कन्ट्रोल हुआ या कमी हुई उस समय गुड़ का भाव १६) रु० मन था और आज गुड़ का भाव ४०) रु० मन है। क्या उन व्यापारियों को गिरफ्तार किया है डिफेंस ऑफ इन्डिया एक्ट के तहत ? क्या उनको जेल में धरा है ? नहीं, बल्कि १६) रु० से चलकर ४०) रु० तक बेचकर मुनाफा कमाने की उन्होंने छूट दी है। इसलिए किसान एक सेर का गुड़ लेकर नहीं खा सकता है। वहा १ रु० २१ न० पै० सेर की शक्कर लेकर खाने को तैयार है। इसलिए आज गांवों में शक्कर चाहिए। आज यह होना चाहिए कि शहर वाले शक्कर न खाकर इस भाव का गुड़ खायें और जिन्होंने अभी तक गुड़ खाया है या जो लोग गुड़ पैदा करते हैं उनके लिए त्याग-तपस्या शहर वाले करें और उन लोगों को सस्ते भाव की चीज खाने को मुहैया करें। यह कहकर कि शहर वाले ही सब कुछ खाना जानते हैं; उन्हें ही जीने का अधिकार है, गांव वाले नहीं रखते हैं। आप फैसला देते है कि भीलवाड़े के लिए १/३ कोटा दिया जाय।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि १५५ बोरी हलवाई कन्ट्रोल से शक्कर लेकर मिठाई बनाते हैं तो फिर जब कि कन्ट्रोल हुआ था उस समय मिठाई का भाव ढ़ाई रुपये सेर का था और आज ४ रुपये सेर है। कन्ट्रोल की शक्कर देने पर भी वे मिठाई का भाव बढ़ाते हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि वे उसका ब्लैक करते हैं और आपने उनको ब्लैक करने की छूट भी दे दी। इसीलिए जब कभी मंत्री महोदय जाते हैं तो हलवाई लोग उनको पार्टी देते हैं। इस तरह की बातें हैं कि एक जगह तो हलवाइयों को खूब शक्कर दे, १५५ बोरी और दूसरी जगह एक बोरी भी नहीं दें, वहां के हलवाइयों को नहीं दें, होटल वालों को नहीं दें। तो इस तरह की यह जो वितरण व्यवस्था है वह बहुत ही दूषित है। इस कारण आज सारी जगहों पर शक्कर

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

के लिए हाहाकार है। वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। गुड़ पर कन्ट्रोल नहीं है। जब हमको यह मालूम था कि शक्कर का कन्ट्रोल करना पड़ेगा तो इसके ऊपर भी निगाह होनी चाहिए थी कि वास्तव में १६) मन का गुड़ लेकर ४०) मन में बेचने वाला मुनाफाखोरी करता है, उनके खिलाफ शिकायतें करते हैं यहां तक कि आज भी १६ मन का खरीदा हुआ गुड़ आज भी एक एक आदमी के पास हजारों मन पड़ा हुआ है और वह आज उसको ३८) व ४०) मन बेच रहा है। इसकी ओर माननीय गृह मंत्रीजी का और इसके मंत्रीजी का ध्यान नहीं जायगा। इनका ध्यान डिफेन्स ऑर्डिनेन्स के तहत किसी और ही जगह होता है। किसी ने एक ब्लेड का ५ नये पैसे के बजाय ६ नये पैसे ले लिये तो उसको हाथ में हथकड़ियां डाल कर निकालेंगे, लेकिन इन गुड़ के व्यापारियों के हाथ में हथकड़ी डालकर नहीं निकालेंगे जिन्होंने कि डबल से ज्यादा मुनाफा उठाया है।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि शक्कर की वितरण-व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ शहर वालों को ज्यादा दें, लेकिन यह तरीका नहीं हो सकता है कि ४०,००० को तो एक-तिहाई दे दें और ८ लाख को २।३, यह व्यवस्था अच्छी नहीं है।

आप फरमाते हैं कि कन्ट्रोल नहीं किया ज सकता। राशन कार्ड नहीं बनाये जा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि राशन कार्ड आपने जयपुर में बना रखे हैं। मैं यहां रह रहा । जयपुर में एक महीने की शक्कर लेने गया तो डेढ़ रुपया रिक्शे का दिया और १० दूकान पर घूमा हूँ, यह मेरे राशन कार्ड पर लिखा है कि आपका कोटा यहां पर नहीं है। तो उसके बाद १० वीं दूकान पर जो कि पुल के पल्ली तरफ है वहां जाकर डेढ़ रुपया रिक्शे पर खर्च करने के बाद एक महीने की शक्कर ६ महीने में मिली। जब कभी जाता हूँ तो कह देते हैं कि आज नहीं है। मैं अर्ज करूं कि जब राशन कार्ड बना दिया और जाने के बाद शक्कर नहीं मिलती है, उस शक्कर को कौन खा गया ? आपने ५००० की लिमिट बांध दी और ५००० का वह राशन ले गया तो ५००० में से १० आदमी गये और उनको इन्कार कर दिया तो १० आदमियों के राशन की शक्कर किसने खाई ? आखिर इस तरह की व्यवस्था में कहीं पर ढिलाई है। मैं कहना चाहता हूँ कि १९४५ के अन्दर कन्ट्रोल चलता था। उस वक्त अभी इस तरह की प्राइसेज् भी नहीं थीं। उस समय आज जितनी शक्कर मिलती है उससे कम मिलती थी और पॉपुलेशन का जहां सवाल है तो पॉपुलेशन भी कम थी, फिर भी ठीक तरह से वितरण होता था। वितरण की ढिलाई है। भावों के अन्दर नियन्त्रण करने की ढिलाई है। इन सब बातों को दूर करके एक योजनाबद्ध तरीके से शक्कर का वितरण किया जाय। कोई गरीब या अमीर हो, शहर वाला हो या गांव वाला हो इसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए वर्ना यह चीज़ वास्तव में लोगो के लिए बहुत दुखदाई है, खास तौर से गुड़ के भावों को लेकर या शक्कर के भावों को लेकर दुःखदायी हो रहा है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बड़ी सतर्कता से ध्यान दें।

यह जो वितरण कमेटियां हैं इनमें शहर के लोगों की भरती है, उनको खत्म किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, न तो उनमें कोई सरपंच हैं, न गांवों का कोई प्रतिनिधित्व ही है। न उनमें कोई प्रधान है, न प्रमुख है, न एम०

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एल०·ए० है, न एम०पी० है, सिर्फ व्यापारियों को भर रखा है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, आज जब चीनी-वितरण की समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है तो मजबूरी के साथ हमें मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का सहारा लेना पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहर वालों को शक्कर मिले और गांवड़े वालों को नहीं मिले या गांवड़े वालों को मिले और शहर वालों को नहीं मिले, उसमें ज्यादा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। पर सवाल यह खड़ा हुआ कि जब हमारे सामने एक तरफ संकटकालीन स्थिति है और दूसरी तरफ हम पक्षपात की एक धारणा पैदा करते हैं लोगों में, और जहां शक्कर वितरण में ५००० लोगों के लिए ५० या १०० बोरी देते हैं और ६०,००० लोगों के लिए १० या १२ बोरी दे दें तो आखिर में लोग कहने लगते हैं। हम भी जिधर गये उधर यही वातावरण हुआ कि हमको भगवान ने कहां पैदा किया कि जहां शक्कर खाने का मौका तो ठीक लेकिन शक्कर से स्वागत भी नहीं करने देती राजस्थान में यह प्रजातन्त्र की सरकार। जहां शहर वाले शक्कर खाते हैं तो वहां गांवड़े वालों के पास शक्कर स्वागत के लिए भी नहीं हो सकती। वह भी इस ढंग से कि एक तरफ संकटकालीन स्थिति है। एक तरफ तो वह व्यवहार है तो मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय देश पर हमला कराने की फिक्र में हैं। क्योंकि शक्कर का अभाव सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभाव हो और कुछ के लिए नहीं हो। शक्कर अगर प्रति मिनख एक किलो देते हैं शहर में तो वहां पर पूरी फेमिली के लिए, दो दो फेमिली एक एक घर में हैं तो महीने भर में उनको आधा किलो तो मिले। आधा किलो भी नहीं, २५० ग्राम हमारे कुशलगढ़ में रखा। यह परिस्थिति ऐसी रही तो मैं समझता हूँ हमारे गांवड़े लोगों को पशुओं की गिनती में ले लेंगे। हमको यह तो विश्वास दिलादो कि कब हमको पशुओं की गिनती से निकालोगे। यह सीधी सी बात है, वरना यह परिस्थिति इस तरह से सामने नहीं आती। जब शक्कर का वितरण होता है उसके बाद हमारे उधर की बात कह रहा हूँ, यहां की परिस्थिति ऐसी है कि शक्कर जहां तक सीधी रोड होती है, जहां मुख्य कार्यालय है वहां भेज देना चाहिये। सब-डिस्ट्रिक्ट कुशलगढ़ है रतलाम से उदयगढ़ होकर कुशलगढ़ शक्कर जाती है उसके बजाय कुशलगढ़ में दी। जाने वाली शक्कर की बोरियां कुशलगढ़ में ही दे देनी चाहिये। लेकिन पहले बांसवाड़ा ले जाते हैं और वहां पर दूसरी जगह को वितरण करते हैं। बांसवाड़ा की नगरपालिका उस पर ओक्ट्राय ले लेती है जब कुशलगढ़ में बोरियां आती हैं तब कुशलगढ़ की नगरपालिका ओक्ट्राय वसूल करती है। इसका नतीजा यह होता है कि जहां शहरों में १.१९ न. पै. के भाव से शक्कर मिलती है वहां हमारे यहां १.२६ न. पै. का भाव है। आज इतना फर्क हमारे प्रजातंत्र के जमाने में है। फिर हमारी सरकार कहेगी कि प्रजातंत्र गांधीवाद के साथ नहीं मेल खाता।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, शक्कर के काले बाजार को रोकने वाले अधिकारी हैं उनको टाइम पर शक्कर नहीं मिलती तो उन्होंने खोज करके २) रु०, २॥) रु० सेर शक्कर लेकर खाई तो वे कैसे कालाबाजार को रोक सकते हैं। शक्कर नहीं मिले तो मंत्री महोदय के भाई-बंधु ,

( श्री हीराभाई)

मैं कह सकता हूं कि उनके दोस्त, भाई या उनके शहर के बंधुओं ने सेठ लोगों को ऐसा मौका दिया कि जो गुड़ १० आना सेर मिलता था वह १॥) रु. २) रु. सेर हो गया। यह सरकार क्या काला बाजार रोक सकती है? हमने कई बार कलेक्टर साहब को लिखा। उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं टट्टी करूं तो टोकरी लेकर आ जाओ और उसमें टट्टी भर के जांच करलो कि मैं शक्कर खाता हूं या नहीं; अगर खाता हूं तो कहां से खाता हूं। इस तरह का जवाब हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। इस तरह के पूरी तरह से उदाहरण दे सकता हूं, जिम्मेदारी से दे सकता हूं। आज कुशलगढ़ नगरपालिका में थोड़ी बोरियां मिलने के बाद गांवड़ों में जब से शक्कर का कन्ट्रोल हुआ तब से एक छटांक भर शक्कर उनको नहीं मिली। सरकार शहर वालों के साथ पक्षपात करना चाहती है तो संकटकालीन स्थिति की दुहाई उसको नहीं देनी चाहिये। हमारी सरकार संकटकालीन स्थिति पैदा करने के लिये बहुत हद तक जिम्मेदार है। उसको अपनी नीति सुधारनी चाहिये। इस एरिया की स्थिति को सुधारनी है तो जहां पर सीधी रोड पड़ती है वहां पर शक्कर सीधी पहुँचनी चाहिये और अपनी नगरपालिकाओं को समझाना चाहिये कि ओक्ट्रॉय नहीं लगावें, नहीं तो जगह-जगह ओक्ट्रॉय लगने से मंहगी शक्कर मिलती है और हमारे यहां संकट पैदा होता है।

दूसरी बात यह है कि डीलर्स को आपने लाइसेन्स दिये हैं वे अपने फायदे की बात करते हैं। जब तक उनको फायदा नहीं मिले तब तक वे शक्कर लेने नहीं जाते हैं। टाइम पर शक्कर लेने नहीं जावे तो उनका लाइसेन्स जब्त करना चाहिए। लेकिन दो-तीन महीनों तक सरकार उनकी राह देखती रहती है लाभ के लिए। क्या स्थिति ठीक है? मेरे खयाल से ठीक नहीं है। जहां आदिवासी इलाका है या और एरिया है जहां पर पैसा नहीं है, जहां पर पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं वहां के लिए संकट-कालीन स्थिति को खत्म करना है तो वहां के लिए सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिये। वहां के लिये सरकार शक्कर की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई और पहले ही कन्ट्रोल कर दिया। कन्ट्रोल करने में मेरी अनुमति है, अनुमति नहीं हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कन्ट्रोल कर दिया, सेठ-साहूकारों को बोरियां देदीं, शक्कर नहीं मिलने की आवाज चलादी और उन्होंने २) रु०, ३) रु० सेर पर शक्कर वेची और खुद सरकारी अधिकारियों ने मंहगी शक्कर लेकर खाई, फिर वे कैसे ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सजा देते। सरकार को जानबूझ कर ऐसा मौका नहीं देना चाहिये। शक्कर का वितरण करे तो शहर वालों के साथ मां का सा और गांव वालों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार नहीं रखना चाहिये। सीधा कदम उठावें तभी तो समस्या का हल हो सकता है, नहीं तो सबकी शक्कर बंद कर दीजिये, कहीं भी नहीं मिलेगी। यदि हम समझें कि हमारे बूढ़े चाय वगैर मर जायेंगे, तो दूसरे लोगों के बूढ़े हैं वे भी चाय वगैर मर जायेंगे। हलवाइयों को डेढ़ बोरी शक्कर हमारे यहां मिलती है। हमारे यहां के कुशलगढ़ के हलवाइयों को १॥ बोरी शक्कर मिलती है और जयपुर के हलवाइयों को बहुत ज्यादा मिलती हैं। उनको कम देकर क्या आप भूखा मारना चाहते हैं? और धंधा तो उनको सिखाया नहीं १०० हलवाइयों को शक्कर दी है तो दूसरी जगह भी हलवाइयों को मिलनी चाहिये। हमारी सरकार को चाहिये कि या तो

(श्री हीराभाई)

पूरी व्यवस्था करे नहीं तो इस्तीफा देकर घर जावे हम संभाल लेंगे। हमारे घर में अविश्वास होने के कारण ही दूसरे लोग हम पर हमला कर रहे हैं। हमको अधिकार दें, हम सब कुछ ठीक कर देंगे।

श्री **रामकिशन** (वैर): मंत्री महोदय ने काफी चीजें मानली हैं, इसलिए उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। श्री हीराभाई ने गावों के सम्बन्ध में जो शब्द कहे हैं उनसे गावों की स्थिति का पूरी तरह से पता चलता है। गांवों में बड़ी गंभीर समस्या है। मंत्रीजी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कहा कि बाहर के देश इतनी शक्कर नहीं खाते। मुझे तो इतना ही निवेदन करना है कि पहले आप शहर वालों को १ किलो प्रति व्यक्ति शक्कर देते थे और गांव वालों को पहले २५० ग्राम प्रति व्यक्ति देते थे फिर अब शहर वालों को आधा किलो किया है, गांव वालों को शायद और भी कम। गांववालों को इतना कम देने का क्या आधार है; क्या नहीं, इस पर राय व्यक्त नहीं करके यह निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से यह आदेश होना चाहिये कि चाहे शहर के लोग हों, चाहे गांव के लोग हों, सबके लिये समान वितरण व्यवस्था की जायगी। मंत्रीजी भले ही कहेंगे कि गांव के लोग गुड़ ज्यादा खाते हैं पर मैं चाहता हूँ कि समान व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि गांवों में जो छोटे होटल वाले हैं उनको शक्कर का कोटा कम दिया गया है और शहरों में हलवाइयों को ज्यादा दिया गया है अतः छोटे होटलों की जैसी स्थिति है उसको देखते हुए उनको ज्यादा शक्कर दी जाय।

तीसरी बात यह है कि ग्राम पंचायतों पर जिम्मेदारी डाल दी है राशन के आधार पर शक्कर वितरण करने की। लेकिन जहां राशन कार्ड नहीं तैयार हुए हैं वहां राशन पर शक्कर नहीं मिलेगी। इसका भी पता लगावें कि कौन से गांव में डीलर भी नियुक्त किया है या नहीं किया है। पंचायतों को अधिकार दिया है कि हर गांव में एक डीलर नियुक्त करे तो राशन की और डीलर की पूरी व्यवस्था पहले होनी चाहिये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): मुझे दो तीन प्रश्न करने हैं। एक तो यह कि जब आपने शुगर कन्ट्रोल ऑर्डर जारी किया तब आपने दुकानदारों का स्टॉक सीज़ किया या नहीं किया? मेरा ख्याल है कि स्टॉक सीज़ नहीं करने से ब्लेक मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिला है और शक्कर दो रुपये सेर मिली।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने वितरण-व्यवस्था में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को निग्लेक्ट क्यों किया है? सिटी लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट्स में उनका उपयोग क्यों नहीं किया? यदि इनका उपयोग करते तो किसी हद तक ब्लेक मार्केटिंग एवॉयड कर सकते थे।

तीसरा प्रश्न यह है कि राशनिंग और शुगर कन्ट्रोल करने के बाद जनरल ऑर्डर शुगर यूनिफॉर्म बेसिस पर एलॉट करने का एक पेटर्न क्यों नहीं लागू करते? यह हिदायत क्यों नहीं करते कि सब जगह, गांवों एवं शहरों में, सब जगह राशन कार्ड तैयार करके बांट दें।

चौथा प्रश्न मेरा यह है कि क्या आपने इस तरह का सर्क्यूलर जारी किया है कि शहरों में और गांवों में डिस्क्रीमिनेशन किया जाय? शहर में कोटा ज्यादा दिया जाय और गांवों में कम दिया जाय?

Page No 50



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेरा पांचवां प्रश्न यह है कि क्या आपने जो विजीलेन्स कमेटी बनाई है, उसको यह इन्सट्रक्शन्स दिये हैं कि अपोजीशन के लोगों का कोआॅपशन नहीं किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ( नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो मैं यह सुझाव देता हूं कि गुड़ के ऊपर तुरन्त कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि गुड़ की कीमत एक दम बढ़ गई है और वही ऑल्टनेटिव है चीनी का। वह अन्-चैलेन्जड जा रहा है, उसके कारण चीनी की किल्लत और ज्यादा बढ़ गई है।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आप एक व्यवस्था को लागू करते हैं उससे सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होती है कि एक आदमी अगर छोटी से छोटी गलती कर दे तो उसको सारे बाजार में हथकड़ी लगा कर घुमाया जाय, जब कि दूसरा आदमी बड़ी से बड़ी गलती करदे तो उसको छोड़ दिया जाय। किसी के खिलाफ डी. आई. आर. के खिलाफ कार्यवाही कर दी जाय तो किसी के ऊपर कुछ भी न किया जाय। इस तरह सरकार को, जिनके ऊपर उसने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ रखा है, उनको ठीक तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। किसी ने ब्लैक मार्केट कर दिया, उसके पास माल पकड़ा गया, बोरियां ले जाते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसकी दूकान को फिर बहाल कर दिया गया और....

श्री भैरोंसिंह ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : कौन हैं ऐसे जिनके साथ सरकार ने रियायत की है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं ; कौन हैं, कौन नहीं हैं, उसकी बात आप मत कीजिये। आप उन लोगों से दूर नहीं, यह भी ध्यान रखिये।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का दुतरफा व्यवहार सरकार और ऑफिसर्स द्वारा किया जा रहा है। आज कलेक्टर को फुर्सत नहीं है, वह छोटे लोगों को पॉवर डेलीगेट कर देता है। सदन के सामने कलेक्टर का नाम लेते हैं तो हम समझते हैं कि जिम्मेदार आदमी के हाथ में यह चीज दी गई है, लेकिन हर जगह पर जो छोटे लोग हैं, जो टप्पू हैं उनको पावर डेलीगेट कर देते हैं। यह गलत चीज है कि सदन में बड़े आदमी का नाम लेते हैं और वह पॉवर छोटे लोगों को डेलीगेट करते हैं और वे छोटे लोग हैं, वे अन्यायपूर्ण व्यवस्था करते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि चीनी के वितरण के लिए इसकी व्यवस्था के लिए कोई तरीका अख्तियार करना चाहिए, कोई उसूली तरीका अख्तियार करना चाहिए। यह शहर और गांव का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि सवाल यह है, बच्चों के लिए शक्कर ज्यादा मिलनी चाहिए। बच्चों के लिए शक्कर बहुत जरूरी है, एक चालीस वर्ष के आदमी के लिए शक्कर नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वह इन्जेक्शन खाता है। आप कहते हैं कि एक इस किस्म के आदमी को शक्कर खानी चाहिए और बच्चों को शक्कर नहीं खानी चाहिए। मैं कार्ड में देखता हूं कि आप कहते हैं कि तीन वर्ष के बच्चों तक शक्कर बिलकुल मत दो। यह कहां का तरीका है, कौनसा साइन्टीफिक तरीका है, कलेक्टर के सोचने का ? यह सीधी सी बात है कि एक आदमी से ज्यादा बच्चों

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

को शक्कर की जरूरत है। लेकिन कोई नहीं सोचता है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यह प्रोब्लम को सोल्व करने का कौनसा तरीका है ? आपको व्यवस्थित तरीके से डाक्टर से पूछ कर इस प्रोब्लम को सोल्व करना चाहिए था। इसके साथ ही मैं आपको वार्निंग देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : इसमें आपको इसलिए आपत्ति है कि आपके दोनों बच्चे तीन साल से छोटे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे बच्चे आपके जितने बड़े तो नहीं हैं, यह आप मान सकते हैं; लेकिन दूसरी बात मत कहिये।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस चीनी के प्रश्न पर विरोधियों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आप इन्टर्नेशनल और नेशनल की बात में मत घूमिये, यहां अमरीका की बात नहीं है, यहां यहां की बात है। इन लोगों को एक मौका मिल गया है सरकार का विरोध करने का। इसलिए आपको इस चीज को इस तरह से काटना पड़ेगा कि आप एक तबके के तबके को काट दें। आज मिठाइयों की कोई जरूरत नहीं है हलवाइयों को आप परमिट देते हैं उससे वाकई ब्लैक मार्केट होता है। राजस्थान में आज मिठाइयों की जरूरत नहीं है। हमें अपना जीवन कड़ा बनाना है, यह आपको इस इमर्जेन्सी के अन्दर खड़े होकर सिखा देना चाहिए। आज मिठाइयों की जरूरत नहीं है इसलिए हलवाइयों को बचाने की जरूरत नहीं है। आज सुनार मरते हैं। यहां रिजोल्यूशन पास कर दिया गया लेकिन सुनारों का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। यह इस सदन की बेइज्जती है कि सुनारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और हलवाइयों के लिए व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। हलवाइयों को मिठाई के लिए शक्कर देना बन्द कर दीजिये। राजस्थान में आज मिठाइयों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हलवाइयों को शक्कर देना बन्द कर दीजिये और बच्चों के लिए शक्कर मिलनी चाहिए, गांवों के लिए शक्कर आपको देनी चाहिए आप ऑस्टेरिटी के नाम पर, कड़ाई के नाम पर एक लब्ज कहकर बन्द कर दीजिये। बड़े आदमियों को भी चीनी देना बन्द कर दीजिये, उनको भी कुर्बानी करनी चाहिए। जब गरीब इतनी कुर्बानी करता है तो उनको कोई हक नहीं है कि वे इस चीज का फायदा उठावें। इसलिए आप ऑस्टेरिटी की बात के कारण इसको कड़ाई से लागू करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, शक्कर वितरण के बारे में मैं बाकी के आइटम दोहराना नहीं चाहता। शक्कर की कमी है, यह मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि शक्कर की कमी है। लेकिन माननीय मंत्रीजी को मालूम होगा कि शक्कर की कमी आई उस दिन शक्कर का भाव पन्द्रह आना किलो था। जिस दिन कन्ट्रोल और राशनिंग किया है, एक रुपया तीन आना शक्कर का भाव हुआ। मैं नहीं समझ पाया, कोई असर भाव पर किस तरह हुआ ? शक्कर का उत्पादन जितना हो रहा था और जितना होना चाहिए था उसमें जो कमी थी वह समझ में आ सकती है, या एक्सपोर्ट कितना करना चाहते थे और कितना कन्जम्प्शन के लिए रखना चाहते थे, यह समझ में आ सकता है। लेकिन ये भाव किस तरह बढ़े ? कैसे फरवरी के पहले के भाव थे, वे ज्यादा बढ़े और क्यों कीमत ज्यादा बढ़ी ? इनके कारणों पर प्रकाश डालें।

# Page No 52



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या भारत सरकार की नीति है, क्या भारत सरकार ने आदेश दिये हैं कि राशनिंग के सिस्टम को लागू न किया जाय? अगर ऐसा था तो राजस्थान के अन्दर राशनिंग सिस्टम क्यों लागू हुआ ?

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : अध्यक्ष महोदय, एक मूवमेंट था, आजादी का मूवमेंट ···

**श्री अध्यक्ष** : आपका नाम नहीं लिया है। श्री सागरमल।

**श्री सागरमल** ( फुलेरा ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जयपुर जिले की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो चीनी के वितरण की व्यवस्था है वह बिल्कुल गलत है। गांव वाले कहां तक सहन करें? शहर के अन्दर चार कोटा वितरित हो जायं, मैं आपसे सांभर सब-डिविजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां गावों के अन्दर पहला कोटा भी नहीं पहुँचा है। चार महीने तक लोग इसलिए बर्दाश्त करते रहे कि गुड़ और शक्कर से काम चल रहा है लेकिन जब गुड़ और शक्कर का चालीस, पैंतालीस रुपये मन का भाव हो गया, शक्कर से मेरा मतलब खांडसारी से मतलब है, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। अब स्थिति यह हो गई है कि पहला कोटा भी गांवों के अन्दर नहीं पहुँचा है और शहर में चार-चार कोटा वितरित हो गये हैं। जयपुर जिला परिषद में यह तय हो चुका है कि एम. एल. ए. और प्रधान कमेटी में रहेंगे। लेकिन एस. डी. ओ. साहब ने पांच पंचायतों का एक केन्द्र बनाया है और उन्होंने इसी २८ और २९ तारीख से पहले एक केन्द्र के लिए आठ-आठ बोरियों के परमिट दिये हैं, जहां कि पॉपुलेशन पन्द्रह हजार की है- पांच पंचायतों की और २९ तारीख को दिया है वह भी कैंसिल हो गया है, वहां शक्कर नहीं बांटी गई। मेरा निवेदन है कि जो कुछ शक्कर आये, उसके ऊपर वितरण के लिए कंट्रोल होना चाहिए। यह सवाल क्यों खड़ा होगया है कि शहरों के लोग शक्कर खाते हैं, कस्बों के लोग शक्कर खाते हैं और गांव के लोग नहीं खाते हैं। गांव वाले बर्दाश्त करते रहे। जब तक उनको गुड़ और शक्कर मिली तब तक उन्होंने सोचा कि पांच गांव के केन्द्र पर दस मील चीनी लेने कौन जाये। उन्होंने बर्दाश्त किया और अब भी वे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आज हालत यह है कि गुड़ भी एक रुपये सेर में नहीं मिलता है। आज जयपुर के अन्दर गुड़ का चालीस रुपये मन का भाव है और हर गांव में जाकर सवा रुपये तक मिलता है। इसलिए जो कुछ भी चीनी आये, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, जैसी हैं वैसी है, लेकिन जो कोटा आये। वह मर्दुमशुमारी के आधार पर सबको वितरित कर दिया जाय और इस पर पूरी पाबन्दी होनी चाहिए। २५ को जिला परिषद् की मीटिंग थी उसमें तय हुआ था कि एम. एल. ए. और प्रधान कमेटी में रहेंगे। लेकिन सदस्यों को नहीं पूछा गया और उस हालत में आज तक जो कोटा वितरित हो रहा है, उसमें पूरे सांभर सब-डिविजन की हालत यह है कि वहां पहला कोटा भी नहीं मिला है और आप एक किलो की बात जाने दीजिये, वहां चौथाई किलो भी नहीं मिला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो वितरण-व्यवस्था की जाय, वह स्ट्रोंग की जाय [illegible] सारे गांवों की परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद हर ग्राम पंचायत में पंचायत-वाईज कोटा वितरित किया जाय। अब इस तरह का मतभेद गांव

(श्री सागरमल)

वाले सहन नहीं कर सकते क्योंकि गुड़ और शक्कर नहीं मिलती है। जो यू. पी. से आता है उस पर पाबन्दी लगी हुई है और अब पन्द्रह दिन से स्थिति यह है कि गुड़ डेढ़ रुपये सेर में खरीदते हैं और खांडसारी बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसलिए इस पर कंट्रोल कर दिया जाय और सबके साथ एक सा व्यवहार रहे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जवाब देंगे ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन चीजें उठाई हैं, इसलिए मैं उनके सम्बन्ध में सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा है उन पर न जाकर संक्षेप में कहना चाहूँगा। उन्होंने कार्ड की बात कही कि जयपुर में शुगर डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मलेरिया के कार्ड को बेसिस मान कर, उसके हिसाब से पर अडल्ट एक किलो शुगर देना शुरू किया और कुछ लोगों के पास पहले के कार्ड नहीं थे और कार्ड बनाने के सिलसिले में उनको बताया जाता है कि वे एम. एल. ए. से तस्दीक करवा लायें। एम. एल. ए. से तस्दीक कराने की बात कहते हैं कि एम. एल. ए. से तस्दीक करवा लाओ कि इतने मेम्बर परिवार में हैं, तब कार्ड सही मान कर उतनी शुगर दे देंगे। और एम. एल. ए. को वेरीफाई करने में, कि घर में कितने आदमी हैं, यह वेरीफाई करने में तकलीफ होती है, इसलिए इस बात को दूर किया जाना चाहिए। जहां तक मैं समझा हूँ, उनकी पहली बात यह थी।

दूसरी बात यह थी कि उन्होंने यह कहा कि जयपुर के अन्दर जो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और जो शुगर के डिस्ट्रिब्यूशन का काम करते हैं उनको यह कहा जाता है कि २५ बोरियें एक साथ लेजाओ तो तुमको कोटा मिलेगा अन्यथा नहीं और उनके पास पैसे नहीं होते इस कारण वे एक साथ २५ बोरी नहीं लेजा सकते; इसलिये उनको थोड़ी बोरियें दी जा सकें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इस बात को खुद मानता हूँ कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को खास तौर से प्रोत्साहन देना आवश्यक है और किस तरह से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। खास तौर से एमर्जेन्सी में वितरण-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्रेन या शुगर या अन्य किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो वह कोआॅपरेटिव संस्थाएं ठीक तरह से कर सकें तो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया जाना चाहिये और जहां पर कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं हैं वहां पर शुगर के काम को लेकर काम करें तो वे अपना फूटिंग अच्छी तरह से जमा सकती हैं। इसलिये मैंने यह आॅर्डर दिया है कि शुगर का डिस्ट्रिब्यूशन गांवों और शहरों में व अन्य दूसरी जगह जहां कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हों, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ की मार्फत होना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूँ कि ७० पर्सेन्ट या ८० पर्सेन्ट तक भी यह काम कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के मार्फत हो तो अच्छा है। इससे यह होगा कि शुगर में पानी डाल दिया जाता है; इस प्रकार की शिकायत भी आती है। वह भी नहीं होगी और तोल में भी बराबर मिलेगी। इसलिये जैसा आपने बताया कि बोरियों का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एम. एल. ए. को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह इस बात को वेरिफाई करे कि फलां व्यक्ति के यहां पर इतने सदस्य हैं। अगर आप इसको वेरिफाई करने में कोई दिक्कत समझते

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हैं, या आपको इससे कोई दिक्कत होती है तो ...

**एक माननीय सदस्य** : यह आपने कैसेकहा किएम. एल. ए. को वेरिफाई करने में दिक्कत होती है ?

**श्री अध्यक्ष** : Order! Order please! बीच में इन्क्वायरी नहीं करें और इस तरह बीच में न बोलें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह तो हमने इसलिये रखा कि इन्क्वायरी करेंगे तो बोगस कार्ड नहीं मिलेंगे। अगर आप इसमें चेन्ज चाहते हैं तो हम देख लेंगे कि किस तरह से किया जाये।

इसी तरह से बनेड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि रिटेलर को एक बोरी के पीछे १।।) रु० दिया जाता है और होलसेलर को २. ६३ रू०। मगर मैं यह कहूँगा कि रिटेलर को एक मन के पीछे ८ आने दिये जाते हैं और २।। मन की बोरी होती है इस हिसाब से २।। रु० तो उसको हो गये इसके बाद शक्कर की बोरी भी काफी कीमती होती है वह भी रुपये की तो होती होगी। इस तरह से उसको ३।।) रु० पड़ जाते हैं। इसलिये यह कहना कि रिटेलर को होलसेल वाले से कम पैसे मिलते हों, यह बात ठीक नहीं है। इसके अलावा होल सेलर को कितना दिया जावे और कितना रिटेलर को दिया जावे इसके लिये हमने अकेलों ने तय नहीं किया है, यह तो भारत सरकार से तय किया गया है कि होलसेलर को कितना और रिटेलर को कितना। मैं यह कहूँगा कि ऐसे होलसेलर्स हैं जो इससे भी कम मिलने पर काम करने को तैयार हैं और कर रहे हैं।

इसके अलावा जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि पहले शक्कर १५ आने सेर मिलती थी वहां पर वही आज एक रुपये तीन आना सेर पर कैसे हो गई ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शुगर में इस साल कमी है। पिछले वर्ष में गुड़ और खंडसारी की पोजिशन थी वह देश में बहुत अच्छी थी। उनका स्टॉक बहुत अच्छा था, यह मैं ६१ की बात कह रहा हूँ। उस समय रुपये का २।। सेर गुड़ बिकता था। आज एक रुपये का एक सेर बिकता है। ओन दी होल, आज आप किसी भी खंडसारी को ले लो, गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, तो आपको मालूम होगा कि इनकी कमी है। इसलिये प्राइसेज़ में तेजी हुई है। आप फर्मा रहे हैं कि एक रुपये सेर गुड़ बिकता है। मैं यह कहूँगा कि १५ आने की नॉर्मल रेट से वह चलता है तब जाकर यहां पर एक रुपये सेर मिल सकता है। अब कुछ ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ और मार्जिन देने के बाद नार्मल कोर्स में जा कर यहां पर एक रुपया तीन आने से कम नहीं पड़ता है। होलसेलर और रिटेलर आदि को देने के बाद व ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ वगैरह लगा कर यह रेट आती है, ऐसा मुझे बताया गया है।

दूसरी बात, अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताई कि स्टॉक पर कन्ट्रोल नहीं किया। स्टॉक पर कन्ट्रोल किया या नहीं, यह तो बुनियादी बात है ....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : स्टॉक पर कन्ट्रोल नहीं किया।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह आपकी गलत जानकारी है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : तीन दिन तक अलवर में कन्ट्रोल के लिये स्टॉक पर नहीं

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

किया गया। तीन दिन के बाद जब सारा स्टॉक गायब हो गया तो कन्ट्रोल किया गया।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इस बारे में अफसरों को आगाह कर दिया गया है ....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप इन्क्वायरी कराएं तो आपको मालूम हो जाएगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप मुझे अलवर के स्पेसिफिक केसेज् बतावेंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

इसके अलावा दो-तीन पोइन्ट्स अलग अलग उठाये गये हैं। एक पोइन्ट यह है कि गांव और शहर वालों में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। इस बारे में मैंने मेरे विभाग वालों से फिर कहा है कि गांव वालों और शहर वालों की क्वान्टिटी के बेसिस पर इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वे किस तरह से पूरी कर सकते हे इसको देखें।

नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि हलवाइयों का कोटा बन्द कर दिया जाए क्योंकि हलवाई सस्ता कोटा लेते हैं शक्कर का और मंहगी मिठाई देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर एक साथ यह कोटा बन्द कर देंगे तो इसका मतलब यह होगा कि उनके काम को बन्द कर दिया जाए। इससे वे बेकार हो जायेंगे।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा**
हलवाइयों की मिठाइयें खाते हैं इसलिये....

**एक माननीय सदस्य** : हलवाई कन्ट्रोल रेट से शक्कर लेते हैं और ४।। रुपये सेर के भाव से मिठाई बेचते हैं। अगर उनको शक्कर नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं।

**एक माननीय सदस्य** : यह आपकी राय हो सकती है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बच्चों को दूध के लिये शक्कर नहीं मिलती हैं। बच्चों को दूध के लिये शक्कर बिल्कुल नहीं मिल रही है, ऐसी बात तो नहीं है। अभी तो बड़े-बूढ़ों को भी शक्कर मिल रही है। अभी तक महीने में चार जीमन खाते थे वहां पर अब दो ही खाते हैं। अगर सीवियर पोजिशन हो तो ···

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : आप रेट फिक्स कर दीजिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं इस बात को समझता हूँ कि जहां तक हो सके कन्ट्रोल के चक्कर में न पड़ें तो अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जहां तक हो सके इसके लिये कदम नहीं उठाया जावे तो अच्छा हैं, क्योंकि फिर जब कन्ट्रोल करेंगे तो स्टाफ भी रखना होगा।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : (अश्रव्य)

**श्री नाथूराम मिर्धा** : कई पॉइन्ट्स आपने ध्यान में दिलाये हैं और कई पॉइन्ट्स हमारे ध्यान में हैं। हम रिजिड नहीं बन सकते। हम कलेक्टर के जरिये कमेटियों के मामले में और विजिलेन्स....

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** ( बनेड़ा ) : आप कलेक्टर से पूछें कि भीलवाड़ा की कमेटी में ८ व्यक्ति हैं वे व्यापारी हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अगर किसी में पर्टिक्यूलर आदमियों का ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी वितरण में खामियें हैं तो उनको सुधारने के लिये हम पॉइन्ट अपने सामने रख सकते हैं। वे सुझाव किसी भी वक्त में हमारे सामने रख सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, उसे हम करने के लिये तैयार हैं। वितरण की व्यवस्था को ठीक बनायें, इससे कम से कम लोगों को तकलीफ हो। इसके बारे में कोई दो राय नहीं कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि वितरण कमेटियों में जिला प्रमुखों, जन-प्रतिनिधियों का समावेश होना चाहिये ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैंने कहा, सदन के माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में जिला प्रमुखों को, एम. एल. एज़. को रखा हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : एक माननीय सदस्य ने निश्चित तौर से कहा है कि न जिला प्रमुख हैं, न एम. एल. एज. हैं, न और कोई हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उस जिले के बारे में कमेटी की शक्ल मेरे सामने निश्चित रूप में आती है और ये नहीं हैं तो इनको रखा जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : नीति क्या है सरकार की ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नीति यह है कि रख सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : रख सकते नहीं, रखने को तैयार हैं क्या ? जिला प्रमुखों को साथ लें तो क्या एतराज है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : तैयार हैं, कोई एतराज नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : सर्कूलर इश्यू करने को तैयार हैं क्या ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जिला प्रमुखों को रख लेंगे, एम. एल. एज़., सारे के सारे एम. एल. एज़. को रखना चाहते हैं इसमें ?

**अनेक माननीय सदस्य** : हां।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अच्छा रख लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : सीलिंग के नियमों पर बहस ! श्री दिग्विजयसिंह !

**स्थगन–प्रस्ताव सम्बन्धी**

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पार्टन) : On a point of order, Sir., अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव मूव किया था....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों से मैं कई दफा निवेदन कर चुका हूँ कि कोई नोटिस दें, उसके बारे में कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं करें। और तरीके हैं सूचना प्राप्त करने के, उन तरीकों से सूचना प्राप्त करें।

Yes, Shri S. C. Agrawal.

( ४. ५२ म० प० )

## श्री हरिदेव जोशी द्वारा ली गई भूमि सम्बन्धी संवैधानिक आपत्ति

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a Point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना पोइन्ट आॅफ आॅर्डर आज जो सदन के सामने उठाना चाहता हूँ वह संविधान की कुछ धाराओं से संबन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों में अधिक नहीं जाते हुए केवल सदन को इतना निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी दो चार रोज पूर्व इस सदन में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक, श्री हरिदेव जोशी, के सम्बन्ध में भूमि लेने का आरोप लगाया था और उसका जो स्पष्टीकरण उन्होंने कल सदन में दिया वह स्पष्टीकरण भूमि लेने के सम्बन्ध में असंतोषजनक हुआ। इसमें कितना गैरकानूनी ढंग से कार्य हुआ, इसमें कितनी अनैतिकता है, इन सारे प्रश्नों को यहीं छोड़ते हुए, इसका जो संवैधानिक पहलू है, सारे फैक्ट्स जो एड्मिटेड फैक्ट्स हैं, जिन तथ्यों को बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जिन तथ्यों को इस सदन में स्वीकार किया है, उतने से तथ्यों के आधार पर मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि संविधान की धाराओं के अनुसार वे इस सदन में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। वे यदि सदन में बैठते हैं और बैठेंगे तो इसकी जानकारी उनको हो जाय कि वे इस सदन में बैठने के अधिकारी नहीं और वे हमारे संविधान की धाराओं के परिणामस्वरूप और हमारे रूल्स आॅफ प्रोसीजर के रूल ३०४ और ३०५ के अनुसार स्ट्रेन्जर की तारीफ में आयेंगे और हर एक दिन बैठने का ५००) रुपये का जुर्माना उन पर होगा।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं आपका ध्यान संविधान की धाराओं की तरफ आकर्षित करूं, इससे पूर्व कि मैं प्रोसीडिंग्ज़ में, घटनाओं की धाराओं में सदन को ले जाऊं, मैं पहले उस खातीपुरा बीड़ की जमीन लेने का आरोप जो जनसंघ दल के नेता ने लगाया है और कुछ तथ्यों को उन्होंने स्वीकार किया, जो एड्मिटेड फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर केस बनाना चाहता हूँ। मैं एड्मिटेड फैक्ट्स के आधार पर पाइन्ट आॅफ आॅर्डर यहां रेज़ करना चाहता हूँ कि वे माननीय सदस्य इस सदन में बैठने के लिए डिस्क्वालिफाइड हैं, वे इस सदन में नहीं बैठ सकते। प्रोसीडिंग्ज़ के सिलसिले में मैं यह निवेदन करूं कि यह एक बात एड्मिट की गई वह उन्होंने एड्मिट की, मैंने शोर्ट नोट्स अपने पास रखे हैं। एक प्रश्न पूछा कि यह भूमि आपको कैसे मिली। तो इतना तो माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि खातीपुरा के बीड़ में जमीन थी। राजस्थान सरकार की तरफ से १५० बीघा जमीन सेवा सदन को अलॉट की गई, ६० बीघा सेवा सदन संस्था को और ९० बीघा चार कार्यकर्त्ताओं को उनकी सेवाओं के उपलक्ष में, पिछड़ी हुई जातियों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का काम करने के कारण उनकी सेवाओं के बदले में ९० बीघा जमीन देने को अलॉट की है। तो इस बैक ग्राउन्ड में सदन को जाना पड़ेगा। जो ९० बीघा जमीन के अलॉटमेंट का विचार था वह कैसा था। कानून के अनुसार ९० बीघा जमीन सेवा–सदन के कार्यकर्त्ताओं को अलॉट की गई, इसलिये की गई कि सेवा सदन के समाज कल्याण का कार्य, पिछड़ी जातियों की सेवा का कार्य जो राजस्थान सरकार को करना चाहिये, वह कार्य यह वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन करता है, इसलिये उनको दी और इस प्रकार उनको जमीन का अलॉटमेंट हुआ। इसलिये जहाँ तक मेरी लॉ की जानकारी है उसके अनुसार पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था थी जिसे सर्विस टेन्योर कहते हैं। आपको जमीन अलॉट की गई, आप उसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बदले में समाज को, संस्था को अपनी सेवाएं देंगे। इस प्रकार की राजस्थान की जयपुर और अन्य रियासतों में और उत्तर प्रदेश की रियासतों में इस प्रकार की प्रथाएं थीं कि यह जमीन तुम्हें अलॉट करते हैं, इसके बदले में ये सेवाएं करो, यह सर्विस टेन्योर है। मेरी मान्यता है कि ६० बीघा जमीन सेवा सदन को अलॉट की गई, चार कार्यकर्त्ताओं को देने के लिये, वह सर्विस टेन्योर के फॉर्म में थी, इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। वह सर्विस टेन्योर थी तो उसमें से, एक कार्यकर्ता की भूमि थी, श्री रामेश्वर की भूमि थी वह माननीय सदस्य ने ले ली। जैसा कि विधि मंत्रीजी जानते हैं कि ट्रान्स्फरी के राइट्स ट्रान्स्फरर से कॉन्ट्रेरी नहीं हो सकते, जो ट्रान्स्फरर का टाइटल था जो टाइटल रामेश्वरजी का था वही हरिदेव जोशी का हो गया वह भी सर्विस टेन्योर ही बना। इसका मतलब यह हुआ कि जिन सर्विसेज़ के उपलक्ष में वह भूमि रामेश्वरजी को दी, यह जमीन लेने से वही सेवाएं इन पर आ गईं। इस जमीन के बदले में जो सेवाएं रामेश्वरजी पिछड़ी जातियों की करते थे वही सेवाएं इनकी हो गईं। इस जमीन के बदले में ये सेवाएं करेंगे। यह सर्विस टेन्योर हुआ। तो मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार की सर्विसेज़ का कॉन्ट्रेक्ट है जो राजस्थान सरकार से किया, राजस्थान की सरकार ने किया उसके आधार पर अलॉटमेंट किया। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अलॉटमेंट के ऑर्डर में लिखा हुआ है: "As regards allotment of land to the Sewa Sadan. Jaipur, the Government agree with your opinion that this institution is doing useful work for ammelioration of backwardness and ciriminal tribes." और इसलिये उन्हें सैंक्शन की। अब सवाल यह है कि यह सर्विस कर दें, यह सर्विस वे करते हैं, राजस्थान की सरकार के साथ उनका एग्रीमेंट है, तो यह जमीन ट्रान्स्फर होने से श्री हरिदेव जोशी जो इस सदन के सदस्य हैं उनका सर्विस कांन्ट्रेक्ट हो गया, राजस्थान सरकार के साथ सर्विस का कांट्रेक्ट हो गया। तो रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा ७ कहती है:–

(५.०० म. प.)

"Disqualifications for membership of Parliament or of a State Legislature. A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State..."

(a), (b) and (c) are not concerned,; now comes (d)—

"If there subsists a contract entered into the course of his trade or business by him with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by that Government,"

अब इस धारा ७ (डी) की कमेन्टरी पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये ऑथोरिटीज़ हैं—१९६१ सुप्रीम कोर्ट, पेज ४८ और दूसरी ऑथोरिटी है आन्ध्र प्रदेश, पेज १८०। यह जो कमेन्टरी है वह कॉंस्टिट्यूशन की धारा ७ पर है। वह यह है:

"If a citizen has entered into a contract with the appropriate Government for the performance of the services undertaken by the said Government he attracts the application of

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

S. 7.

(d)" And still to be more clear in this respect...

आन्ध्र प्रदेश की कमेन्टरी :

'Contract of service must, in order to come within the mischief of S.7(d) specifically have as its object the performance of a service. In other words, it means a contract directly for the performance of services or ancillary to the performance of any such service.'

इन दोनों ऑथोरीटीज़ के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा और एक नहीं अनेक ऑथोरिटीज़ इस प्रकार की मिल सकती हैं जहां इस प्रकार की सर्विसेज़ का सवाल है, जहां इस प्रकार की सर्विसेज़ रेन्डर करने का सवाल हो और राज्य सरकार से एग्रीमेन्ट हो, और इस आधार पर कोई चीज हो तो सेक्शन ७ (डी) ऑफ दी पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट खड़ा होगा। मान लीजिये कि कॉन्ट्रेक्ट हो गया है। यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन पिटीशन कीजिए। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि सदन में बैठे हुए किसी माननीय सदस्य पर विचार कर सकते हैं या नहीं? धारा ७ (डी) में डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, वह इलेक्शन पिटीशन द्वारा तय होता है और सरकार भी कह सकती है कि इलेक्शन पिटीशन करो इलेक्शन कमीशन के सामने। मैं संविधान के आर्टिकल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। संविधान का आर्टिकल १९० इस प्रकार है :—

"(1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(2) No person shall be a member of the Legislatures of two or more States specified in the First Schedule and if a person is chosen a member of the Legislatures of two or more such States, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the President, that person's seat in the Legislatures of all such States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the States.

(3) If a member of a House of the Legislature of a State.—

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191......"

and then, "his seat shall thereupon become vacant."

This is Article 190 and now Article 191 says—

"Disqualifications for membership-

191 (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(a) if he holds any office of profit under the Govt. of India or the Government of any State specified in the

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

first Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(c) if he is an undischarged insolvent;

(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State;

(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament, and this provision applies...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** ( उप-मंत्री, शिक्षा ) : Is it for the Legislature to do or for some Court of Law ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह मैं सब बता रहा हूँ। मेरा फैसला और मेरे विचार आप बहुत जल्दी सुनना चाहते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय····

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आप खिचाव बहुत कर रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जैसा आर्टिकल १६१ मैंने बताया, संविधान का आर्टिकल कहता है कि सीट वेकेन्ट हो जायगी माननीय उप मंत्री सिंचाई विभाग ने प्रश्न किया जो कि मेरे सारे तर्क से सम्मति प्रकट करने के लिए जानना चाहते हैं कि सीट वेकेन्ट हो और चुनाव का मौका आये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा आर्टिकल निकालिये जो १६१ है, जो कमेन्टरी दी है वह आर्टिकल १६१...

**श्री अध्यक्ष** : १६२ को देख लीजिये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : १६२ है वह असेम्बलीज के लिए है। पीपल्स एक्ट में मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट के लिए है उसमें भी बिलकुल ये ही प्रोविजन्स हैं और उसकी कमेन्टरी में, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है:

"Vacation of seat by a member--" This clause provides the contingencies upon the happening of which and the time from which a member's seat shall be 'vacant'.

'Becomes subject' These words together with the word 'thereupon', suggest that a member is deemed to have vacated his seat as soon as he incurs any of the disqualifications mentioned in Art. 102 (1). Of course if any dispute arises, the only mode of settling the dispute is as laid down in Art 103 (1) and until the President gives his decision under that Article it cannot be said to have been determined that the member 'has become subject' to any of the disqualifications...

The question naturally arises, from which moment would the President's decision become operative. It seems to be clear that the President's decision would operate retros-

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

pectively, because the question for decision of the President under art. 103 (1) is whether a member 'has become' subject to the disqualification.

Once, therefore, the President gives his decision the member shall be deemed to have vacated his seat from the moment when he had incurred the disqualification.

Now there is one more question and that is of the penalty under Art. 104.

This article makes knowledge of disqualification an essential condition for the liability to penalty under that Article and it is for the House to judge whether the member in question had 'knowledge' of the disqualification before the President gave his decision or at any other time when his disqualification came to be discovered.

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां तक इसका सवाल है, संविधान के इन आर्टिकल्स, उनके आधार पर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आर्टिकल १९३, अध्यक्ष महोदय, यह कहता है जिस पर अब हम जाते हैं :

'If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of articel 188...,

इसलिए मैंने उन्हें जना दिया, मैंने उनको नो ( know ) करा दिया । 'or when he knows that he is not qualified or (that he is disqualified for) membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recoverd as a debt due to the State.'

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा इस प्रश्न के सिलसिले में कि जहां तक उनकी लाएबिलिटी का सवाल है मैंने अखबारों में रिपोर्टिंग पढ़ी है और यहां पर माननीय सदस्यों से जानकारी की। उस सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बार-बार यह जानने की कोशिश की कि इस जमीन का अलॉटमेंट हुआ या यह जमीन बेची गई। उन्होंने यह नहीं कहा कि जमीन बेची गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की ओर से अलॉटमेंट था तो सर्विस टेन्योर हैं, संस्था ने ही उनको दी थी स्वयम् की दर्ख्वास्त से यह साबित होता है, जो उन्होंने भी स्वीकार किया है। इन्द्राज दुरुस्ती के लिये जो उन्होंने एस. डी. ओ. को दरख्वास्त पेश की उसकी सर्टिफाइड कापी मेरे पास है। उसमें है—"ग्राम बीड़ खातीपुरा में सेवा सदन संस्था को बजरिये गवर्नमेंट आॅर्डर नं० एफ. ६ (२४६) रेवेन्यू II/५२ दिनांक १४–१०–५२ के १५० बीघा जमीन अलॉट हुई थी, जिसमें से ६० बीघा जमीन चार कार्यकर्ताओं को दिये जाने केलिये अलॉट हुई थी उसमें से २० बीघा १ बिस्वा जमीन खसरा नम्बर २४१ संस्था द्वारा मुझे दी हुई हैं, जिस पर संवत् २०१६ से काश्त करता आ रहा हूं तथा उस पर मेरा कब्जा है व लगान भी जमा कराता हूं"

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

निवेदन यह करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि संस्था द्वारा दी हुई जमीन, उसके कम्पेन्सेशन का सवाल खड़ा हुआ तो जो जानकारी है मेरी, जैसी माननीय सदस्य ने जानकारी दी, जैसा ऑब्जेक्शन हुआ और अखबारों में रिपोर्ट आयी, शासन की ओर से भी कहा गया, संस्था की ओर उनकी दोनों की लायेबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर लेली, जो लाए-बिलिटी श्रीमान् रामेश्वर की ओर जो लाए-बिलिटी संस्था की थी, ऊपर लेली। और उसके बदले में उसके कन्सीडरेशन में यह जमीन ली।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि इस कन्सीडरेशन में लैण्ड उन्होंने ली है तो जो लाएबिलिटी संस्था पर थी कि बैकवर्ड क्लास शिड्यूल्डकास्ट की बहबूदी के लिये सर्विस रेन्डर करेंगे वह लाएबिलिटी भी इन्होंने अपने पर लेली और जो सर्विस करने का एग्रीमेंट संस्था पर था, जो रामेश्वर पर था, वह उन पर हो गया और वह अब भी उन पर आयद होती है और इसलिए धारा ७ डी ५१ के अन्दर वह डिस्क्वालिफाइड हैं। और संविधान की धारा १९१ के अनुसार भी डिस्क्वालिफाइड हैं और अगर वे डिसक्वालि-फाइड हैं तो धारा १९० के अन्दर उनकी सीट वेकेट हो जाती है।

इस पर गृह मन्त्रीजी यह कह सकते हैं कि वे इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते इसके लिये वे राज्यपाल महोदय को लिख सकते हैं। वे रेफर करें उनको, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।

पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शायद वे यह भी तर्क दे सकते हैं कि वह किताबों में लिखा हुआ था। रिमूवल एण्ड डिसक्वालि-फिकेशन एक्ट, १९५३ में। मैं जानता था वे इसका सहारा लेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह रिमूवल एण्ड डिसक्वालिफिकेशन का एक्ट जो हमने बनाया है उसमें इसके लिए कहीं एग्जम्पशन नहीं दिया। पर सेक्शन ७० का जहां तक ये सवाल है, जहां तक इस प्रकार की संस्थाओं की सर्विसेज को रेन्डर करने का सवाल है वहां तक वे इस क्वालिफिकेशन की तारीफ में आते हैं और इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो कानून हमने बनाया है वह भी उनकी मदद नहीं कर सकता इस नेचर के केसों में।

इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस पर अपनी आवश्यक व्यवस्था देंगे इन तथ्यों को सामने रखते हुए और इन पर विचार करते हुए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा ( उप-मंत्री, राजस्व ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, जो जयपुर से आने वाले हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले मुख्य सचेतक (कांग्रेस) के विरुद्ध कुछ आरोप सदन के समक्ष लगाये थे और उनके सम्बन्ध में मुख्य सचेतक ने कुछ दिनों पहले इनका स्पष्टीकरण भी दिया था। उसी स्पष्टीकरण को लेकर आज यह कहा जा रहा है कि उनकी सीट कुछ वैधानिक सिद्धान्तों के आधार पर वेकेट होती है और इसलिये इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे और यही व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय से चाही गई है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जिन दस्तावेजों के आधार पर

(श्री रामप्रसाद लडढा)

माननीय सदस्य ने यहां पर बहस खड़ी की है और यह बतलाने की कोशिश की है कि जो जमीन संस्था की दी गई थी अथवा संस्था के कार्यकर्त्ताओं को दी गई थी वह एक सर्विस ग्रान्ट अथवा टेन्योर थी या इस तरह की थी कि उनके लिए, जिनको कि वह जमीन दी जाती है, कुछ शर्तें सर्विस की रखी गई हैं कि जिनको जब तक वह पूरा करे तब तक वह उस जमीन को होल्ड कर सकता है और वे शर्तें पूरी न करे तो उस जमीन को वापिस लिया जा सकता है। इस तरह की कुछ भावनाएं, कुछ धारणाएं अपने दिमाग में रखते हुए इस सम्बन्ध में अपनी बात सदन में प्रस्तुत की, अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं। जिन आधारों पर आपत्तियां उन्होंने प्रस्तुत की हैं वे दस्तावेज, जिनके एक्सट्रेक्ट्स पढ़ कर उन्होंने सदन में सुनाये उनमें ही लिखा गया है कि this institution is doing useful work और उस यूजफुल वर्क के आधार पर उसके अन्दर दो तरह के अलॉटमेन्ट किये थे। एक सेवा सदन के नाम की संस्था के नाम पर जो शायद ६० बीघा जमीन थी, और ६० बीघा जमीन चार कार्यकर्त्ताओं के नाम पर। उसमें नाम नहीं लिखे है सेक्शन में....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओरीजिनिल एप्लीकेशन जो मूव की है उसमें लिखे है नाम।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अपने विचार उस पर व्यक्त कर रहा हूँ। नाम से उनमें कोई अन्तर न हीं आता। नाम लिखें भी होंतो भी मेरी बहस में उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो सैंक्शनिंग ऑर्डर है और जिसका हवाला माननीय सदस्य ने दिया उससे यह बात कतई स्पष्ट नहीं होती है कि यह जमीन कोई सर्विस ग्रान्ट अथवा टेन्योर के रूप में दी गई है। हकीकतन उसमें यह बात कहीं नहीं है कि उनको कोई सर्विस ग्रान्ट जैसे माफी में देते हैं कि मन्दिर की पूजा करेंगे तो उसके बदले में दस बीघा जमीन दी जाती है इस प्रकार की सर्विस ग्रान्ट के रूप में कोई जमीन देने का सैंक्शनिंग ऑर्डर में कोई तस्किरा नहीं है।

चार कार्यकर्त्ताओं को जमीन दी गई और उनमें से एक ने यदि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने की दृष्टि से उस जमीन को दूसरे को ट्रान्सफर कर दी तो इसका यह मतलब भी नहीं होता है कि सर्विस ग्रान्ट की शर्तें जो उन पर लगी थीं वे उन पर भी लागू हो जाती हैं यह विकल्प बात कह रहा हूँ हालांकि इस तरह की कोई शर्तें लगी हुई सेंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं थी, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान कर चलें तो भी ट्रान्सफर से लेने वाले पर वे कैसे लागू हो सकती हैं। जैसे एक मन्दिर का पुजारी है, उसको पांच बीघा जमीन दी है, अब वह जायज तौर पर है या नाजायज़ तौर पर इस बहस में मैं नहीं पड़ता। केवल एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, उसने वह अपनी जमीन नाजायज तौर पर भी थोड़ी देर के लिए मान लें, बेच दी हो और उसे दूसरे ने खरीद ली हो तो उसके साथ क्या कन्डीशन यह हो जावेगी कि चूंकि उसने वह जमीन खरीद ली हैं इसलिये उसके लिये मन्दिर में पूजा करना आवश्यक हो गया। इसलिये वह भी सर्विस ग्रान्ट के रूप में शुमार कर लिया जावे यह कानूनी पोजीशन कहीं नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) नाजायज स्थिति में ही होता है ऐसा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं भी इतना तो समझता हूँ। मैं भी जानता हूँ। सर्विस ग्रान्टी होता है तो उसके रूल्स होते हैं। इकरार होता है, पट्टा होता है। उसके अन्दर सारी शर्तें लिखी जाती हैं। और वह कोई खातेदारी और मिल्कियत नहीं बनती है और यहां इसके अन्दर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। बल्कि उनका नाम खातेदार की हैसियत मे लिखा है। किसी भी रेवेन्यू रेकॉर्ड में सर्विस ग्रान्टी की तरह नहीं लिखा है। इसलिये सर्विस ग्रान्ट अथवा टैन्योर किस्म का अलॉटमेंट इसे बताकर इस सारे इश्यू को दूसरी तरफ ले जाने का यहां प्रयास किया गया है जो कि बिलकुल गलत है।

अगर सर्विस टेन्योर भी हो, थोड़ी देर के लिये मान भी लें, तो उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जब खरीद लेता है तो सर्विस टेन्योर की कन्डीशन उस पर लागू नहीं होती है और उस पर किसी तरह की कन्डीशन लगाकर यह नहीं माना जा सकता कि सर्विस ग्रान्टी 'एक्स' के बजाय 'वाई' हो गया और इसलिये वही कार्य उनको अन्जाम देने हैं, यह नहीं कहा जा सकता।

पर एक अर्ज और करना चाहता हूँ। आपने एब्स्ट्रेक्ट पढ़ कर यह बताने की कोशिश की उन्होंने तो सारी जिम्मेदारियां रामेश्वर नामक व्यक्ति की अपने पर ले ली और संस्था और सदस्य दोनों की जिम्मेदारियां अपने पर लेकर यह जमीन उनको ट्रान्स्फर की गई। माननीय सदस्य को याद होगा कि जब यहां पर स्पीच दी गई थी तो उन्होंने यह स्पष्ट बताया था कि रामेश्वर में उनका कुछ रुपया लेना था और रामेश्वर को कुछ रुपया संस्था का भी देना था तो उन्होंने इसका एक तहकीक अमाउन्ट बताया था १८००), जो प्रोसीडिंग्ज में भी दर्ज है और इस रामेश्वर की लाए-बिलिटी को जो उन पर दोनों की थी उनकी व संस्था की तो रामेश्वर को इस लाएबिलिटी से मुक्त करने के खयाल से उन्होंने अपने आप यह जमीन उनको ट्रान्स्फर किये जाने की बात कही थी। इसलिये इसके लिये यह एक्सप्लेनेशन देना कि लाएबिलिटी लेने का मतलब उसकी सर्विस टेन्योर की शर्तों को मन्जूर करना था यह कतई उचित नहीं है।

फिर इसका मतलब यह लगाना कि सर्विस टेन्योर यह हो गई एक तरह से और सर्विस टेन्योर होने की वजह से अब किसी विधान की तहत एक तरह से यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट की तारीफ में आ जाता है या गवर्नमेंट ग्रान्टी के रूप में आ जाता है इस वजह से वे इस सदन की सदस्यता से डिसक्वालिफाई हो जाते हैं तो यह बात वास्तव में तथ्यों से बहुत दूर है। इसलिये जो माननीय सदस्या ने वैधानिक आपत्ति उठाई इसके सम्बन्ध में और जितने वैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया उन प्राव-धानों की आवश्यकता नहीं रहती है। वे ऐसे मामलों में कतई एप्लाई नहीं करते हैं, और इसलिये उनकी बहस में अधिक नहीं जाते हुए जो तथ्य और वाकैयात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे तथा उनके जवाब में बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे थे उनको बता कर अपनी बहस को समाप्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूँगा कि बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण के बाद में स्थिति बहुत कुछ कॉम्पलीकेटेड हो गई थी, वह स्थिति अभी माननीय उपमन्त्री जी के भाषण के बाद में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उससे भी ज्यादा कॉम्पलीकेटेड हो चुकी है। जितनी ज्यादा कोशिशें श्री जोशीजी को इस स्थिति से निकालने की की जा रही हैं वे उतने ही ज्यादा उलझते जा रहे हैं।

अभी उपमन्त्री जी ने कहा कि यह जमीन संस्था की नहीं, बल्कि उनकी स्वयं की खातेदारी में दर्ज है जो रामशरण जी ....

**एक माननीय सदस्य** : श्री रामेश्वरजी।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : श्री रामेश्वर जी की उनके और संस्था के प्रति १८००) रु० की लाएबिलिटी के पेटे उन्होंने रामेश्वरजी से ली है। तो एक तरफ तो स्वयं उपमन्त्री जी यह कहते हैं, जब कि दूसरी तरफ श्री जोशीजी ने कोर्ट में दर्ख्वास्त दी है। उसमें उन्होंने यह लिखा है कि यह जमीन संस्था द्वारा मुझे दी गई है। यदि यह जमीन श्री रामेश्वर जी की खातेदारी में दर्ज होती तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्था को क्या अधिकार था कि वह उस जमीन को हरिदेव जी जोशी को दे देती। तो ऑब्वियसली उनके स्टेटमेंटों से यह साफ है कि यदि उनकी जमीन उनकी खातेदारी में दर्ज है तो यह संस्था को कहां है? इसका कोई स्पष्टीकरण होना चाहिये, और यदि रामेश्वर जी का उस पर कोई अधिकार नहीं था, संस्था का था, तो उपमंत्री जी का यह कहना गलत हो जाता है कि रामेश्वरजी ने १८००) की अपनी लायेबिलिटी के पेटे जमीन जोशीजी को दे दी।

इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सारे मसले में काफी कॉम्पलीकेशन्स खड़ी हो गई है कि आया यह जमीन वास्तव में पहले किसके अधिकार में थी। रेवेन्यू रेकॉर्ड में रामेश्वर जी की थी या संस्था की, जब कि हरिदेवजी कहते हैं कि उन्होंने तो यह जमीन संस्था से ली, जब कि उप-मंत्री जी कहते हैं रामेश्वरजी से ली।

**श्री अध्यक्ष** : मैं निवेदन करूं कि प्रश्न अभी हमारे सामने यह नहीं है कि अमुक जमीन का क्या स्टेटस था और क्या नहीं था, किस हिसाब से उनको वह मिली, किस हिसाब से नहीं मिली। अभी केवल एक प्रश्न हमारे सामने है और वह यह है कि जो एक वैधानिक आपत्ति सदन में उठाई गई है कि श्री हरिदेव जोशी ने एक डिसक्वालिफिकेशन इनकर की है। इसलिये सदन के कार्य-संचालन की सामान्य प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अब हमें सदन में क्या करना चाहिये, केवल इस पर सदस्यगण प्रकाश डालें तो मुझे इस सम्बन्ध में कोई निर्णय देने में ज्यादा सहायता मिलेगी। तथ्यों में जाने की इस समय कतई आवश्यकता नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूँ। इतनी बातें मैंने इसलिये कहीं कि उनको देखते हुए हम किसी लीगल कन्क्लूज़न पर आ सकें।

**श्री अध्यक्ष** : लीगल कन्क्लूजन पर भी आने की जरूरत नहीं है। एक प्रोसीजरल पोइन्ट सदन में खड़ा किया गया है। अब उसका निराकरण किस तरह से किया जावे, केवल मात्र यह समस्या है हमारे सामने।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : चूंकि अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही कॉम्पलीकेटेड लीगल मैटर है इसलिये इस सारे मैटर

( श्री मानिकचन्द सुराणा)

को एग्ज़ामिन करने के लिये, इससे पहले कि आप इसे रिजेक्ट कर दें, मैं निवेदन करना चाहूँगा, कि आप हाउस की एक कमेटी बनावें और मेरा यह निवेदन है कि वह कमेटी इस सारे मैटर की लीगल स्थिति को देखे। यह सर्विस टेन्योर नहीं है, यह आसानी से नहीं कहा जा सकता है और यदि सर्विस टेन्योर है तो डिसक्वालिफिकेशन श्री जोशीजी इन्कार करते हैं, और जो उप-मन्त्रीजी ने कहा कि उन्होंने यह जमीन संस्था से नहीं ली, रामेश्वरजी से ली है तो इस सारी स्थिति को भी पूरी तरह से एग्ज़ामिन करना जरूरी है। इसके सम्बन्ध में बहुत से डॉक्यूमेन्ट्स देखने होंगे जो जरूरी हैं, इस सिलसिले में। इसलिये मेरा यह निवेदन है, निवेदन नहीं, बल्कि एक नम्र सुझाव है कि एक कमेटी आप बना दें इसके लिये जो इस सारे मसले को एग्ज़ामिन करे और यदि वास्तव में सर्विस टेन्योर पर ही जमीन दी गई है एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली तो रिकमन्डेशन उस कमेटी की आपके समक्ष आनी चाहिये और उस पर आपका निर्णय होना चाहिये। इस सारी पृष्ठभूमि में मेरा आपसे निवेदन है कि एक कमेटी बनाई जावे जो इस सारे मैटर को एग्ज़ामिन करके आपके समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसके अनुसार यदि ये डिसक्वालिफिकेशन इन्कर करते हैं तो इसे प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया को रेफर करने की व्यवस्था की जावे, यही मेरा निवेदन है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल ( टोंक )** : यह एक कॉन्स्टीट्यूशनल महत्व का प्रश्न है। यदि इसे सर्विस टेन्योर के तौर पर एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली हमारे माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है तो उन्होंने ७ डी के तहत डिसक्वालिफिकेशन इन्कर कर ली है। ऐसी स्थिति में यह एक गम्भीर प्रश्न बन जाता है। जैसा कि उन्होंने कल अपने स्वयं के भाषण में स्वीकार किया कि मैंने तो यह भूमि जो सेवा सदन संस्था को दी हुई थी, रामेश्वरजी के माध्यम से प्राप्त की है, यह भूमि श्री रामेश्वर जी को उस संस्था की सेवा करने के लिये दी गई थी। उनकी खातेदारी में डाइरेक्टरी उनको अलाट नहीं की गई थी। यह संस्था को दी गई थी और संस्था के एक कार्यकर्त्ता की हैसियत से संस्था की ओर से उनको दी गई थी। संस्था ने संस्था की सेवा करने के लिये उनको यह जमीन दी थी और ऐसी स्थिति में जब कि हमारे माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने यह भूमि सदन से सदन की सेवारत श्री रामेश्वरजी के माध्यम से हस्तगत की है तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति तो वही हो जाती है जो राज्य सरकार ने सेवा सदन संस्था की सेवा करने वाले कार्यकर्त्ता की मानी है।

ऐसी स्थिति में कॉन्स्टीट्यूशनल डिसएबलिटी किसी सदस्य में जिस तरह इन्कर होनी चाहिये वह इनके प्रति भी हो जाती है और यह जो भी माननीय उपमन्त्रीजी ने विश्लेषण करने की कोशिश की है तो उनके भी सामने यही स्थिति है। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि इस भूमि की यही स्थिति है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : No, I never accepted; मैंने यह कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि यह सर्विस टेन्योर है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : You accept or don't accept that the land belongs to the Institute ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : I never accepted that it was a service tenure nor service tenure is in vogue after the passing of the Tenancy Act in Rajasthan.

**श्री भैरोंसिंह** : १६५२ में तो आपने प्रोवीज़न रखा है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : सर्विस टेन्योर नहीं दी गई है किसी को भी।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : एक्सप्रेसली नहीं कहा हो, पर जिस भाषा में कहा कि सेवा सदन के कार्यकर्त्ताओं को यह जमीन दी गई है, यह व्यक्तिगत अलॉटमेन्ट नहीं था उस स्थिति को स्वीकार करना मात्र था।

**श्री अध्यक्ष** : मैं फिर निवेदन कर दूं कि यहां यह प्रश्न नहीं है कि जिस पर हमें निर्णय करना है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : उन्होंने कहा इसलिये मैंने स्पष्ट किया।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उन्होंने आपत्ति की, स्थिति को स्वीकार करने में।

**श्री अध्यक्ष** : कोई जरूरत नहीं है इसकी। कोई प्रोसीजरल पॉइन्ट पर बोलना हो तो बोलिये, नहीं तो क्या टेन्योर है क्या नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : अगर उन्होंने इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली ऐसी भूमि को स्वीकार किया है जिस भूमि को सरकार ने सेवा सदन नामक संस्था को और इसके कार्यकर्त्ताओं को अनुसूचित जातियों–कालबेलियों और सांसियों की सेवा करने के ध्येय से दी है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्टतया उन्होंने डिसक्वालिफिकेशन इन्कर की है और वे इस सदन की सदस्यता से वंचित होने योग्य हैं। अब इस मामले को अधिक गहराई से देखने और देखकर आपको अपने निर्णय में कुछ सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से एक समिति बना दी जावे तो वह भी अच्छा होगा।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल वही निवेदन करूंगा जिसके लिये आपने आदेश दिये दिये हैं। जब कोई महत्वपूर्ण विषय निर्णय के लिये आता है तो हमारे लिए दो तीन बातें विचारणीय हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं और कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो मिक्सड क्वेश्चन आफ लॉ और फैक्ट्स होते हैं।

मान लीजिए कि सदन के सामने जिस क्वेश्चन पर माननीय अध्यक्ष को निर्णय देना है, प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो लॉ के इन्टरप्रिटेशन के आधार पर तत्क्षण निर्णय दे सकते हैं। बहुत से ऐसे मसले हो सकते हैं जो प्योरली फैक्ट्स के हों तो फैक्ट्स के आधार पर उन पर भी तुरन्त निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे मसले हो सकते हैं जो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स के हों, तो ऐसे मसलों में क्या निर्णय लेना चाहिये और इनका क्या आधार होना चाहिये इसमें तत्क्षण निर्णय नहीं लिया जा सकता, इन पर काफी सोच-विचार करना होता है। जो पाइन्ट जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में रेज़ किये और कुछ एलीगेशन लगाये तो उनका कुछ तथ्यों के आधार पर, उनकी खोजबीन के आधार पर

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार

निराकरण करना आवश्यक हो जाता है। वे एलीगेशन मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स की तारीफ में आते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह आवश्यक नहीं है, न यह मिक्स्ड क्वेश्चन आफ लॉ और फैक्ट्स ही है, केवल प्रोसीजरल मामला है। जो उन्होंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के अन्तर्गत उठाया है, उसका निराकरण किस तरह किया जावे, यह प्रश्न सामने है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : What should be the question ?

My respectful submission is this that a point of order has been raised in this House and now whether in this respect some further enquiry is required and the Speaker does think it necessary to make enquiry in this respect...

**श्री अध्यक्ष** : अभी माननीय सदस्य ने न तो संविधान ठीक तरह से पढ़ा है, न नियम ही ऐसा लगता है। इस तरह की इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए जो कि हाउस के सामने आया है। प्रश्न सिर्फ यह है कि एक माननीय सदस्य ने डिसक्वालिफिकेशन के इन्कर होने की बात कही दूसरे सदस्य के प्रति, अब उसका निराकरण कैसे हो, यह हमें देखना है। अब उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर की है या नहीं की है, उसके बारे में चाहे पोइन्ट लॉ का हो या फैक्ट का हो, यह तय नहीं किया जा सकता, न इस पर बहस हो रही है सदन में।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : यह निर्णय करना तो आवश्यक है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं समझता हूँ, यह आवश्यक नहीं है। आप कॉन्स्टीट्यूशन देखते तो यह बात नहीं कहते। और कोई बोलना चाहते हैं इस पर ?

**श्री भैरोंसिंह** : जो प्रश्न जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है वह इस नाते से गम्भीर बनता है कि जिन माननीय सदस्य के प्रश्न को लेकर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया कि वे एक डिस–क्वालिफिकेशन इन्कर करते हैं।

सरकारी पक्ष से यह कहा गया कि वे डिसक्वालिफिकेशन इन्कर नहीं करते और जिन माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है उनका कन्टेन्शन यह है कि किया है, वे डिसक्वालिफिकेशन इन्कर करते हैं, तो इस पर सबसे पहले यह प्रश्न पैदा होता है कि उन्होंने डिसक्वालिफिकेशन इन्कर की है या नहीं। यह एक डिस्प्यूटेड पोइन्ट है।

और जब किसी मेम्बर की डिस्क्वालि–फिकेशन के सम्बन्ध में डिस्प्यूट एराइज़ होता है तो उस वक्त उचित यह होगा कि इस सारे प्रश्न को, कोई निर्णय लेने से पहले उन सब फैक्ट्स और रेकॉर्ड्स के आधार पर गवर्नर महोदय को रेफर किया जावे ताकि वे डिस–क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे सकें।

अब यह डिसक्वालिफिकेशन का पोइन्ट जो एक सर्विस टेन्योर के पोइन्ट को लेकर खड़ा हुआ है वह भी अध्यक्ष महोदय, डिस्प्यूटेड नहीं है। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय

(श्री भैरोंसिंह )

सदस्य ने उस डॉक्यूमेंट के एक्सट्रैक्ट को पढ़कर यहां सुनाया उसी डॉक्यूमेंट के ग्राधार पर बांसवाड़ा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि मैं इस सेवा सदन का एक कार्यकर्त्ता हूं ग्रौर कार्यकर्त्ताग्रों को ग्रलॉट करने के लिए सरकार ने ६० बीघा जमीन दी है, जा १६५२ के ग्रन्दर इस सेवा सदन ने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन मूव की थी उस एप्लीकेशन में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सेवा सदन को इतनी जमीन दी जाये ग्रौर सेवा सदन के संचालन में काम करने वाले कार्यकर्त्ताग्रों को, क्योंकि सेवा सदन को ग्राथिक स्थिति कमजोर होने के कारण तनख्वाह नहीं दे सकता, इसलिए in lieu of their services उनको जमीन ग्रलॉट कर दी जाय ग्रौर वह जमीन ग्रलॉट करने के लिए ६० बीघा फिक्स-ग्रप की गयी ग्रौर उसी जमीन को १६५२ में जिन कार्यकर्त्ताग्रों ने वहां सर्विस की उन कार्यकर्त्ताग्रों को रेमुनरेशन के रूप में ग्रलॉट की। तो जो ग्रलॉटमेंट हुग्रा है वह रेमुनरेशन के ग्राधार पर हुग्रा है, इसलिए कि उन्होंने सर्विस की है। ग्रब उस सर्विस की एवज में कोई तनख्वाह दें या ग्रलाउन्स दें या वही एक प्रकार की शक्ल है कि जमीन का ग्रलॉटमेन्ट करके जमीन की इन्कम को वह कार्यकर्ता सर्विसेज़ के ल्यू में ले सकें; इस प्रकार की व्यवस्था उसमें की है।

ग्रब उस व्यवस्था में एक उल्लेख ग्रौर कर देना चाहता हूँ कि इस ग्रलॉटमेंट से पहले इस संस्था के जो सेक्रेटरी हैं श्री कल्याण बिद्यार्थी, उन्होंने तहसीलदार को एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा कि श्रीहरिदेवजी जोशी इस संस्था के कार्यकर्त्ता हैं ग्रौर इस संस्था की सेवा करते हुए ग्रा रहे हैं ग्रौर संस्था के सेवक के नाते इनको जमीन ग्रलॉट कर दी जाये जो कि निश्चित रूप से इसका संकेत है कि इन्हें जो कब्जा मिला है वह सर्विस के ग्रगेन्स्ट में मिला है जो कि कार्यकर्त्ता के रूप में वह इस संस्था को देते हैं। ग्रब प्रश्न यह है कि जैसा उप-मन्त्री महोदय ने बताया कि जयपुर स्टेट का टीनेन्सी एक्ट था उसमें हमने सर्विसेज़ के बारे में ग्रान्ट देने की व्यवस्था कर रखी है ग्रौर जब से १६५५ में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पास हुग्रा उसके बाद में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन राजस्थान के टीनेन्सी एक्ट को देखें तो उसके ग्रन्दर भी जो पहले गवर्नमेंट ने इस तरह के ग्रलॉटमेंट किये हैं उन ग्रलॉटमेंट्स को हमने रद्द नहीं किया ग्रौर उन ग्रलॉटमेंट्स को हमने उसी रूप में स्वीकार किया है। किसी प्रकार का चेंज ग्रॉर्डर्स में, सर्कुलर में, इनेक्टमेन्ट में, रूल्स में कहीं भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया कि उस समय की 'in lieu of services' ग्रान्ट दी हैं उनको खत्म समझा जायेगा, बल्कि उनको खत्म किया जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास करके टीनेन्सी एक्ट के द्वारा नहीं। तो वह १६५२ में 'in lieu of services' ग्रलॉटमेंट हुग्रा था ग्रौर वह ग्राज तक कन्टीन्यू करता है। उसको किसी भी कानून या रूल से नहीं तोड़ा है। यह भूमि जो ग्रब तक जागीर रिज़म्पशन के मातहत ली वैसे यह भूमि इसके ग्रन्तर्गत ली जा सकती थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वह डिस्क्वालीफिकेशन इन्कर करते हैं ग्रौर यदि इसके माने यह लिये जायें कि ये फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं, तो हाउस इस संबंध में यह निर्णय नहीं ले जब तक कि इसके ऊपर फुल फ्लेज्ड डिबेट नहीं कर ली जाय; नहीं तो एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय ग्रौर उनको इस संबंध में नहीं बुलाया जाय तो इस संबंध में सारे

(श्री भैरोंसिंह)

मामले को गवर्नर महोदय को भेज दिया जाय ताकि उनका निर्णय जो भी होगा वह इस सदन को मान्य होगा। इसके संबंध में जितने भी सारे इनफरेन्सेज् हैं वे सब देख लिये जायेंगे और जो सरकार के कागज हैं वे भी देखने में आ जायेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि इस संबंध में आपकी इच्छा और सदन की इच्छा हो, जैसी मेरी इच्छा है कि इसके ऊपर इन्क्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर महोदय को रेफर करना चाहिए; तो मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि उन सारे कागजात को तुरन्त जब्त करवा लेना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो उनको बचाने की कोशिश कर रही है उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं कर सकें। बाकी जो भी कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट्स हैं, वे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं इससे ज्यादा इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

**श्री मथुरादास माथुर** ( विधि मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन तो यह है कि यह हाउस इन्कॉम्पीटेन्ट है इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए और निर्णय लेने के लिए। मैं आपका ध्यान कॉन्सटीट्यूशन के आर्टिकल १९२ की तरफ खींचना चाहता हूं :

"If any question arises as to whether a member of a House of the Leislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191 the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने ऑबजर्व किया था कि इस प्रश्न के मैरिट्स के ऊपर जाने के पहले, और न ही जाना मैं ठीक समझता हूं क्योंकि अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन का डिस्क्वालीफिकेशन इन्कर करे वह मैरिट्स और फैक्ट्स की बात है। लेकिन उस पर निर्णय कौन लेगा, क्या इसके लिए सदन को अख्तियार है ? कौनसा लॉ है जिसके तहत सदन को इसके लिए अख्तियार दिया गया है कि इस सदन का कोई सदस्य डिस्क्वालीफिकेशन इनकर करे तो उसको कौन हटायेगा, उसके बारे में कौन निर्णय करेगा ? उसके लिए आर्टिकल १९२ अपने संविधान का है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई सदस्य डिस्क्वालीफिकेशन को इनकर करता है तो गवर्नर महोदय इलेक्शन कमीशन की राय लेंगे। उसमें यह नहीं कहा है कि गवर्नर महोदय इस हाउस की राय से काम करेंगे। अगर उसमें यह कहा होता तो यह हाउस बहुत काम्पीटेंट था, उसमें आपकी कमेटी बनती या जो कुछ सदन निर्णय लेता। लेकिन इसमें गवर्नर महोदय को यह ऑथोरिटी दी है और वह भी 'इन कन्सटेल्शन विथ दी इलेक्शन कमीशन' है। तो इस सदन को इस मामले में कोई अख्तियार किसी कानून के मातहत नहीं दिया गया है। इसलिए यह सदन इस पर निर्णय नहीं कर सकता कि कोई माननीय सदस्य डिस्क्वालीफिकेशन इनकर करता है या नहीं। इसलिए उस हाउस को अधिकार नहीं है। यह हाउस वही चीज डिसकस कर सकता है अगर सदन में कोई ब्रीच ऑफ प्रिवि-

श्री मथुरादास माथुर )

लेज हो, वर्ना बाकी यह गवर्नर महोदय को अधिकार है। अगर कोई इससे इन्जर्ड हो तो वह गवर्नर के पास पहुंच जाये और वह इलेक्शन कमीशन के कन्सलटेशन के बाद करेंगे। इसलिए यह जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है यह गलत है और मैं केस की मैरिट्स पर कतई नहीं जाना चाहता हूं और न मैरिट्स के ऊपर जाने का इस हाउस को अधिकार है। अगर कोई सदस्य डिस्क्वालीफिकेशन इनकर करता है और कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक दर्ख्वास्त देना चाहे तो प्रोसीजर कॉन्सटीटयूशन की धारा १९२ में बताया गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल आउट किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूं कि इस तरह का केस मेरी निगाह में है....

श्री अध्यक्ष : कोई सूचना की आवश्यकता नहीं है। Order ! Order please !!

( विराम )

माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने आपत्ति उठाई है एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा कि माननीय सदस्य श्री हरिदेव जोशी ने कुछ कारणों से जिनका कि उन्होंने उल्लेख किया डिस्क्वालीफिकेशन इनकर की है और वह इस सदन के मेम्बर नहीं रह सकते। जैसा मैंने पहले भी माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि प्रश्न हमारे सामने यह नहीं है माननीय सदस्य, श्री डिहरिदेव जोशी ने स्क्वालीफिकेशन किइनकर की है या नहीं की हैं, लेकिन जब इस तरह की आपत्ति आई तो उस आपत्ति का निराकरण किस तरह से किया जाये, यही प्रश्न अभी हमारे सामने है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको गवर्नर महोदय को रेफर कर दिया जाये और लॉ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही उनके भी यही विचार प्रस्तुत होते हैं कि इस चीज का निराकरण १९२ संविधान की धारा के अन्तर्गत किया जाय। लेकिन उस पर निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था दी जाय उसके संबंध में भी एक-दो प्रश्न और उठते हैं।

यह धारा जिसका कि उल्लेख माननीय सदस्य ने किया वह जब लागू होता है कि एक मेम्बर जो कि सदन का मेम्बर है वह डिस्क्वालीफिकेशन इनकर करे और अगर यह माना जाय कि माननीय सदस्य जब चुने गये उस समय भी इस तरह से डिस्क्वालीफाइड थे तो उसके लिए एक दूसरा तरीका हो सकता है इलेक्शन कमीशन में जाने का, नहीं जाने का। लेकिन उसकी मियाद निकल गयी है। तो किस तरह से उसको वापिस रिवाइव किया जा सकता है, यह सारे फैक्ट्स के ऊपर डिपेन्ड करता है। अगर उनके मेम्बर बनने के बाद इनकर की गयी है तो इन धाराओं का प्रयोग होगा और अगर पहले से ही वह डिस्क्वालीफिकेशन है तो इन धाराओं का प्रयोग नहीं हो सकेगा। वह किन्हीं और कानूनों से उसको गवर्न करना पड़ेगा, यह मेरी मान्यता है। इसलिए इन सब बातों का निराकरण करने के लिए और पूर्ण रूप से व्यवस्था देने के लिए मैं समझता हूं कि इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं उन पर मैं पूर्ण रूप से विचार करूंगा; और भी कोई दस्तावेज हों, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे

( श्री अध्यक्ष )

दे दें जिससे कि यह व्यवस्था देने में सुविधा पैदा हो। वे सदन की मेज पर रख दें। या मुझे स्वयं को दे दें। इसके लिए सारी बातों पर विचार करने के बाद, बाद में व्यवस्था दे दूंगा और माननीय सदस्य भी यहां नहीं हैं, वे भी शायद इसको स्वीकार करें या न करें। अगर आवश्यकता हुई तो एडवोकेट जनरल को बुलाया जा सकता है और फिर वापिस बहस की जा सकती है। इसके तथ्यों पर विचार करने के बाद ही निर्णय देना उचित होगा। इसलिए इस निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है और कल जिस विषय पर बहस जारी थी उसके ऊपर बहस शुरू की जाये।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के पास भी जो इस संबंध में डॉक्यूमेंट्स हैं वे भी आप मंगवा लें। गवर्नमेंट को आदेश दीजिए कि तुरंत ही कागज आपके सामने पेश किए जायं।

( ५.४० म. प. )

## राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र-निर्धारण) (सरकारी) नियम १९६३

( अग्रेत्तर विचार )

श्री दिग्विजयसिंह ( उनियारा ) : अध्यक्ष महोदय, जो मैं कल विचार प्रकट रहा था, मैं उनको फिर से सदन के सामने रखना ठीक समझता हूं।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन )

मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक्चुअल लैंड होल्डर को अमुक अवधि दे दी जायगी। उस अवधि के अंदर वह एक्चुअल लेंड को दे दे और उस आदमी को दे जो सीलिंग की परिभाषा के अंदर गवर्न होता हो। इस संबंध में मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि यहां भी जो लैंड होल्डर्स हैं उनको कम से कम यह मौका जरूर देना चाहिए कि उनके पास जो एक्चुअल होल्डिंग्ज़ हैं उन्हें अमुक अवधि के अंदर लैंडलेस टीनेन्ट को, जिसे राज्य सरकार डिफाइन कर दे और राज्य सरकार ऐसी सूची प्रकाशित करदे कि अमुक व्यक्ति लैंडलेस टीनेन्ट हैं, उसी को यह जमीन दे दी जायगी। तो मैं समझता हूं कि यह आशंका उत्पन्न हो सकती है राज्य सरकार के बीच में कि जो लैंड होल्डर्स हैं वे इससे अधिक फायदा उठा लेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लैंडलैस टीनेन्ट्स की सूची प्रकाशित कर रहे हैं, वैसे ही लेंड होल्डर्स होंगे जिनके पास अधिक धन देने की क्षमता नहीं होगी। इसलिए ऐसा प्रावधान किया जाय जिससे लैंडलेस टीनेन्ट्स और लैंड होल्डर्स को इजाजत दी जाय कि एक साल के अन्दर या ६ महीने के अंदर अपनी एक्चुअल भूमि को लैंडलैस टीनेन्ट्स को दे दें।

दूसरी बात है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के जो दो प्रोवीज़न्स हैं—२५ फरवरी, १९५८ और ९ दिसम्बर, १९५९, उन दोनों के बारे में मेरा निवेदन इस प्रकार है कि आपके टीनेन्सी एक्टकी धारा १५ और १९ के तहतय दि कोई काश्तकार टीनेन्ट की भूमि पर काबिज़ रह जाता है तो आप उसको खातेदारी राइट्स देते हैं और उस जमीन पर वाजिब कब्जा समझते हैं। उसी तरह से यदि किसी भी

(श्री दिग्विजयसिंह)

काश्तकार या लैंडहोल्डर ने किसी व्यक्ति को १६५८ से आज तक जमीन दे दी है, तो अब उस टीनेन्सी एक्ट के तहत वैसे ही अपने आप वह खातेदारी राइट्स का अधिकारी हो जाता है, तो आपका जो रिट्रास्पेक्टिव का सवाल है वह कहीं नहीं रहता। वहां तो लिखा हुआ है कि ऐसे शिकमी काश्तकारों को खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे। तो ऐसी हालत में २५ फरवरी, १६५८ और ६ दिसम्बर, १६५६ दोनों का जो प्रावधान है यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बजाय अगर करदें कि जब से एक्ट लागू होगा उस समय तक जितनी ट्रांस्फर्स या जो कोई जमीनें देदी हैं, उन सबको वैध घोषित कर दिया जायगा, तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आपके एक्ट में नहीं आएगा। इन सबका रेग्यूलराइजेशन भी हो जायगा।

दूसरा फायदा राज्य सरकार को यह होगा कि जिस तरह से इम्लीमेंटेशन का आब्जेक्ट हमारी सरकार के सामने है कि भूमिहीन काश्तकार को भूमि मिले और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाय तो भी लैंडहोल्डर खुद भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेगा और आपको एक एडिमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी आ सकती थी वह नहीं आएगी और जिसके पास एक्चुअल भूमि है वे जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे।

दूसरी मेरा पोइन्ट एग्ज़ेम्पेशन के सम्बन्ध में है। जहां तक इस क्लॉज़ की नीति है, मैं उसका स्वागत करता हूं। पर जिस तरह से उन एग्जेम्पेशन्स के अन्दर जो लिमिट रखी है, जिस प्रकार आपने ग्रोव या ऑर्चर्ड का प्रश्न रखा है, अगर १ मई, १६५६ तक उसका रजि-स्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो वैसे ग्रोव होल्डर उस एग्जेम्पेशन में नहीं आएंगे। इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि आपके लैंड रेकॉर्डस में वह ग्रोव-होल्डर जो बरसों से रेकॉर्ड में चला आ रहा है और खतौनी में एन्ट्रीज हैं और आपकी तरफ से टीनेन्सी एक्ट के तहत कोई लगान भी लिया जाता है, तो ऐसी सूरत के अन्दर सिर्फ रजि-स्ट्रेशन के नाते कि यह रजिस्टर नहीं हुआ है और उसको अगर रद्द कर दिया जायगा तो वह उस ग्रोव-होल्डर के लिए जिसने, २० वर्ष से आर्चार्ड लगाया है, इन्जस्टिस होगा।

इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा है कि १ मई, १६५६ से पहले जो रजिस्टर हो गये होंगे उन ग्रोव्ज़ को एग्जेम्पट किया जायगा, ऐसा न करें। इसमें साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से ग्रोव-होल्डर्स जिनकी लिस्ट और जिनकी नॉलेज सब तहसीलों में राज्य सरकार के पास होती है, इस तरह की सूचना इस रजिस्ट्रेशन की भेजी गई थी कि १ मई, १६५६ से पहले रजिस्टर करवाएं अन्यथा उनके जो आर्चार्ड या ग्रोव हैं वे अवैध घोषित कर दिए जायेंगे मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं किया गया और उपरांत इस तरह का प्रावधान रखा कि १ मई, १६५६ से पहले रजिस्टर नहीं होगा तो वह नहीं माना जायगा, तो यह वाजिब नहीं होगा और न्याय के विपरीत होगा।

इसलिए बजाय १ मई के कर दिया जाय कि यदि वह ग्रोव होल्डर एस्टेबलिश करता है कि ऑर्चार्ड या ग्रोव्स हैं तो उनको ऐसा माना जाय, it should be deemed to have been registered as such. १ मई का जो प्रावधान है वह हटा दें।

Page No 74



( श्री दिग्विजयसिंह )

इस प्रकार आपने फार्म्स के बारे में लिखा है कि १ मई, १९५९ से पहले एनीमल हस्बेंड्री विभाग के तरफ से रजिस्टर है कैटिल ब्रीडिंग, हॉर्स-ब्रीडिंग या शीप-ब्रीडिंग तो एग्जेम्पशन दिया जायगा तो मेरा निवेदन है कि जहाँ तक मैं समझता हूं बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इस तरह की शीप ब्रीडिंग या अन्य पशुओं के ब्रीडिंग की योजनाएं हैं और कर रहे हैं, जैसे ६–७ साल पहले कई लोगों ने १९५७–५८ में सरकार को एप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, पर सरकार की खुद की ढ़िलाई की वजह से रजिस्ट्रेशन ६१ में किया गया तो उसके अन्दर आपको देखना चाहिए कि जिसमें राज्य सरकार की खुद की ढ़िलाई हुई है, १९६०–६१ में रजिस्टर कर दिये और इधर आपने कहा कि १९५९ की रजिस्ट्रेशन को मानेंगे, तो यह गल्त बात है। इसके अन्दर ऐसा लिखना चाहिए कि यदि कोई एस्टेब्लिश करता है कि उसके पास में इतने पशु मौजूद हैं और सरकार भी सैटिस्फाइड हो जाती है कि वास्तव में वह ब्रीडर है, इसका उसमें इन्ट्रेस्ट है और वह जरूर इस काम को डेवलप करेगा, तो यह १९५९ का प्रावधान हटा देना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि शीप के साथ कहीं गोट का प्रावधान नहीं रखा है। 'Sheep' includes goat or not ? क्योंकि शीप के अन्दर गोट को कभी इन्क्लूड नहीं कर सकते। आज राजस्थान के अन्दर इस तरह के लोग ही नहीं हैं कि जो भेड़ ही पालते हों। ऐसे लोग भी हैं जो बकरियां और भेड़े पालते हैं। उसका प्रावधान होना चाहिए शीप और गोट दोनों का। और साथ-साथ यह भी निवेदन करूं कि खास तौर से बीकानेर, जोधपुर और दूसरे इलाकों में जहां पर वैसे भी बहुत डेजर्टेड एरिया है और हमारी राज्य सरकार जो सीमा पर ऊंट की आवश्यकता समझती है, तो ऊंट के फार्मों को भी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए

आपने इसमें कहा है कि तीन महीने के अन्दर डिक्लेयर करना है इस एक्ट के कमेन्समेंट से और उसके बाद एस० डी० ओ० इन्क्वायरी करेगा। यह तीन महीने का प्रावधान कम है, यह कम से कम ६ महीना होना चाहिए। तो तीन महीने में वह खुद नहीं डिसाइड करता है तो वह देख सकते हैं और उस स्थिति में जमीन के ऊपर जो फसल खड़ी हुई है, मौजूद है उसको क्या हालत होगी, किस तरह से उसका करेंगे, इसमें कहीं जिक्र नहीं है, और जिक्र नहीं होने से बड़ी परेशानी होगी।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मैं दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

इसलिए यह जो प्रावधान है उसमें ३ महीनो के बजाय ६ महीने का किया जाय। और साथ ही साथ इसके अन्दर जो रखा गया है पीनल क्लाज कि डिक्लेरेशन नहीं करता है तो ६ महीने की सज़ा लगा दी है और १०००) रु० जुर्माने का कर दिया है, तो यह बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूं कि कहीं भी ऐसा नहीं है। अगर आप रिहैबिलिटेशन एक्ट को देखेंगे तो सेक्शन ४१ में जरूर इस बात का उल्लेख है कि रेकॉर्ड टेम्पर्ड किया जायगा तो सजा हो सकती है, पर इसके अन्दर तो टेम्परिंग करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि रेकॉर्ड आपके पास में है, सब वस्तुएं आपके पास में हैं। अगर वह डिक्लेरेशन नहीं करता है तो रेकॉर्ड आपके पास में है आप चार्ट बना लें।

(श्री दिग्विजयसिंह)

तो अपने आप यह कर सकते है, जैसे कि जागीर रिज़म्पशन में भी है कि अगर जागीरदार क्लेम फॉर्म नहीं भरता है तो गवर्नमेंट को राइट है कि अपनी तरफ से क्लेम भरकर जागीरदार को नोटिस दे दे। इसी प्रकार से अगर वह डिक्लेयर नहीं करता है तो राज्य सरकार चार्ट ड्रॉ करके नोटिस दे सकती है और उसको सीधे कह सकते हैं कि यह हमारे पास सूचना है, उसके खिलाफ कोई उज्रदारी हो तो करे और इस निश्चित समय में नहीं आयेगी तो उसको मान्यता दी जायगी।

इसी तरह से मैं अर्ज कर रहा था कि बेड ऑफ दी टैन्क के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है जब कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के सेक्शन ६० में दिया गया है कि बेड आफ टैन्क पर राइट एक्रू नहीं होता है। उस शख्स के अन्दर जिसके पजेशन में बेड है। उससे डिक्लेरेशन आप मांगेंगे तो मैं पूछना चाहूंगा कि वह व्यक्ति किस प्रकार से डिक्लेरेशन देगा? मानलें कि १५५ बीघे का रकबा एक तालाब का है और उसमें से १५५ बीघे में से १० बीघे पर ही काश्त करता है और जब डिक्लेरेशन मांगा जायगा तो १५५ का लिखकर देगा या १० बीघे का, जिस हिस्से पर कि वह काश्त करता है? सेक्शन १५ में काश्त करने वाले को खातेदारी राइट एक्रू नहीं होती है तो डिक्लेरेशन करके किस तरह से देगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है? इसलिए इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय या इसमें एक्जेम्शन कर दिये जायं तो बड़ा ही उल्लेखनीय होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं मुआवजे के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा..

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, आपकी पार्टी के काफी वक्ता बोल चुके हैं। दूसरी पार्टी वालों को भी समय देना है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैं केवल ५ मिनट ही बोला था।

**श्रीमती सभानेत्री** : आपकी पार्टी के कई लोग बोल चुके हैं।

**श्री दिग्विजयसिंह** : इसके बाद मैं बैठ जाता हूं।

कम्पेन्सेशन का जो क्लॉज़ है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उसमें रखा है उसका मैं स्वागत करता हूँ, १५-२० गुने का जो आप दे रहे हैं उसका। साथ में इम्प्रूवमेंट जो कुछ काश्तकार ने किया है उसके बारे में इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है। टीनेन्सी एक्ट की धारा २४ व २५ में यह प्रावधान रखा है कि टीनेन्सी-होल्डिंग्ज़ में इम्प्रूवमेंट करेगा शिकमी काश्तकार तो he will be entitled to the improvements that have been done by him.

तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट का उसमें कहीं नहीं है। तो कम्पेन्सेशन के अन्दर इम्प्रूवमेंट का जरूर इन्क्लूड होना चाहिए, नहीं तो जो कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा वह सब बेकार जायगा और केवल १५–२० गुना हासिल का निर्धारित करके दे देंगे।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने कुछ ऐसा रेवेन्यू कमीशन या रेवेन्यू लॉज़ के बारे में एक कमेटी बनाई है वह सारे रेवेन्यू लॉज़ को रेग्युलेट कर रही है यहां तक कि उसके अनुसार कई एक्ट में क्लॉजेज़ जोड़ी गई

हैं। तो मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि रूल्स को भी जब तक नई विचारधारा सामने आ जाय तब तक, उस अवधि तक, पोस्टपोन रख दिये जायं। तो इससे इम्प्रूवमेंट वगैरह की सुविधा होगी, और यह राजस्थान मे एक साथ लागू हों। मेरा नम्र निवेदन यह है कि आपने जो यह प्रावधान रखा है कि जिस जिले में या जिस तहसील में या तहसील के भी जिस हिस्से में वे चाहेंगे वहां लागू करेंगे। यह गलत है। इससे साफ जाहिर है कि आपकी इसमें विन्डिक्टवनेस है। पॉलिटिकल एम से आप यह कहना चाहते हैं। इसलिए सारे राजस्थान में एक साथ लागू होना चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : सभापति महोदया,....

**श्रीमती सभानेत्री** : समय का खयाल रखेंगे।

**श्री केदारनाथ** : आज बहस का दूसरा दिन है। इससे पहले कि रूल्स के बारे में मैं अपनी राय जाहिर करूं मैं बतौर भूमिका के कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि जो पहले सन् १९५३ में सीलिंग के बारे में एक कमेटी बनी, और उस कमेटी की रिपोर्ट सन् ५७ में हुई। उस बिना पर हमारे इस सदन ने राजस्थान एक्ट नं० ४,१९६० के सेक्शन ३ के तहत हमारे जो टीनेन्सी लॉज़ हैं उनके बीच में कुछ सेक्शन्स सीलिंग सम्बन्धी इन्सर्ट किये, और उसके पश्चात् उनको लागू करने के लिए, उनको ऑपरेशन में लाने के लिए, ये रूल्स हमारे सामने हैं जिनके ऊपर कि आज दो दिन से बहस चल रही है।

मैं यह मानता हूं कि अगर रूल्स लागू होने के बाद जो लैण्ड रिफार्म्स की मन्शा अगर वह पूरी नहीं होती है तो रूल्स लाजिमी तौर से ठुकराये जाने चाहिए। सरकार को ऐसी बात मानने के लिए न कोई गुरेज़ होना चाहिए और न किसी प्रकार की शंका होनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि सीलिंग के मैं पक्ष में हूं। सभापति महोदया, जो लैण्ड रिफॉर्म्स का मकसद है कि जमीन टिलर के पास में रहनी चाहिए मैं इस फण्डामेंट को मानता हूं। बीच के इन्टरमीजियेरीज़ समाप्त हों, मैं इस बात को भी मानता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि रेन्ट वड़ा यूनिफॉर्म हो। मैं यह भी मानता हूं कि टेन्योर की सिक्योरिटी हो। इनके अलावा मैं यह भी मानता हूं कि जो आइडल लेबर गांवों में है तो इस तरह से सरप्लस जमीन का बंटवारा हो, उनको इस ढंग से जमीन का एलॉटमेंट हो कि आइडल लेबर का इस्तेमाल कर के गांव में एक नई शक्ति पैदा हो, हमारे गांवों में सर्जन शक्ति पैदा हो और उसका इस्तेमाल हम करके एग्रीकल्चर में यहां कम्प्लेसेन्सी आ गई है इसको किसी तरह से रिवाइटेलाइज़ करें। मगर क्या ये रूल्स इन सारी बातों को सेटिस्फाइ कर सकेंगे ? क्या हम यह कह सकते हैं कि रूल्स डिफेक्टिव नहीं है ? कौनसी बातें एम्बीगुअस है।

मैं सबसे पहले इस बात को मानता हूं कि जो ३० स्टेण्डर्ड एकड़ जमीन तय की गई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि सीलिंग कमेटी ने इसके मुकाबले के सोशल जस्टिस को लेकर सारी सीलिंग लिमिट्स तय की है। हम जानते हैं कि इसमें इन्साफ है। हम इस बात को भी मानते हैं कि यह सीलिंग फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के १२वें पैराग्राफ या १८वें चेप्टर

(श्री केदारनाथ)

के मकसद को पूरा करते हैं और साथ ही साथ जो संविधान का ३९ आर्टीकल है उसके मकसद को भी पूरा करने जा रहे हैं। इस भूमिका के ऊपर मैं आपके जरिये यह सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इन रूल्स में कई ऐसे हैं जो रूल इस मकसद को पूरा नहीं करते हैं। सबसे पहले जो रूल १९ है। सेक्शन ३० (सी) ऑफ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९६० की तहत ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है इसमें कोई शक नहीं, मगर किस ढंग से इसका वेल्युएशन किया गया ? जिस तरीके से हमने इसका फॉरमुलेशन किया, ऑब्जर्वेशन किया, रिजल्ट लिया कि ३० एकड़ हो, उसको फंडामेन्टल बेस मानें और एप्लाई करें तो मुझे ऐतराज नहीं। मैं उस इलाके के बारे में बोलना चाहता हूँ, सभापति महोदया, जिसके बारे में बहुत गलत राय है। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने शंका जाहिर की और बाद में भी कुछ माननीय सदस्य शंका जाहिर करें कि कोलोनी एरिया में, नहरी इलाके में सभी जमींदार और बिस्वेदार लोग बसे हुए है। मैं गवर्नमेन्ट के रेकार्ड से साबित करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। इसका हरेक व्यक्ति जो एक तरह से सेटलर था उसने जमीन की कीमत दी, जमीन का उसने नजराना दिया और जो नये सैटलर्स आये उन्होंने उसको आबाद किया। उन्होंने मार्केट वेल्यू पर या ऑक्शन के ज़रिये जमीन खरीदी, उन्होंने उसकी पूरी कीमत दी। इसलिये इस जमीन पर इन्टरमीजियरीज़ नहीं आये। उस वक्त के जमीन होल्डर्स और रूलर्स को पूछलें, आपको पता चल जायगा कि उस इलाके की जमीन ग्रान्ट के तौर पर या बख्शीश के तौर पर नहीं मिली। जिनको बख्शीश के तौर पर जमीन मिली उन्होंने उस पर इम्प्रूवमेन्ट किया और न उसको आबाद किया इसलिये उनके स्टेटस में और हमारे यहां के काश्तकारों के स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिये जिन्होंने इन्वेस्टमेन्ट करके जमीन को आबाद नहीं किया, उपजाऊ नहीं बनाया मैं समझता हूँ वहां पर जमींदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन कानून पूरी तरह से लागू हो सकता है और हमारे पर क्यों लागू नहीं हो सकता उसके बारे में हमारे यहां के बारे में जो रिपोर्ट है, "Assessment Report of the First Regular Settlement of Gang Canal Colony by Rai Sahab Lala Behari Lal, P. C. S. (Retd.)" उसका हवाला देता हूँ। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि गंगानगर कोलोनी के काश्तकारों को प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। और जो खातेदार टीनेन्ट्स हैं या बन गये हैं उनके क्या कॉप्लेक्शन हैं, क्या कैरेक्टर हैं : "71 percent, of the proprietors own less than one square, 5 percent. own one square each, 14 percent own from 1 to 2 squares, 5 percent. own 2 to 3 squares, while 2 percent own from 3 to 4 squares".

सीलिंग से ऊपर इस इलाके में यह सन् '४४ की रिपोर्ट है, उस लिहाज से सिर्फ ५ परसेन्ट लोग आते हैं। मैं समझता हूं यह काफी स्पष्ट चीज़ है, साउन्ड चीज है इस बात को स्पष्ट करने के लिये कि यह इलाका जमींदारों का या बिस्वेदारों का इलाका नहीं है। इससे जस्टिफाई होगा कि इस इलाके के लोग काश्तकार हैं, प्रोप्राइटर्स हैं। माननीय सदस्य पूछेंगे कि खातेदार में और प्रोप्राइटर में क्या फर्क है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रोप्राइटर वह है जो आज के प्लान के अनुसार अपने जमीन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है

(श्री केदारनाथ)

वह अपना रिप्रोरियेन्टेशन चाहता है। प्रोप्राइटर का जमीन पर क्लेम है। आज एक खातेदार को अपनी जमीन से हरा पेड़ काटना है तो उसे सरकार को पूछना पड़ेगा। अगर वह उस जमीन में ट्यूबवेल बनाना चाहता है तो उसको पूछना पड़ेगा। उसको अपने आप करने का राइट नहीं है। लेकिन ये राइट्स पंजाब की तरफ से काश्तकार को अपनी लेंड पर एक होते है। लेकिन जब से आपने टेनेन्सी एक्ट बनाये हैं तब से सारे राइट्स खातेदार के हो जाते हैं। इसमें जो प्रिन्सिपल है उसके अनुसार कॉम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य कहते हैं कि जमीन सरकार की है। यदि सारी की सारी जमीन सरकार की है तो कलेक्टिव फार्मिंग भी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं।

**श्री रामकिशन** (वैर) : अब तो इन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग की बात छोड़ दी है।

**श्री केदारनाथ** : मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो उस कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं वे मेरे बाद में बोलेंगे कि हमारे उधर की जमीन भी सरकार की है और एलॉट की हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि जब केरल में जब उनकी सरकार थी, उनकी हुकूमत थी तब उन्होंने लैण्ड रिफॉर्म्स के बारे में जो इनेक्टमेन्ट किये उसका हवाला देना चाहता हूं। वहां पर उन्होंने सीलिंग की रेट क्या फिक्स की थी? उन्होंने अपने यहां की १५ एकड़ भूमि का वेल्युएशन फिक्स किया था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि केरल की १५ एकड़ भूमि की कीमत कितनी है और राजस्थान की ३० एकड़ भूमि की कीमत कितनी है। यदि केरल की जमीन का वेल्युएशन करेंगे तो वह ७०००) रु. तक पहुंचेगी और हमारे यहां २५००) रु. ही पहुंचेगी। हमने तय किया कि ३६००) रु. कीमत हो उतनी कमी पूरी हो। मैं सीलिंग की लिमिट मानता हूं। लेकिन हमारे में और उनमें फर्क है, स्थिति में फर्क है, प्रोडक्शन में फर्क है, लेंड के वेल्युएशन में फर्क है।

इस बात को मानते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आपने केनाल एरिया का सीलिंग २९ एकड़ तय किया है। सभापति महोदया, मैं यह अर्ज करता हूं कि २९ एकड़ आपने फिक्स तो की, लेकिन क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं कि २९ एकड़ जमीन में काश्त करने के लिए जितना पानी चाहिये उतना पानी आप दे सकेंगे हमारी जमीन की कोई कीमत नहीं है, यदि हमारे यहां रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर नहीं होता, रेगुलर इर्रिगेशन नहीं होता। वर्षा हो, न हो; उसकी कोई कीमत नहीं। वर्षा से ही पार पड़ जाता तो नहरें नही बनाते। वहां ३० एकड़ की लिमिट है तो काश्त २० एकड़ में होगी क्योंकि २० एकड़ जमीन को ही पानी मिलेगा क्योंकि पानी इतना ही मिल सकता है, १००० एकड़ में २.५६ क्युसेक्स पानी मिलता है। जैसा उन्होंने केलकुलेशन किया, क्रॉप का हमने तीन साल का एवरेज लिया ईल्ड के लिहाज से, पर एकड़ कितनी पैदावार होती है। पर ये तीन साल कौनसे लिये? सन् ५६–५७ और ५८। सभापति महोदया, ये साल वे हैं जब कि पाकिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट नहरी पानी के लिये नहीं हुआ था, एग्रीमेंट होने से पहले के साल लिये। उसके बाद हमारा और पाकिस्तान का समझौता हुआ जिसके अनुसार सतलज वेली का पानी हमें उन्हें देना पड़ा।

(श्री केदारनाथ)

हमारे पर उसका असर पड़ा। पहले ८० पर्सेन्ट पानी मिलता था अब समझौते के बाद ६० पर्सेन्ट मिलता है इसलिये यदि आप उस पहले वाले बेसिस को मान कर चलेंगे तो हमारे साथ जस्टिस नहीं कर पायेंगे।

मैं आपको उदाहरण दूंगा और आप मानेंगे कि हमारे यहां पर एकड़ ईल्ड पहले कितनी थी और पानी कम मिलने से पर एकड़ ईल्ड कम हो जाती है। आपने जो सीलिंग केनाल एरिया में २९ एकड़ रखा है मैं उसको मानता हूँ, लेकिन पहले आप उसके मुताबिक पानी दीजिये। हमारे यहां की जमीन का एरिया और भाखरा केनाल का जितना एरिया है, उसका आज से १० साल पहले यूनियन गवर्नमेंट ने जब जमीन का एलॉटमेंट किया उस समय इवेल्युएशन करवाया। इवेल्युएशन कमेटी आई उन्होंने१०सालके फॉर्मर इन्ग्रेडियेन्ट्स तय किये उसकी बिना पर सारे इलाके की जमीन को चार ग्रुप्स में बांटा एक १० आना कीमत दूसरा १२ आना कीमत, तीसरा १४ आना कीमत किया और चौथा वह हिस्सा किया जिसमें १६ आना प्रोडक्शन होता है, अर्थात् सेन्ट पर्सेन्ट प्रोडक्शन होता है उसको माना। पंजाब में १६ आना उसको मानते हैं जिसको सैंट पर्सेन्ट पानी मिलता है लेकिन हमारे यहां १६ आना उनको मानते हैं जिसको ६० पर्सेन्ट पानी मिलता है। ये आंकड़े हमारे दिये हुए नहीं हैं बल्कि यूनियन गवर्नमेन्ट की इवेल्युएशन कमेटी के दिये हुए हैं। तो ये रूल्स इन सारी बातों को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिये इनमें तब्दीली होनी चाहिये।

इसके अलावा जो दूसरी बात आई कि हमारे यहां ९ दिसम्बर, १९५९ के बाद जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको हमारी सरकार ने इन रूल्स के द्वारा ऐसी मंशा जाहिर की है कि हम नहीं रिकॉग्नाइज् करेंगे, नहीं मान्यता देंगे लेकिन सीलिंग का सिद्धान्त तय करते समय उनके दिमाग में शायद सोशियल जस्टिस का पोइन्ट था, गरीबों को जमीन बांटनी है, कन्सेन्ट्रेशन न होजाय, आम लोगों को मिले, डिस्पेरिटी कम हो ये बातें शायद उनके दिमाग में थीं मैं भी इस बात को मानता हूँ लेकिन सन् ५९ के बाद के आंकड़े सरकार प्रस्तुत करे कि कितनी जमीन बेची गई और उसको लेने वाले कौन थे ?

(६ म. प.)

मैं सोचता हूँ कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर, कोई भी सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर, कोई भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर इस बात से इन्कार नहीं कर सकता; सोशियल जस्टिस की दृष्टि से, इन्साफ की दृष्टि से यह नहीं कह सकता कि आज जिसके पास होल्डिंग है, जिसके पास कम जमीन है, आज स्मॉल होल्डिंग वाला कोई आदमी है, लैंड लेस है, जो शिड्यूल्ड कॉस्ट का है शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है, 'कवर्ड क्लास का है और जिसने अपने गुजारे के लिये कर्ज लेकर जमीन को मोल लिया है, वह महज सरकारी कर्मचारियों की कमजोरी के कारण, सरकार की इग्नोरेन्स के कारण, सरकार की गन्दी नीति के कारण, ढिलाई के कारण— जिसने जमीन का पैसा दे दिया है, जिसका जमीन के ऊपर कब्जा है, जो उस जमीन पर ड्राइव करता है, जो उस जमीन पर डिपेन्ड करता है, उसकी रोजी का सहारा है, उसके परिवार की रोटी का सहारा है, उस जमीन को उससे ले लिया जाय। मैं नहीं समझता, कोई आदमी, कोई माननीय सदस्य

( श्री केदारनाथ )

यह कहेगा कि उससे जमीन छीन ली जाय। आप कहेंगे कि जो जमीन ट्रान्सफर्ड हैं, जिन्होंने जमीन को ट्रान्सफर किया है सीलिंग का पर्पज् डिफीट करने के लिए और उस जमीन से पैसा कमाया है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। मैं बहुत अदब से कह सकता हूँ, मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार ने क्यों ढील दी ? क्यों सरकार उस वक्त लीगल एक्ट नहीं बना सकी ? क्यों सरकार कोई हिदायत नहीं दे सकी ? क्यों सरकार तहसीलदार पर पाबन्दी नहीं डाल सकी ? क्यों रजिस्ट्रेशन को बन्द नहीं कर सकी ? जिससे एक आदमी सोचता कि तहसील में जाते हैं तो वहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जमीन का बेचान नहीं होता, जमीन का ट्रान्सफर नहीं होता। मैं समझता हूं कि सरकार ने ढील दी है और सरकार इसके लिये दोषी है। उतना दोष उसका नहीं जिसने ट्रान्सफर किया है, जितना कि सरकार का दोष है। इसलिए सरकार अपनी भूल को मानते हुए उन लोगों को रिकग्नाइज़ करे और उनको भी जिनको जमीन बेची है, जो जमीन के आज मालिक हैं, जिनके पजेशन में लैंड है और जिन्होंने उस जमीन का पैसा दिया है। एक प्रश्न इसमें यह उठेगा और माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे कि जमीन लेने वाले ने जितना पैसा दिया है, रूल के मुताबिक सरकार का ट्रान्सफर्स सबूल करना चाहिए। अगर किसी जमीन का मुआवजा एक हजार है और जिसने लैंड खरीदी है उसने बीस हजार दिये हैं तो १६ हजार रुपये उस आदमी से ले लिये जायं। मैं नहीं समझ पाया, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? वैसे बात अच्छी जंचती है, सरकार को वह पैसा वसूल करना चाहिए। लेकिन क्या सरकार लिटीगेशन में फंसेगी ? क्या सरकार कोर्ट में जायेगी ? क्या सरकार मजबूत होकर एक्शन लेगी ? मुझे शक है सरकार की नियत पर। सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। बात अच्छी है कि इस तरह जमीन लेकर लैंड लेस को दे सकें। मैं सोचता हूँ, उसका कम्पेन्सेशन क्या दें ?

मैं इससे आगे चलूं कि इस तरह बेची हुई लैंड लेकर बिना मुआवजा और कीमत वसूल किये हुए जमीन लैंड-लैस को जरूर देने का नियम होना चाहिए। लेकिन सभापति महोदया, मैं सदन के सामने दो फैक्ट पेश करना चाहता हूँ कि सरकार अपनी जमीन, जो सरकार के पास गवर्नमेंट लैंड है, का अलॉटमेंट करती है कीमत बैठती है दस हजार। और अगर उस लैंड का आक्शन करती है। तो एक बीघा, एक एकड़ का भाव ढाई-तीन हजार की कीमत रखती है। आप ताज्जुब करेंगे, मेरी जानकारी में यह चीज आई है कि सरकार की ऑक्शन रेट इतनी ऊंची है और सरकार जमीन अलॉट करती है तो उसकी दस हजार कीमत है। सरकार मुआवजे की बात तय करती है, मैं मानता हूँ कि मुआवजा सरकार दे, कोलोनी के लोगों को दे, गंगानगर के इलाके में दे, वह २० टाइम्स रेंट का मिलता है। लेकिन जो रेट डिसाइड करते हैं, जो रेट फिक्स हुई है और जगह वह यहां की रेट्स से बहुत अलग है। यहां की रेट दस से चालीस रुपये फी एकड़ तक है और हमारे यहां चार आने से दो रुपये तक फी एकड़ तक है। इसलिए मैं इस उसूल को मानते हुए कि कम से कम कम्पेन्सेशन दिया जाय, कम से कम कीमत वसूल की जाय, यह सुझाव रखूंगा कि जो लैंड लेस हैं उनको जमीन अलॉट करते वक्त इस उसूल को मानिये। इसमें लीगल डिफीकल्टी आयेंगी कि आपने कम्पेन्सेशन की

# Page No 81



( श्री केदारनाथ )

रेटस कैसे तय की, क्वान्टम कैसे तय किया, लोगों को क्या दिया जा रहा है, जागीरदारों को क्या दिया कम्पेन्सेशन के अलावा, जमीन दी गुजारे के लिए उसके अलावा अच्छी जमीन दी, या इन लोगों ने जो जमीन खरीदी है वह इनके पजेशन में है— वह क्या कांविनेन्ट के रूप में मानली जायगी ? जो फिजिकल लेबर से सैटल हुए, जैसे स्वर्गीय महाराजा गंगासिंहजी ने कितने भूमिहीन किसानों को बंजर जमीन पर ले जाकर एक इलाका बसाया और बड़ी दिक्कतों के साथ उस लैंड को काश्तकारों ने कल्टीवेट कराया और उस वक्त जो ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट हुए ; मैं उन ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट को वाइट पेपर के रूप में नहीं मानता, में कॉविनेन्ट के रूप में नहीं मानता लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक तब्दीली आती है। जो कम्पेन्सेशन की रेट सरकार तय करती है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी कीमत पर सरकार अपनी जमीन काश्तकारों को, भूमि-हीनों को बांटे और आंक्शन करना बन्द करदे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का प्रोफिटियरिंग मोटिव नहीं है, सरकार का व्यापारिक दृष्टि-कोण नहीं है। मैं समझूंगा कि सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से सरकार पिछड़े हुए लोगों को राहत देना चाहती है, और इकानामिक होल्डिंग बनाना चाहती है।

इसके अलावा मेरी मान्यता है कि जिन लोगों ने सीलिंग लिमिट से कम जमीन खरीदी है, उनकी सारी की सारी सेल, उनके सारे के सारे ट्रान्सफर और उनकी सारी की सारी म्यूटेशन रिकग्नाइज़ की जाय। क्योंकि ये सारे रूल्स हैं, इनमें इसका कोई रेफरेन्स नहीं है, कोई चेप्टर इसमें नहीं है कि जिन भूमिहीन लोगों ने १९५९ के बाद जमीन खरीदी है, और कीमत से खरादी है उनका क्या हाल होगा, क्या फेट होगा ? इसका रूल्स में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका कोई इशारा नहीं मिलता है। इन रूल्स में कमी है। मैं इन रूल्स के पास होने में ढिले नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि सात, दस, पन्द्रह दिन में इस पर विचार कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि दिसम्बर में लागू होने चाहिए, इसमें तीन महीने और है और इस बीच में विचार कर लेना चाहिए। जब सीलिंग एक्ट पास किया था उस वक्त यह एश्योरेन्स दिया था कि डिस्ट्रिक्टवाइज़ कमेटी बनेंगी और वे जमीन का वेल्यूएशन करेंगी। वह नहीं हुआ और गलत आंकड़े मंगा कर सारी चीजें हमारे सामने पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, ये गलत आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के आधार पर रूल्स बनाये हैं, उनसे आप सोचें कि सीलिंग का पर्पज़ पूरा हो जायगा, सीलिंग लागू हो जायगा, सीलिंग का आंपरेशन हो जायगा और सोश्यल जस्टिस हो जायगी, सोश्यल जस्टिस के प्रिन्सिपल्स लागू हो जायेंगे—यह मेरी धारणा नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जो अलॉटमेंट होगा सरप्लस लैंड का, मैं मानता हूँ मेरे पीछे बोलने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य कहेंगे कि उन्हें कम्पेन्सेशन की बात जंचती नहीं है। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि जब उनकी रिजीम थी केरल में और उन्होंने कम्पेन्सेशन तय किया था और कम्पेन्सेशन देना तय किया था वह कितना था ? वह मार्केट वेल्यू का ६० परसेन्ट था। मैं समझता हूँ कि उस वक्त वह सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉ था, इतना परसेन्ट किसी स्टेट में नहीं था। पंजाब में मार्केट वेल्यू का ७५ परसेन्ट था। मैं यह नहीं मानता कि कोई भी जगह सरकार ऐसा कानून बनाये, ऐसे रूल्स बनाये कि जो आज बेनीफि-

(श्री केदारनाथ)

शियेरीज़ हैं, और प्रिविलेज्ड हैं और जो प्रोस्परस क्लास है, उसको और राहत मिले और उनकी पोजीशन रिटेन हो ; मैं इस पॉलिसी को नहीं मानता, मैं इससे भी क्रांतिकारी विचार का हूँ। लेकिन आज की इकॉनोमिक हालत और सरकारी नीति को देखते हुए भी हमारे सामने जो कॉन्स्टीट्यूशनल डिफीकल्टी है, लीगल डिफीकल्टीज़ हैं, उनको देखते हुए यह लाजिमी है कि नेशनल पॉलिसी के बेसिस पर कम्पेन्सेशन देने के रूल्स बनायें।

अब आखिरी बात में अलॉटमेंट के बारे में कहते हुए, अपनी बात दो मिनट में समाप्त करता हूँ। सरप्लस लैंड जितना सरेन्डर होगा, हमारे यहां जो जागीरदारों के पास एरिया है, उसमें सरप्लस लेंड डिक्लेअर करने जा रहे हैं, जो जमींदारों के पास एरिया है उसमें से सरप्लस लेंड डिक्लेअर करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो लैंड उनकी काश्त में नहीं है वह प्रेक्टीकली उनके पजेशन में नहीं लेकिन जो एरिया वे देने जा रहे हैं वह उनके एक्चुअल काश्त में है चाहे उसे वे हायर्ड लेबर से काश्त कराते हैं, चाहे अपने फिज़ीकल लेबर से काश्त करते हैं, चाहे मशीनरी के जारिये से काश्त करते हैं। इनमें फर्क है। एक जमीन एक की काश्त में हैं, और कुछ उसके कब्जे में जिस पर वह काश्त कराता है इनमें फर्क है। इसमें जो सरप्लस लैंड हो उसके लिए पंजाब ने ऐसे आॅर्डर किये हैं कि किसी के पास तीस एकड़ जमीन है, उसके पास दस एकड़ और है जो उसने ले ली है और किसी टीनेन्ट को दे दी है, और उसमें यह एग्रीमेंट हुआ है कि छः साल तक लगान के रूप में एक तिहाई प्रोड्यूस वह देता रहेगा चूंकि वह जमीन का मालिक नहीं है मैं उसको नहीं मानता।

**श्रीमती समानेत्री** : Please cut short.

**श्री केदारनाथ** : मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कहीं न हो कि जो राज्य ने जमीन का सीलिंग किया है वह कानून बन कर ही न रह जाय। इस तरीके से जो आपने टेनेन्ट के प्रोटेक्शन में कानून बनाये और यह तय किया कि जो टीनेन्ट है वह १/६ हिस्सा मालिक को देगा। मैं समझता हूँ कि यह सरकारी मशीनरी की कमजोरी के कारण वह फेल हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप रूल्स बनायें वे प्रेक्टीकल हों, प्रागमेटिक हों और आसानी से समझ में आ सकें। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन मैं भी जो अच्छी तरह नहीं समझता इसे किसान क्या समझेंगे ? अदालत क्या समझेगी ? आप ऐसा कानून बनायें जिसमें जो सीलिंग रेट की बात है, कम्पेन्सेशन की बात है– उन सबमें एम्बीकिटीज़ नहीं हों। अगर एम्बीग्विटीज़ रहेंगी तो नौकरशाही हावी हो जायगी और उससे करप्शन बढ़ेगा। इस दृष्टि से आप सारे रूल्स को देख लीजिये।

सभापति महोदया, मैं थोड़ा पब्लिक नुमाइन्दे और पब्लिक नुमाइन्दगी के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। इन रूल्स का इम्पलीमेंटेशन होगा, इनका इन्टरप्रिटेशन होगा और जो जमीन काअलॉटमेंट होगा, एग्जेम्पशन को तय करने केलिए जो बोर्ड होगा उसमें एम. एल. ए. और प्रधान को नहीं रहने दिया जायगा। इस पर हमारी सरकार दावा करती है कि वह डेमोक्रेटिक सरकार है।

एक आखिरी शब्द कह दूं, दो मिनट में जो कहना लाजिमी है अलॉटमेंट के सम्बन्ध में। मेरे पीछे बोलने वाले माननीय सदस्य कहेंगे

(श्री केदारनाथ)

कि स्मॉल होल्डिंग्ज़ हर एक आदमी को दी जायं। मेरा यह तजुर्बा है कि जितने गंग केनाल में अलॉटमेंट हुए, जितने भाखरा केनाल में अलॉटमेंट हुए, उनमें, दस बीघा जमीन दी गई, साढ़े बारह बीघा जमीन दी गई, वह जमीन अधिकतर आज उनके नाम है लेकिन किसी के पास गिरवी है। और दूसरे लोगों को जमीन गिरवी रख कर वे कोई और काम कर रहे हैं। इसलिए यह प्रिन्सिपल वहां लागू नहीं होता। आप जो जमीन दें, वह इकोनोमिक होल्डिंग करके दें। एक आखिरी शब्द....

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री तेजाराम। आप संक्षेप में कहें जो कुछ कहें।

**श्री केदारनाथ** : एक मिनट।

**श्रीमती सभानेत्री** : क्षमा करें, काफी समय हो गया है और काफी लोग बोलना चाहते हैं।

**श्री केदारनाथ** : मैं चाहता हूं कि सीलिंग जल्दी लागू हो और इसे पास करने में डिले नहीं हो। लेकिन लाज़मी है कि जो एजेन्सी है उनको लेना चाहिए, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल और पब्लिक नुमाइन्दे हैं। अलॉटमेंट के रूल्स को लागू करते वक्त ताकि अच्छी तरह से हो और जो सीलिंग लाने में सोशल जस्टिस का ध्यान रखा है, उसका एप्लीकेशन ठीक हो और राजस्थान में जल्दी, ऑनेस्टी से यह काम हो।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री तेजाराम। माननीय सदस्य, आप संक्षेप में कहें, जो कुछ कहें।

**श्री केसरीसिंह** (पाली): सभापति महोदया, आज बहुत सा समय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर जो रेज़ किया गया था उसमें लग गया इसलिए गवर्नमेंट का रिप्लाई इस पर कल रखा जाए।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व): बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार कार्य होगा।

**श्री केसरीसिंह** (पाली) : आज पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया गया उसमें समय बहुत खर्च हुआ है।

**श्रीमती सभानेत्री** : (श्री तेजाराम गहलोत से) आप बोलिये।

**श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : सभापति महोदया, सीलिंग का एक्ट ६० में पास किया था और वह नियम बनाने में रहा और इतने अर्से तक लागू नहीं हो सका। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने सीलिंग के प्रस्तावित नियम बनाये हैं जो हमारे सामने हैं और उन पर हम विचार कर रहे हैं। इस पर मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करता हूं।

जहां तक सिद्धांतों का प्रश्न है, यह तो कांग्रेस सरकार ने एक बहुत प्रगतिशील कदम उठाया है लेकिन इस कानून को लागू करने में जितनी सरकार की प्रतिष्ठा और शोभा होनी चाहिए वह इन मौजूदा नियमों के होते हुए नहीं हो पायेगी। मैं तो यह कहूंगा कि शोभा के बदले इन नियमों से सरकार को उल्टी बदनामी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये नियम जो बनाये गये हैं वे इतने क्लिष्ट बनाये गये हैं कि इससे भूमिहीन काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हो सकता, और जिन लोगों को मुआवजा मिलेगा वह मुआवजा लोगों को नहीं के बराबर होगा। अच्छा होता कि किसानों को परेशानी

(श्री तेजाराम गहलोत)

नहीं होती और भूमिहीनों को आसानी से भूमि मिल जाती इस प्रकार का कोई रूल्स लाते जिससे इसमें करप्शन नहीं होता ।

जहां तक चेप्टर दो में बताया गया है एक तहसीलदार कितने भूमिहीन हैं उनकी लिस्ट बनावेंगे। और जो भूमिहीन लोग हैं वे अपनी दरख्वास्तें तहसीलदार को देंगे । मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आपके यहां राजस्थान लेन्ड एलॉटमेंट रूल्स, १६५६ से लागू है और जिसके अनुसार गवर्नमेंट ने भूमिहीनों को भूमि एलाट की है और वह भी लैंड एलाटमेंट कमेटी ने मौके पर जाकर मजमें ग्राम में लैन्ड एलॉट करती है । अब आप यह रखते हैं कि तहसीलदार के सामने भूमिहीन लोग अपनी दर्ख्वास्तें पेश नहीं करेंगे तो उनको कोई जमीन मिल नहीं सकती है । इसलिये मेरी यह हैरानी है कि जब आपके यहां इसके लिए रूल्स हैं तो फिर इस प्रकार का प्रावधान क्यों रखा गया है ?

अब मैं दूसरे चेप्टर पर आता हूं । इसमें सेक्शन ६ में है कि वह काश्तकार इन नियमों के लागू होने के तीन महीने केअन्दर-अन्दर एस. डी. ओ. के पास जाकर डिक्लेरेशन दे सकता है । मैं, सभापति महोदया; निवेदन करूंगा कि कानून की जो धारा है उसके अनुसार रूल्स बनना चाहिए उसके विरुद्ध नहीं बनने चाहिए लेकिन कानून में ६ महीने का प्रोविजन रखा गया है कि ६ महीनों के अन्दर-अन्दर डिक्लेरेशन दिया जा सकता है, मगर आपने रूल्स में तीन महीनों का प्रावधान रखा है ।

( विद्युत्-प्रकाश कुछ क्षणों तक अदृश्य )

इसलिये तीन महीने का प्रावधान रखा है वह गलत है और इसके बजाय ६ महीने का हो सकता है । इसके अलावा मेरा और सुझाव है और वह यह कि आज आपके पास पूरा का पूरा रेकॉर्ड है कि किसके पास कितनी जमीन है । इसका सारा लैंड रेकॉर्ड बना हुआ है और कलेक्टरेट में और तहसीलदार के पास इस प्रकार का सारा रेकॉर्ड होते हुए भी एक काश्तकार इस प्रकार का डिक्लेरेशन दे कि उसके पास कितना होल्डिंग है, मैं यह समझता हूं कि यह तो केवल जनता को परेशान करने की बात है । जब सरकार के पास रेकॉर्ड है तो सरकार को चाहिये कि वह लोगों को नोटिस दे कि आपके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है उसको सरकार लेगी, और अगर किसी को उजर हो तो वह इस लिमिटेशन में उज्रदारी कर सकता है । लेकिन हम देखते हैं कि आज तक बजाय जनता को सुविधा देने के हर नियम में यह सरकार की भावना रहती है कि उन पर हुकूमत किस तरह की जाव और अपना सुझाव किस तरह रखा जावे, लोगों को परेशान किया जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है एस. डी. ओ. या तहसीलदार जिस आदमी के पास जमीन ज्यादा है उसको नोटिस दे आपने रूल ६ है उसके साथ में फॉर्म नं ४ बनाया है उसमें आपने यह रखा है कि जिसके पास जमीन हो वह बताए कि कितनी जमीन उसके पास है और उसका खसरा नं० क्या है । यह पूरी की पूरी जानकारी अनपढ़ काश्तकारों के पास मिलना मुश्किल होगा, और मैं यह कहूँगा कि ८० परसेंट काश्तकारों के लिए यह बताना असंभव होगा । तो आपका मकसद यह कि किसी तरह से जमीन जिसके पास ज्यादा हो उनसे लेली जावे यह आपकी मंशा है यह तो हल होगी या नहीं मगर एस. डी. ओ. और तहसीलदार के पास काम ज्यादा बढ़

(श्री तेजराम गहलोत)

जावेगा और काश्तकार को भी परेशानी होगी, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस नियम में सुधार करना जरूरी है।

अगर सरकार यह मान कर चलती है कि काश्तकार को डिक्लेरेशन देना चाहिए, मगर इसके साथ में जो नियम १० बनाया गया है उसको देखने से मालूम पड़ता है, ६ में जो डिक्लेरेशन देने के बाद भी सरकार को यकीन नहीं है और उन्होंने यह किया है कि एस. डी. ओ. तहसीलदार को डाइरेक्टिव देगा। जब एस. डी. ओ. और तहसीलदार के पास रेकॉर्ड है तो इस तरह की डुप्लीकेसी क्यों होनी चाहिये कि एस. डी. ओ. तहसीलदार को डाइरेक्टिव देगा तो नहू समझ सकता कि किस तरह से आपका भूमिसुधार का जो सही मकसद है वह पूरा हो सकेगा।

एक बात में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त सीलिंग एक्ट पास हुआ था उस वक्त फेमिली की डेफिनिशन में बहुत बहस चली थी और फेमिली की डेफिनिशन क्लेरीफाई नहीं हुई। इससे काश्तकार अनपढ़ हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। बरे वगैर हहैं वे एक आदमी के नाम खातेदारी है और वे पांच भाई हैं तो फेमिली की डेफिनिशन में किस तरह से वह आवेगा, इस पर जिस समय दिसम्बर, १६५६ को यह सीलिंग एक्ट पास हुआ था उस वक्त हमारे इसके कन्सर्न्ड मिनिस्टर ने यह घोषणा की थी कि जिनकी फेमिली अलग-अलग होगी उसको मान लिया जावेगा। मगर उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ। इसलिये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। आपकी मंशा काश्तकारों से भूमि लेने की नहीं है। आपकी इच्छा तो इकोनोमिक होल्डिंग से ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेने की है। इसका नतीजा यह होगा कि अनपढ़ लोग हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है, वे कानून की जानकारी नहीं होने से जो उनके लेजिटिमेट हक हैं उनसे भी महरूम रह जावेंगे। मशीनरी जिस तरह की है वह उनका कानून के नाम से शोषण करेगी। वास्तव में आप जिस काश्तकार को इस कानून के द्वारा मदद करना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगी।

अब मैं आपका ध्यान रूल १६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके द्वारा फॉर्मेशन ऑफ सीलिंग ग्रुप्स हर तहसील और जिले के लिए मुकर्रर की है। लेकिन सीलिंग मुकर्रर करे उसका साइन्टिफिक बेसिस होना चाहिए। हर जिले में अलग-अलग हिसाब होता है। कहीं चाही १ और कहीं चाही ४ और कहीं तीन साल में एक क्रोप पैदा होती है। इन सब बातों को देख कर सरकार को सीलिंग मुकर्रर करना होगा। इसलिए मैं [illegible] आपको साइन्टिफिक बेसिस के आधार पर सीलिंग लाना चाहिये जिससे जनता को संतोष प्राप्त हो कि यह सीलिंग मुकर्रर किया गया है, यह साइन्टिफिक बेसिस पर किया गया है, क्योंकि जहां पर चाही १ है और जहां चाही ४ है वहां पर दोनों की कीमतों को आप किस तरह से केल्कुलेट करेंगे? ऐसी भी जमीनें हैं जहां बिल्कुल बारानी भूमि है। जहां सीवेज हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि साइन्टिफिक आधार पर सीलिंग मुकर्रर किया जाए।

अब मैं रूल २८ की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं, जिसमें एग्जेम्पशन की बात है। जहां तक कानून का प्रश्न है, कानून बिल्कुल स्पष्ट है; मगर रेकॉर्ड वेरीफाई करने में बहुत

( श्री तेजाराम गहलोत)

भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अफसरों की मर्जी होगी उनको एग्जेम्प्शन मिलेगा और जिनको एग्जेम्प्शन मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, जिनको जमीन आनी चाहिये नहीं आवेगी। क्योंकि जहां तक २८ का सवाल है, २८ के बाद में ३० रखा ।

"Special Board to decide the application."

कि किस आदमी को एग्जेप्शन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए स्पेशल बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट किया है, इसमें लिखा है ;

"The expression 'efficiently managed' used in this sub-section with reference to a farm shall mean such farm managed in the prescribed manner"

लेकिन इन नियमों के अन्दर स्पेशली मेनेज्ड फार्म कैसा होगा, किस तरह का होगा, इसके नियम नहीं बनाए हैं; इसलिए नहीं बनाये हैं कि सरकार अपनी इच्छानुसार दे सके। स्पेशली मेनेज्ड फार्म कौनसा होगा इसका प्रोसीजर अवश्य होना चाहिए, तो इसको कीजिये। इसमें यह किया है कि बोर्ड बनाया है, एनीमल हस्बेन्डरी वगैरह के चार-पांच अफसरों को रख कर बोर्ड बनाया है तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की इन नियमों में कमियां हैं।

अब रहा सवाल यह कि इन नियमों में कम्पेन्सेशन देने के प्रावधान रखे हैं इन प्रावधानों में भी कानून की मंशा के विरुद्ध प्रावधान रखे है, क्योंकि एक्ट के अन्दर यह रखा है कि एक्ट की धारा २७ है उसके अनुसार कम्पेन्सेशन दिया जायगा, पर जहां तक धारा २७ का सवाल है कोई इन्ट्रेस्ट का सवाल नहीं, दस साल के अर्से में दस किश्तों में देने का सवा । पर इसमें यह है कि ढाई पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका असर उन भूमिहीनों पर पड़ेगा जिनको कि भूमि अलॉट की जायगी। टिनेन्सी एक्ट की धारा में यह प्रावधान नहीं है तो फिर नियमों में इस प्रकार का प्रावधान रखना उन भूमिहीनों के साथ अन्याय है। शिकमी काश्तकारों की जमीन के मुआवजे के ऊपर इन्ट्रेस्ट देने का प्रावधान नहीं रखा है तो इस तरह की जमीनों के मुआवजे पर इन्ट्रेस्ट रखना कतई उचित नहीं होगा।

एक बात और है। इस बिल के जारी होने के बाद में जो ट्रान्स्फर्स हुएउन हैं को इन नियमों में नाजायज् करार दिया है। मूल कानून में इतना बन्धन है कि जो ट्रान्स्फर्स हुए हैं उन्हें सीलिंग पर्पज् के लिए ट्रान्स्फर नहीं माना जायगा। जिस काश्तकार ने जिस आदमी से जमीन ली है तो मैं तो कहूंगा कि सरकार इस प्रकार के प्रावधान रखे कि जितने ट्रान्स्फर हुए हैं, उनको इल्लीगल करार नहीं दे, जिसने पैसे देकर जमीन ली है, वह जमीन उससे नहीं ले। क्योंकि सरकार की मंशा आखिर यही तो है न कि जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि मिले। तो ऐसी दशा में एक काश्तकर ने बिना सरकार की मदद लिए भूमिहीन को भूमि दे दी है, या किसी भूमिहीन ने बिना सरकार की मदद के भूमि ले ली है तो इसमें क्या बुरा किया है ?

एक्ट में प्रावधान रखा है कि, चालीस गुना, २५ गुना, २० गुना मुआवजा देने का प्रावधान

श्री तेजाराम गलोहत)

रखा है, पर यह नये भूमिहीन किसानों से जिनको कि, जमीन अलॉट की गई है उनसे वसूल किया जायगा, यह उचित नहीं है। लैंड अलॉटमेंट रूल्स, १९५७ में विना मुआवजा जमीन देते हैं और दूसरी तरफ इन भूमिहीन किसानों के लिए इस तरह रखें कि इन्हें जमीनों का मुआवजा लेकर अलॉटमेंट करेंगे, तो एक ही प्रान्त में एक ही तरह की चीज के लिए इस तरह की दो तरह की नीति, इस तरह का विरोधाभास ठीक नहीं। इसका सुधार होना चाहिए। बड़े बड़े जागीरदारों को जमीनें दी हैं, बड़े-बड़े काश्तकारों ने फ्री जमीनें ली हैं, फिर उन भूमिहीनों से जिनको कि आप जमीनें देना चाहते हैं, उनसे मुआवजा लें यह न्यायसंगत नहीं होगा। जिन भूमिहीनों को अलॉटमेंट किया जाय उनसे पैसा नहीं लिया जाय, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। सीलिंग एरिया तक की जमीन भूमिहीनों को, लैंड अलॉटमेंट रूल्स, १९५७ के अनुसार ही बिना मुआवजा लिए अलॉटमेंट किया जाना चाहिए।

इस प्रकार जो मेरे सुझाव थे वे मैंने सदन में पेश किये हैं, मैं आशा करता हूं कि सरकार इन पर गौर करेगी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री रामानन्दजी अग्रवाल !

मिस्टर रामानन्दजी, आज आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज समयाभाव के कारण आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ५ मिनिट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : माननीय सभापति महोदया, इस बात के लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, चाहता हूं कि १३ वर्ष के बाद अपने लरजते हाथों से उसने इन सीलिंग रूल्स को इस सदन में डिस्कशन के लिये पेश किया है। दो रोज से इस पर बहस हो रही है और इस बहस के दौरान विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों ने जो राय रखी है, उसमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ माननीय सदस्य जो अपने पहले सेटेन्स में तो यह कह देते हैं कि वे सीलिंग का सपोर्ट करते हैं और बाद में जो उनकी दलीलें होती हैं, बहस होती है वह तमाम इस बात पर जाती है कि सीलिंग लागू न हो या इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय जिससे भूमिहीन लोगों को भूमि नहीं मिले और इस प्रकार की दलीलें मैंने माननीय इस ओर बैठने वाले जनसंघ के सदस्यों से सुनी जो कि बहुत जोरों से इस बात को तो कहें कि हम सीलिंग के पक्ष में हैं, लेकिन इस बात को भी जोरों से कहें कि इसको पोस्टपोन कर दें, इस बात को जोरों से कहें कि सीलिंग करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में नहीं ले, वह अधिकार भूमिपतियों को ही दे दिया जाय, यह बात भी जोरों से कहें कि यह आमदनी रखी है कम है, सीलिंग की लिमिट कम है, तो फिर वे किस मायने में इसको सपोर्ट करते हैं? इससे तो स्वतंत्र पार्टी का रुख अच्छा लगा जो उन्होंने साफ कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, और अपने पक्ष में, अपने वर्ग के हित में संशोधन करा सकते हैं, काम करायेंगे। परन्तु सभापति महोदया, मुझे सबसे बड़ा अफसोस तो आज इस सरकार पर होता है जिसकी हालत उस धाय की तरह है जिसको पालन-पोषण के लिये बच्चा सौंपा गया है, जो उस बच्चे की जिंदगी, उसकी परवरिश में दिलचस्पी नहीं लेती, जिसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी उसे मिल गई है, पर वह उसे दूध पिलाती है, न उसकी अच्छी तरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से देखभाल करती है और न पालन-पोषण करती है, इस गरज से कि वह बच्चा अपने आप ही मर जाय। इस प्रकार की हालत सरकार ने इन सीलिंग रूल्स की कर रखी है।

प्लानिंग कमीशन ने पहली पंचवर्षीय योजना में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि सीलिंग स्वीकार किया जाय; उसके अनुसार सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि सीलिंग डिफीट नहीं हो। इस सरकार ने १९५३ में एक कमेटी मुकर्रर की, सीलिंग कमेटी। सीलिंग कमेटी मुकर्रर करते ही जनता में इस बात का खयाल पैदा हो गया कि सीलिंग लागू होगा। सीलिंग कमेटी मुकर्रर करते ही सरकार को जो कदम उठाना चाहिये था वह सरकार ने नहीं उठाया। सभापति महोदया, १९५६ में सेकिन्ड फाइव इयर प्लान बनी तो प्लानिंग कमीशन ने दुबारा ध्यान दिलाया, पिछले दो वर्षों में मेलाफाइडी ट्रान्स्फर्स हो रहे हैं, सीलिंग को डिफीट करने के लिए लोग ट्रान्स्फर कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को न सिर्फ उनको रोकने के लिए बल्कि जो उससे पहले ट्रान्सफर्स हो चुके हैं, यानी जो १९५४-५५ में जो ट्रान्स्फर्स हो गये हैं उनके लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिये। लेकिन हमारी सरकार के कानों पर जूं तक न रेंगी। १९५७ में, सभापति महोदया, सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी उसमें एक रिकमन्डेशन यह थी कि फौरन, नो लोस ऑफ टाइम, लेजिस्लेशन पास किया जाय जिससे लोग सीलिंग को डिफीट करने के लिए कदम न उठायें। गवर्नमेन्ट ने सेन्ट्रल की लॉ मिनिस्ट्री से इसको डिस्कस किया, क्योंकि वहां पर भी जिस तरह के यहां पर हमारे एडवाइजर्स गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिनका सीलिंग में विश्वास नहीं हैं, हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लॉ मिनिस्ट्री में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो वास्तव में सीलिंग न चाहते हों, वहां से एडवाइस मिली हो कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत होगी, राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोपोज़ल्स सीलिंग के लिए नहीं बनाये तो अब लेजिस्लेशन बनाया जायगा तो ठीक नही होगा।

तो इस तरह से सीलिंग कमेटी ने सिफारिश भी कर दी, लेकिन माननीय सभापति महोदया, सीलिंग कमेटी ने सीलिंग के प्रोपोज़ल्स रख दिये; हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में यह लिमिट होनी चाहिये लेकिन हमारी सरकार ने इन्टेरिम लेजिस्लेशन जैसा कोई कदम नहीं उठाया। १२ मार्च, १९६० में जाकर यह सीलिंग कानून पास किया। उस कानून में इस सरकार ने यह प्रोविज़न किया जिसमें उसने यह कहा कि इन ट्रान्स्फर्स को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। एक लूला-लंगड़ा प्रोविजन हो, कोई चोरी कर सकता है लेकिन हम मानेंगे नहीं उसको। अगर सरकार की नीयत वास्तव में यह होती कि सीलिंग का जो पर्पज़ है उसको कोई डिफीट न कर सके, लोगों को जो वास्तव में जमीन चाहते हैं उनको मिलनी चाहिये, तो आप उसमें इस प्रकार का प्रोविज़न रखते जिससे मेलाफाइडी ट्रान्सफर्स, एलीयेनेशन्स नहीं हो सकते। आप यह रख देते कि कलेक्टर का सार्टिफिकेट होगा, वह उसमें लगाना पड़ता और उसके बाद रजिस्ट्रियां हो सकती थीं, तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन इस तरह की कोई बात सरकार ने नहीं की। सरकार ने एक तरीके के ट्रान्स्फर्स को अलाऊ कर दिया और आज यह हालत है। १३ वर्ष बीत चुके हैं और सरकार मजे से देख रही है। ट्रान्स्फर्स हो रहे हैं और खुद कहते हैं प्राइवेट में एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साल किसी तरह से गुजर जाने दें, इधर के लोग कहते हैं एक साल और गुजर जाने दें, हम देख लेंगे सरकार किस तरह से सीलिंग लागू कर लेगी। और उधर बैठे हुए माननीय सदस्य इस तरह की बात करते हैं कि एक 'फेट एकम्पली' राजस्थान की जनता के सामने यह सरकार पेश करती है। कानून तो हाथ में लिया हुआ है, लोगों को एश्योरेन्स है कि उनको जमीन मिलेगी, लोग खरीद भी नहीं कर रहें हैं और इन्तजार कर रहे हैं और सरकार आहिस्ते-आहिस्ते बेक डोर से, चुपके से उन तमाम जमीनों को निकाल रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : सरकार कहां से निकाल रही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : By their not acting, by their acting in such a way......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Which is that law which can prevent registration ? If you know, kindly suggest it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अभी रीकास्ट करूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या चोन चला गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह के रेस्ट्रिकशन रख सकते थे कि कलेक्टर का सार्टिफिकेट उस एग्रीकल्चरल लेंड को ट्रान्स्फर करने के लिए जरूरी होता और कलेक्टर देख पाता कि जो एग्रीकल्चर लेंड होल्डर हैं उसके पास कितनी जमीन है; there is nothing unconstitutional about it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : As the law stands today regarding ceilings, which is that law which can prohibit a Sub-Registrar in registering a document which is placed before him for registration. That is what I am saying.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह तो आपसे कहा जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही मैं प्रोपोज कर रहा हूं। इस तरह का रेस्ट्रिकशन आप एलीयेन्स पर लगा देते तो इस प्रकार की रजिस्ट्रियां भी रुक सकती थीं और ये रेस्ट्रिक्शन्स आप लगा सकते थे और इस प्रकार के एलीयेन्स को आप रोक सकते थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने तो सेल को ही प्रोहिबिट कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेल को प्रोहिबिट नहीं किया है। आपने तो उसको एनकरेज किया है। इन्डाइरेक्टली आपने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दीं वे सेल हों। ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के कारण आप फिर से उनको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इस तरह एक स्थिति है। करोड़ों रुपयों की जमीनें ट्रान्स्फर हो गईं। आज यही सरकार पर्दे के पीछे जिन्होंने ट्रान्सफर्स की हैं उन्हीं से कॉन्फिबुलेशन्स कर रही है। आपकी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, गंगानगर, रेजोल्यूशन पास करती है। जो लोग किसानों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के हिमायती बनते हैं, किसान नेता कह कर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेन्सेज़ करते हैं और डिमान्ड इस तरह को कर रहे है जिससे तमाम के तमाम कानून को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाय, सीलिंग के पर्पज़ को डिफीट कर दिया जाय और यह सरकार चुपचाप नेगोशियेशन्स कर रही है और जहां तक मेरी सूचना है उनको एश्योरेन्स भी दिया है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** Absolutely wrong, false and without basis.

**श्री राधाकृष्ण गोयल :** This is a propaganda only.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** The taste of pudding lies in its eating.

The future will show where you stand.

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** Future will show.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** राजाओं के बारे में यह कहा था। आप उस कानून को पोस्टपोन करा रहे हैं, आपकी असलियत को छिपाना चाहते हे। प्राइवेट डील कर रहे हैं और आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :** यह रूल्स की स्पिरिट के बिलकुल बाहर है। रूल्स पर ही डिस्कशन होना चाहिए।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** सभापति महोदया, रूल्स किन हालतों में आये हैं, कैसे हुए हैं, कौन सरकार उनको रख रही है उसकी पृष्ठभूमि में सही तौर से नहीं जावेंगे तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे। मैंने सही तौर से रखा कि इन रूल्स को बनाने में इस सरकार का दृष्टिकोण यह नहीं है कि भूमिहीनों को भूमि मिल जाय, यह नहीं है कि सीलिंग का कानून जल्दी से जल्दी लागू हो। इन रूल्स को बनाने की एक डायेलेक्टरी टेक्टिक्स है, मामला लम्बा करना है और एक तरीके से इस सीलिंग के पर्पज़ को डिफीट करने का है।

सभापति महोदया, मैं इन रूल्स में, जो सरकार ने जिस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी है, उसके सम्बन्ध में आपके सामने और माननीय सदस्य भी बोले हैं और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि करोड़ों रुपयों की ट्रान्स्फर्स जमीनों की अकेले उनके जिले में हुई हैं, और जहां तक मुझे पता लगा है ४० करोड़ तक के ट्रान्स्फर्स अकेले गंगानगर जिले में इस तरह की लैंड के कर दिये गये हैं। यह सही है कि इस प्रकार के भी लोग होंगे जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं और जो एक्चुअली भूमिहीन होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने उस बात को छिपाया है जिसको जनसंघ के माननीय सदस्य कहते हैं या स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य कहते हैं कि अगर आप सीलिंग लागू करना चाहते हैं तो हमें कह दीजिये हम अपनी जमीनों को बेंच देंगे, जितनी आप कहते हैं उतनी रख लेंगे, आपका पर्पज़ हल हो जायगा और हमारे पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रह जायगी। इन बातों के कहने में और इस सरकार को इस कानून के अमली रूप देने में कोई फर्क नजर नहीं आता। अमल में आपने वैसी स्थिति पैदा कर दी है जैसी स्वतंत्र पार्टी चाहती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है और जनसंघ के लोग चाहते हैं उन्हीं को एडवोकेट कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज एक्चुअली इस कानून की मन्शा लैंड लेस लोगों को जमीन दिलाने की होनी चाहिये। कानूनी तरीके से एप्लीकेशन दे, डिक्लेरेशन दे, इस चक्कर के बाद जमीन का रिश्वत बाजार गरम करने के सिवाय इन रूल्स का कोई फायदा नहीं। जो ट्रान्स्फर्स की पोज़ीशन आपने इस पॉलिसी के वजह से क्रिएट कर दी, जिसमें उन भूमिहीन किसानों को जमीन मिलनी चाहिये, जिनको बगैर कीमत के मिलनी चाहिये उनको मजबूर किया गया हेवी एक्सपेन्डीचर करने को २० हजार रुपयों में मुरब्बा खरीदने को। आज उनकी क्या परिस्थिति है यह खुद अन्दाज लगा सकते हैं। इसलिये हमारा यह सजेशन है कि उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाय। उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए जिस तरह से लैंड अलॉटमेंट के तहत ....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : आपने किन लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कही है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जिन लोगों को इस सरकार के कदम पर जिसमें ट्रांसफर पर रोक नहीं लगाई मजबूरन भूमिहीन की स्थिति में आना पड़ा है। उनको लीगेलाइज़ कर दिया जाय, वे भूमिहीन लोग हैं उन्हें बेदखल किया जाय हम इन रूल्स में परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे ट्रान्सफरीज़ जो कि भूमिहीन हैं या जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग तक की जमीन है उन लोगों से उनकी इकोनोमिक होल्डिंग तक, फेमिली होल्डिंग तक, जो जमीन उन्होंने खरीदी है उनको इन अलॉटमेंट रूल्स की तहत-पहले प्रायोरिटी दी जाय क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास की सरप्लस लैंड में से इन लोगों को फेमिली होल्डिंग तक लाजिमी तौर से अलॉट की जाय। उसकी कीमत बीस हजार नहीं, बल्कि बगैर कीमत के उन लोगों को दी जानी चाहिये। आपने अहिस्ता से इस कानून में लगा दिया है कि ट्रान्सफरीज़ दावा करें जमीन की कीमत वसूल करने का। दूसरे शब्दों में यह मन्शा सरकार की है कि वह न तो दावा करें और न वसूली ही हो। अगर आप ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि ट्रान्सफरीज़ को लूटा गया है, उनका शोषण हुआ है तो इस कानून में हम यह चाहते हैं कि रूल्स के अन्दर हो सकता है, कानून के अन्दर परिवर्तन किये बगैर सरकार अपने ऊपर जिम्मा ले, कम्पेन्सेशन का फैसला ले, रूल्स २२ और २३ हैं उनमें यह प्रोवीज़न किया जाय कि सरकार लाजिमी तौर से जो उनकी जमीन की कीमत है जो, पेमेंट्स किये हैं उनकी कीमत देने की सरकार की जिम्मेवारी होगी। जिन लोगों ने बेची है उनसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सरकार वसूल करे। यह अधिकार सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। उन लोगों को जो भूमिहीन हैं, जिन्होंने भूमि खरीदी है उसको रिकग्नाइज़ न करे क्योंकि भूमिहीन जमीन नहीं खरीदते तो वे अलाटमेंट के हकदार होते, हम उनको पेनेलाइज़ न करके प्रायोरिटी देंगे उस हद तक, फेमिली होल्डिंग तक है। जिसके पास उससे ज्यादा है तो उसको ले लीजिये उसकी कीमत सरकार वसूल करके दे, यह इन रूल्स २२ और २३ के अन्दर तय किया जाय।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : फेमिली होल्डिंग से आपका क्या मतलब है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह आप समझते हैं और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिये। सीलिंग के सिलसिले में आम तौर से यह टर्म यूज़ की जाती है।

**श्री मानसिंह महार (आमेर)** : अगर सेठ साहब यह समझा दें तो और ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एरियर्स ऑफ लेंड रेवेन्यू के वसूल करने के नाम से आपको पसीना आने लगा है।

**श्री मानसिंह महार** : यहां दिल में पसीना आने का सवाल नहीं है, पसीना तो आपके साथी के आयेगा जो मैदान छोड़कर चले गये हैं।

**श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना)** : वे तो गैर हाजिर हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सदस्य जो यह चाहते हैं, किसान का नाम लेकर भूमिहीन किसान मारे जायेंगे, भूमिहीन किसानों ने करोड़ों रुपये की जमीन खरीद ली है उस गरीब की रक्षा करे। गंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक रिज़ोल्यूशन भेजा वह देखा है। कुछ मुरब्बेदार भी आये, उनके मेमोरेन्डम को भी मैंने देखा है। सब आते हैं भूमिहीन किसानों की तरफ से। मैंने उनसे यह बात कही। भूमिहीनों के बारे में बोलना चाहते हैं, यह सत्य है; लेकिन इस तरह के भूमिहीन बच जायें और लैंड होल्डर्स और ट्रान्सफरीज़ को किसमें बिठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो शोषण किया है और वह भी गैर कानूनी तरीके से किया है, आपने कानून के खिलाफ किया है। आप ईमानदार हैं और इसको ईमानदारी के साथ लागू करना चाहते हैं आपकी मन्शा ऐसे ट्रान्सफर्स करने की नहीं थी, किसानों को लुटवाना नहीं चाहते, भूमिहीन और शोषितों को जमीन दिलाना चाहते हैं, तो आपको रूल्स में मैंने जिस प्रकार कहा तरमीम स्वीकार करनी चाहिये। चाहे कोई कांग्रेस कमिटी या और कोई कुछ कहे इस कानून के अनुसार जिन लोगों ने ट्रान्सफर्स किये हैं उन लोगों ने गलत तरीके से ट्रान्सफर्स किये, उनसे कीमत वसूल करके स्टेट को चाहिये वह भूमिहीनों को देनी चाहिये। फेमिली होल्डिंग इकोनॉमिक होल्डिंग तक इस हद तक प्रोटेक्ट किया, जाय उस जमीन से बेदखल न किया जाय इस अलॉटमेंट के तहत।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ पार्टीशन्स के जरिये जो ट्रान्सफर्स हुए हैं, इस संबंध में जो रूल्स बनाये गये हैं, शायद वह रूल १२ है जिसमें तहसीलदार को देखना है कि ये ट्रान्सफर्स जायज हैं या नहीं। शायद सरकार की मान्यता है कि पार्टीशन्स सब बोनाफाइडी ही हुए होंगे। इसलिये उन ट्रान्सफर्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ जो पार्टीशन को इस एक्ट के अन्दर मान्यता दी गई है वे पार्टीशन बोनाफाइडी पार्टीशन्स को दी गई है। मेलाफाइडी पार्टीशन्स के बारे में भी रूल्स के अन्दर प्रोवीजन होना चाहिये, जो डिक्लेरेशन दफा ९ के अन्दर दे उनके बारे में भूमिहीन हैं या नहीं या दूसरे हैं, इनके बारे में रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन पार्टीशन के बारे में रखने की आवश्यकता है। ये पार्टीशन्स जेनुइन हैं या मियां-बीबी अलग-अलग करके बोगस फेमिलीज़ क्रिएट की गई हैं। चार बच्चों को अलग-अलग बताकर के बोगस फेमिलीज़ तो क्रिएट नहीं की गई हैं? इस तरह से गलत पार्टीशन हो गया हो। आपके रूल्स की मन्शा है, पार्टीशन और ट्रान्सफरीज़ के पीछे नहीं जाते। यह डिफीट करना हुआ एक तरह से सीलिंग के कानून को; इस प्रकार का संशोधन होना चाहिये और रूल्स में किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

**श्रीमती सभानेत्री** : Be brief, Hon. member !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदया, रूल्स २८ में एक्जेम्प्शन के बारे में फॉर्म बनाया गया है जिस फॉर्म को जो एक्जेम्प्शन चाहेंगे वे भर कर देंगे। जो भी एक्जेम्प्शन्स पहले कानून में दिये गये वे बहुत लिबरल हैं, वे डिफीट करेंगे भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने में। बेसिक एक्ट जो बन चुका है उसकी बहस में मैं जाना नहीं चाहता। इस समय सरकार ने जो रूल्स बनाये हैं उसमें चोर दरवाजा नहीं छोड़ देना चाहिये जिससे एक्जेम्प्शन में ऐसे लोग आजायं जो डिजर्व नहीं करते हों, जो एक्चुअली इसमें आते नहीं। रूल्स में जो फॉर्म बनाया है उसको देखकर जिसके पास एफीसियेन्ट फॉर्म है उसको क्या डिटेल्स देने चाहिये। कॉलम के अन्दर यह प्रोवीजन नहीं रखा गया है। एक्जेम्प्शन जो चाहा गया है उसके लिये किस किस्म का फॉर्म होना चाहिये यह प्रोवीजन नहीं रखा गया है, चाहे ग्रोव्ज़ हों, चाहे कोआॅपरेटिव फार्म्स हों, एफीशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स हों, ब्रीड्स वगैरह के फार्म्स हों, इन रूल्स के अन्दर स्पेसिफिक तरीके से डिटेल्स में जानकारी जिस प्रकार का स्टैंडर्ड मुकर्रर किया जाना चाहिये, वह इसमें नहीं है। मैंने जो डिटेल जाननी चाही है, वह यह है कि जिनके लिये आपने निग्लेक्ट किया है, प्लानिंग कमीशन ने उनका ध्यान रखने के लिये कहा है। एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्मिंग के लिये प्लानिंग कमीशन ने कहा है :

"Efficiently managed farms which consist of compact blocks on which heavy investment or permanent structural improvements have been made and whose break up is likely to result in a fall in production" इस तरह के एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्मों के एग्जम्पशन की बात है। अब आपने जो फार्म्स बनाये हैं उनमें न तो आपने यह पूछा है कि कितना उनका उसमें इन्वेस्टमेंट है परमानेन्ट स्ट्रक्चर में, न यह पूछा कि अगर उनको ब्रेक-अप किया जावे तो क्या प्रोडक्शन में लोस होगा। किस तरह से प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आदि। अब ये चीजें आपने नहीं पूछीं, आपने इनकी जानकारी नहीं की तो क्या आप चेहरे देखकर तय करना चाहते हैं इनके बारे में कि किसका एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म है और और किसका नहीं ?

इसी तरह से कोआॅपरेटिव्ज़ का मामला है। पिछले सदन में यह बात सामने आई है कि लॉ को डिफीट करने के लिए बोगस कॉआॅपरेटिव्ज़ बनाई हैं। तो क्या आप अलॉटमेंट करते समय उनके बारे में जानेंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर में कर दिया उसी को सही मान लेंगे आप ? आपको, वे बोगस हैं या सही हैं इसके आंकड़े मांगने चाहिए, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स हमारे सामने आये हैं कि बोगस बनाई हैं लोगों ने जिसका पर्पज़ सीलिंग के कानून को डिफीट करना है। इसलिए इनको रूल्स में प्रोवाइड किया जाना चाहिये ताकि इन बातों को रोका जा सके।

तीसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं वह है अलॉटमेन्ट आॅफ लैंड टू लैंडलैस के बारे मेंजो प्रोवीजन आपने किया है उसके सम्बन्ध में है। पहली बात तो यह कहनी है कि जो आपने इसमें यह प्रोवीजन रखा है कि जो अलॉटमेन्ट रूल्स ५७ हैं वे मोटे तौर पर लागू होंगे, यह दुरूस्त नहीं है। वे जमीनें जिनके लिये वे रूल्स बनाये गये हैं बंजर है; वेस्ट लैंड है।

श्री केसरीसिंह (पाली) : वेस्ट लैंड नहीं है बल्कि जो गवर्नमेंट में वेस्ट थीं वे कल्टीवेबल लैंड हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Culturable but not cultivated.

श्री केसरीसिंह : No, no, It is cultivated.

श्री रामानन्द अग्रवाल : खैर। अब जिनको आप यह लैंड दें उनको लैंड अलॉट करने के बाद खातेदारी राइट्स स्ट्रेट–अवे दे दें। इसमें आपने दस वर्ष का प्रावधान किया। आपने यह कहा है कि ५० पर्सेन्ट जितनी काश्त कर लें तब करें। तो यह राइट उनको होना चाहिये।

दूसरी बात, आपने लैंड लैस के सेन्सस रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान किया है। उसमें अगर आपकी यह नीयत थी तो १३ वर्ष से पिछले १५ वर्षों से आपको पता था कि लैंडलैस हैं, आप तब कर सकते थे। सेंसस पर अब ऐसा लगता है, आपकी नीयत डिले करने की है। आप अब फिर इसमें एक साल लगा देना चाहते हैं। वैसे कौनसी डिफीकल्टी है आपको इसमें ? आप समझावें। आज आप तैयारी नहीं कर सकते, पांच साल पहले नहीं कर सकते थे, दस वर्ष पहले नहीं कर सकते थे, अब जिस दिन रूल्स बनाया उस रोज सेंसस करना चाहते हैं इसका मतलब तो यही हैं डाइलेटरी टैक्टिक्स आप अपनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो रूल्स बनाये हैं बादमें जब लैंड लैस लोग दर्ख्वास्तें देंगे तो उनको आप पब्लिश करेंगे, फिर नोटिफिकेशन होगा ऑब्जेक्शन कॉल करेंगे और फिर सारी कानूनी कार्यवाही होगी। इसमें टाइम लगेगा। इसलिए महरबानी करके अगर आपको लैंडलैस की सेंसस करनी हो तो कल ही से ऑर्डर दे दीजिए। ५७ रूल के अन्तर्गत डाइरेक्ट रजिस्ट्रेशन का काम तो अभी शुरु करवा सकते हैं आप, पर आप उसे सीलिंग के काम की बुनियाद पर पोस्टपोन करने की कोशिश न करें। सीलिंग की जमीन बांटने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। जब किसान दर्ख्वास्त दे कि उसे जमीन चाहिए उसी वक्त इसकी एन्क्वायरी हो जावेगी। डुप्लीकेट काम न करें, वर्ना सालों गुजर जावेंगे और इसमें डिले होगी।

तीसरी बात यह है कि जो किसान लैंड लैस दर्ख्वास्त देगा जमीन की तो उसके लिए भी आप यह प्रोवीज़न करें कि वह भी अपनी दर्ख्वास्त रजिस्टर्ड और एक्नोलेजमेन्ट पोस्ट द्वारा भेज सके और उसे एक्नोलेजमेन्ट स्लिप के द्वारा रसीद मिल सके। वर्ना पटवारी और रजिस्ट्रेशन क्लर्क के हाथों में वह चला जावेगा; जिसकी मर्जी आवेगी उसको रजिस्टर में लेगा, नहीं चाहेगा नहीं लेगा, झगड़े चलेंगे, शिकायतों का अवसर आता रहेगा जैसा हम आज भी देखते हैं। दूसरों को पोस्ट से आपने भेजने की छूट दी है तो इनको भी मिलनी चाहिए। इसका भी प्रोवीज़न आप रूल्स में करें।

चौथी बात, कहना चाहता हूं, इसमें प्रायोरिटी जो फिक्स की है उसमें हम चाहते हैं कि कुछ चेंज करें; नवम्बर १. सबसे पहले प्रोयोरिटी आप उनको दीजिये जो किसान सब-टीनेन्ट हैं या खुदकाश्त लैंड का टीनेन्ट है और इस वक्त काश्त कर रहा है, वह जमीन सरपल्स में आ गई और सरप्लस में मिल गई तो उसको, जो काश्त करता आ रहा है अलॉटमेन्ट में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सबसे पहले अलॉट होनी चाहिए। उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये, यह आपके रूल्स में होना चाहिये।

पांचवी बात जिन लोगों ने यह ट्रान्सफर १९५९ के बाद कराया है जो कब्जा है वेल्यूएबल कन्सीडर किया है उसको भी आप प्रायोरिटी दीजिये।

तीसरे नम्बर पर जो बेसिक एप्लीकेशन की डेट रखी है वह प्रैक्टिस में अनुचित है। आप प्रायोरिटी रखिये कैटेगरीज़ ऑफ टीनेन्ट्स पर। आप प्रायोरिटी रखिये, उस प्रकार के किसानों को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिये। जो उस जगह का हो, उस गांव की जमीन उसी गांव के भूमिहीन को पहले मिले, यह होना चाहिए। तो रूल्स में जो डेट की बेसिस रखी है वह गलत है, सही नहीं है।

छठी बात, एक्ट में तो यह बात है है कि लैंडलैस के अलावा दूसरे परसन्स को भी अलॉट करेंगे पर, रूल्स में अनइकॉनॉमिक होल्डिंग वाले किसान को कहीं नहीं रखा है। आप लैंडलैस को सेटिस्फाई करने के बाद, जो अनइकोनोमिक होल्डिंग वाला है उसको लीजियेगा।

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : यह ऑलरेडी इसकी डेफीनिशन में आता है। लैंडलैस की डेफीनिशन में अनइकोनोमिक होल्डिंग वाला भी है।

## सदन के भविष्य के कार्य-क्रम विषयक

**श्री हरिदेव जोशी** (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदया), सदन का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें सीलिंग पर डिस्कशन के लिए, अगर आपकी और सदन की अनुमति और सहमति हो तो उसे इस प्रकार से संशोधित कर दिया जावे कि कल सात बजे तक जनरल डिबेट हो जावे और सात बजे के बाद गवर्नमेंट के रिप्लाईज़ हो जावें और १३ तारीख तक का जो बिज़नेस है वह उस समय तक पूरा कर दिया जावे। अर्थात् जो बिल्स हैं १३ तक के वे ११ व १२ और १३ तक के बिज़नेस में पूरे हो जावें उसी तरह।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : ११ व १२ के बिज़नेस को एक दिन में खत्म कर लिया जावे। १३ को फिर जैसा ठीक समझें कर लें।

**श्री हरिदेव जोशी** : अन्तिम दिन १३ तारीख है, उस दिन का बिज़नेस उसी तरह से पूरा कर लिया जावे।

**श्रीमती सभानेत्री** : यह ठीक है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : ११ व १२ का एक दिन में रख दिया जावे।

**श्रीमती सभानेत्री** : कल का बिज़नेस ११ व १२ का साथ मिला दिया जावे, क्या इसके लिए सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

## राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) विधेयक, १९६३

(अग्रेत्तर विचार–विमर्श)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदया, एक दलील यह दी गयी है और इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात को उठाया गया है खासतौर पर कांग्रेस की ओर से जो गंगानगर जिले में एक कन्वेन्शन किसानों की की गयी जिसमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि माननीय मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने इस दलील को उठाया कि भूमिहीन किसानों को सीलिंग तक ३० स्टेन्डर्ड एकड़ तक जमीन दी जाये। इस तरह की मांग सम्मेलन में उठाई और इस तरह की मांग जो गंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी है उसके रेजोल्यूशन में भी उठाई। सभापति महोदया, देखने में यह भूमिहीनों की बड़ी हमदर्दी लगती है, उनको यह बहुत अच्छा लगे लेकिन मैं समझता हूं कि यह भूमिहीनों को भूमि दिलाने की बात नहीं बल्कि ऐसी स्थिति क्रियेट करने की है कि उसको जमीन मिले ही नहीं। खैर, सरकार के पास खुद के आंकडे हैं। सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं १ करोड ३० लाख बीघा जमीन वेकन्ट लैण्ड बताई है जो कि मौजूदा आधार पर सीलिंग भी लागू कर दी गई उसके मुताबिक जो जमीन मिलेगी वह अन्दाज ४० लाख एकड़ जमीन मिलेगी। कुल मिलाकर १ करोड ७० लाख बीघा जमीन अलॉट करने की होगी। उसमें जैसलमेर का वह इलाका भी है जिसमें मीलों तक आदमी नहीं हैं। उसमें २ लाख ५० हजार तो बिल्कुल भूमिहीन लोग हैं जिनको अगर ३० स्टेन्डर्ड एकड़ फी फैमिली के हिसाब से दी जाये तो ७५ लाख एकड़ तो उनके लिए ही चाहिए और फिर १६ लाख फैमिली ऐसी हैं जिनके पास १० एकड़ से कम जमीन है। अगर इन सबको ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पूरी की जाये तो ५॥ करोड़ एकड़ जमीन चाहिए। इस तरीके से....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : १६ लाख तो कुल किसान हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका यह कहना है कि गंगानगर में जो कन्वेन्शन हुआ और जो वहां जिला कांग्रेस कमेटी है उसके रिजोल्यूशन में कहा गया है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ तक भूमिहीनों को जमीन दी जाये। मकसद यह है कि अगर भूमिहीनों को इतनी जमीन सिद्धान्ततः देना मान लिया जाये तो जो भूमिधारी हैं उनकी सीलिंग और बढ़ाई जाने की दलील दी जा सकती है, उनको दुगुना कराया जा सकता है कि जब नये आदमी जो कि भूमि के कभी मालिक नहीं थे उनको ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मिल गयी तो हम जो पुराने हैं और जिन्होंने इतना रुपया खर्च किया तो उनको तो ६० या १०० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन दी जानी चाहिए, वर्ना इसका प्रेक्टीकल आस्पेक्ट इतना है कि ५॥ करोड़ बीघा जमीन तो, सभापति महोदया, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ही चाहिए जिससे सब लोगों के पास इकॉनॉमिक होल्डिंग हो सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस रिजोल्यूशन को रखा है वे सब आंकड़ों को भी जानते थे लेकिन लोगों को गलतफहमी में डालने के लिए जिनका वह दरअसल पक्षपात लेना चाहते हैं उसकी बात मैं कहना चाहता हूँ..

श्री मोतीलाल चौधरी : इसके लिए न कोई मेमोरेन्डम बांटा गया है और न कुछ किया गया है, मेरे ख्याल से हाउस को आप मिसगाइड कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, वह रिजोल्यूशन सभी माननीय सदस्यों को बांटा है और अखबार में वह आया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : That is not property of the House.

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : आप क्या कह रहे हैं ? आप तो प्रतिपादित कीजिये ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य खुद एम्बेरेस महसूस कर रहे हैं। इस तरह के रिज़ोल्यूशन से। उनकी पार्टी में इस तरह की चर्चा है कि इस तरह का रिज़ोल्यूशन क्यों पास किया गया ? लेकिन फिर भी....

**श्री मोतीलाल चौधरी** : अपनी बात कहिये । हमारी क्या कहते हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह जो यह नारा दिया गया....

( व्यवधान )

**श्रीमती सभानेत्री** : Order please !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदया, जो यह बात की गयी कि लैंण्डलैस लोगों को ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन दी जाय कांग्रेस की तरफ से, यह बात कही जाय और इस प्रकार के लोगों की तरफ से कही जाय जो कि अपने आपको किसान नेता कहें तो गम्भीरता से हमें भी सोचना पड़ा कि इसके पीछे आखिर क्या मन्शा है । इसलिए उसका जिक्र इस सदन में करना पड़ा । क्योंकि उन माननीय सदस्यों के कहने का सारी जनता पर किसी न किसी रूप में अच्छा या बुरा असर पड़ता है । सभापति महोदया, इसके बाद....

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : सभापति दया, बहुत समय ले लिया है ।

**श्रीमती सभानेत्री** : कल के लिए समय बढ़ा दिया गया है । आपकी पार्टी को तो काफी समय दिया जा चुका है। कल और भी समय दिया जा सकता है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सीलिंग जो मुकर्रर की गई उसमें डिक्लेरेशन धारा ६ के तहत मांगा गया है । उसमें तहसीलदार को स्क्रूटिनी करने के अधिकार दिये हैं और तहसीलदार को ही यह स्टेटमेन्ट तैयार करने के अधिकार दिये हैं कि कौन ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को ऐसे डिक्लेरेशन देने चाहिए और उन्होंने नहीं दिये । तो एक तरह से इस कानून को लागू करने के पूरे अधिकार तहसीलदार को दे दिये हैं। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत होगा, इस कानून की डिफिट करना होगा । इस सरकार को इस कानून के इतने अहम प्रोवीज़न्स लागू करने के लिए एग्जेम्पशन देने की बात किन लोगों को डिक्लेरेशन देना चाहिए, जिन्होने डिक्लेरेशन दिया, और किन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया, किनके पास जमीन ज्यादा है और किनके पास जमीन कम है, कौन भूमिहीन है, कौन भूमिहीन नहीं ? इन तमाम बातों के लिए जिस तरह की लैंण्ड अलॉटमेन्ट कमेटी बनी है जिसमें जन-प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है इस प्रकार के जन-प्रतिनिधियों को स्थान देकर इस प्रकार की सीलिंग एडवाइज़री कमेटी बनायी जानी चाहिए,

( समय-समाप्ति सूचक घंटी )

जिसमें चैकिंग होना चाहिए । इन तमाम चीजों का अगर तहसीलदार पर छोड़ दिया तो जिस प्रकार से वह तय करता है उसी तरह से तय करेगा । तो इसके अनुसार इसमें चैन्ज किया जाना चाहिए ।

रूल, २१ में एस. डी. ओ. को, तमाम इन्क्वारी के बाद, एस. डी. ओ. का ऑर्डर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक इस तरह का कॉम्पलीकेटेड रूल बना दिया है। मैं समझता हूँ कि उसका प्रोसीजर भी इतना कॉम्पलीकेटेड है और उसकी स्टेजेज़ भी इतनी कर दी हैं कि जिससे इसका पर्पज़ हल नहीं होगा और बल्कि ज्यादा डिले होगी। आपको इन्क्वायरी करने के बाद एस. डी. ओ. को यह ऑर्डर करना चाहिए कि इसके पश्चात् कितनी फालतू जमीन है....

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

कौन-कौन से नम्बर उनके पास छोड़ते हैं और किन-किन को सरकार डिक्लेयर करती है, यह उसमें करना चाहिए।

अंत में, सभापति महोदया, कम्पेन्सेशन के जो प्रोवीज़न्स हैं उसके बारे में आता हूँ। माननीय सदस्य, श्री तेजारामजी ने अपने भाषण में कहा कि टीनेन्सी एक्ट के अन्दर जिन धाराओं के तहत इसमें देना चाहिए उसमें भी इन्ट्रेस्ट का जिक्र नहीं है और हमारे रूल बनाने वालों को भूमिहीनों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन चाहे उन किसानों के ऊपर कितना भी भार पड़ जाये उनसे तो ढाई परसेन्ट लिया जायं। तो इसमें जो प्रोविज़न है यह गलत है और इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभापति महोदया, जो इसमें अपोर्शन-मेन्ट किया गया है उसमें जो मुआवजा मिलेगा उसमें टीनेन्ट्स के बीच में और जो लैण्ड होल्डर थे उसके बीच में अपोर्शनमेन्ट में जो खुद काश्त का टीनेन्ट है उसका हक नहीं रखा है। उसको ५० प्रतिशत हक मिलना चाहिए। उसके पीछे जिस तरह के सुझाव दिये हैं उसके तहत ये लोग बेदखल तो नहीं होंगे। बहरहाल जो उसमें दिया गया है इस रूप में उनको कन्सीडर कर लिया जाना चाहिए।

मैं यहां निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी आप समय लेंगे। तो कुछ काम तो आप इन रूल्स के फाइनल होने से पहले भी इन्टेरिम तौर पर कर सकते हैं, खास तौर से वहां पर जहां पर कि यह ट्रांस्फर का सवाल है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर पुन-विचार करे और फौरन इस पर कदम उठाए। कोई कॉन्स्टीट्यूशनल दिक्कत नहीं है। सरकार इस प्रकार का प्रोवीज़न उसमें रख दे कि कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड का एलिएनेशन अपने कन्वर्शन के बारे में, इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, बेचने के बारे में, कलेक्टर के सर्टीफिकेट के बगैर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और कलेक्टर इस तरीके के सर्टीफिकेट नहीं दें। दूसरे आप लैंडलैस की लिस्ट अगर तैयार करना चाहते हैं तो स्ट्रेट अवे (straight away) तैयार करने की व्यवस्था करें। इसके फाइनल होने के लिए इन्तजार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ इधर बैठने वाले कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य इस सीलिंग को डिफीट करने की बात कर रहे हैं और जो वास्तव में इसमें इन्टरेस्टेड हैं उनको बुरा लगता है। हम यह भी जानते हैं कि आपकी पार्टी में संघर्ष चल रहा है। हम चाहेंगे कि वे एसर्ट करेंगे इस बात को और सरकार ने जैसा भी लूला--लंगड़ा कानून बनाया है, उसके पीछे नहीं जायगी, रिज़ाइल नहीं करेगी। अगर आपने किसानों के साथ गड़बड़ी की और भूमिहीन किसानों की पीठ में छुरा भौंका तो याद रखिए कि ये गरीब किसान इस रिजीम में आपकी धोखेबाजी को पसंद नहीं करेंगे और आपके खिलाफ खड़े हो जायेंगे।

**श्री नाथूराम** (बागोडोरा) : माननीया सभानेत्री महोदया, हमारी सरकार ने यह सीलिंग का कानून पास कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। वैसे तो सरकार ने १६५० में ही सोचा था और १६५३ में एक कमेटी बनाई थी। लगभग १३ साल हो गए, सरकार ने इस कानून को अभी भी लागू नहीं किया जिससे कि भूमिहीन किसानों को भूमि मिल जाय। हमारे राजस्थान के हर जिले के अंदर हजारों आदमी ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। १६६० में कानून पास हुआ उसके बाद में वह किसान इस तरह इन्तजारी कर रहे हैं कि दुष्काल में वर्षा की करते हैं, लेकिन भूमिहीन किसानों को भूमि नहीं मिली। उनके पास कोई धंधा नहीं है, मजदूरी नहीं है। उसके पास में और कोई भी साधन नहीं है जिससे वह अपने परिवार का गुजर कर सकें। आज राजस्थान के अंदर बड़े–बड़े शहरों में ऐसे स्थान हैं जहां पर ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे पैसे वाले हैं, मोटरों में घूमते हैं। उन्हीं के पास भूमि है। माननीया सभानेत्री महोदया, सरकार ने जो सीलिंग नियम बनाए हैं, जिन पर सदन में दो रोज से चर्चा हो रही है, वे अंग्रेजी में है। हमारे सदन के अंदर बहुमत हिंदी जानने वालों का है। अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम हैं। ये नियम यदि हिंदी में बनकर हर सदस्य को मिल जाते तो अच्छे सुझाव देते, लेकिन सरकार यह नहीं चाहती है। हमारी सरकार वास्तविक भूमिहीनों को भूमि देना चाहती है तो इन नियमों के अंदर यह संशोधन होना चाहिए कि जो जमीन जोतेगा वही मालिक बनेगा। जिनके पास जमीन आज तक रही है उन्होंने फायदा उठाकर पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब उनको त्याग कर देना चाहिए। आज हजारों लाखों लोगों के बच्चे भूखे मरते हैं, उनके पास काश्त के लिए जमीन नहीं है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाखों की तादाद में जो आदिवासी हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। वे गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं और अपने परिवार का पूरा पोषण करने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। उन भूमिहीनों के लिए भूमि की व्यवस्था करना चाहिए।

ऐसी सूरत में आपके द्वारा सदन को निवेदन करता हूँ कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए और नियमों में भी संशोधन हो कि बिना मुआवजे दिए उन भूमिहीनों को भूमि मिले और जो खेती करता है और खुद हल चलाता है, उसको भूमि मिले। आज हजारों जमींदार ऐसे हैं जिनके पास में बड़े–बड़े बीड़ हैं, खेती के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि अपने फायदे के लिए रखे बैठे हैं। इनसे अच्छा अनाज पैदा हो सकता है, लेकिन बीड़ के रूप में इनको रोक रखा है।

आज एक गरीब आदिवासी है जिसके पास एक या दो बीघा जमीन भी नहीं है। मैं अलॉटमेंट कमेटी का सदस्य हूँ। वहां पर भी दरख्वास्तें आती हैं। पटवारी लोग एक-दो बीघा जमीन दिलवाने के लिए अपनी ड्यूटी अदा करेंगे तो नाजायज फायदा उठाते हैं और राज्य सरकार इसका कोई भी इन्तजाम नहीं कर सकती। आज हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्दर भी भ्रष्टाचार है। अगर सरकार को इसमें किसी तरह से डाउट है, तो एक जांच कमेटी बिठाई जाय। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मैं उसके साथ रहूँगा सही जांच करवा सकता हूँ, जब तक किसी पटवारी को नाजायज फायदा नहीं पहुंचता तब तक वह ऐसी अड़चनें डाल देता है कि बेचारे कृषकों को ६

(श्री नाथूराम)

गुनी पेनाल्टी देनी पड़ती है। ऐसे कई केसेज़ श्राए जिनको हमने दो साल पूर्व राजस्थान सरकार के सामने रखा। बहुतों को अलाटमेंट हो गया और बहुत रह गये हैं। हम एक लम्बे अर्से से देख रहे थे कि आजादी के १५ साल बाद भूमिहीनों को भूमि मिलेगी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि नियमों में जल्दी से जल्दी संशोधन करके उन भूमिहीनों को बिना मुआवजे के भूमि मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री केसरीसिंह (पाली) : सभानेत्री महोदया, यह जो सीलिंग का कानून बना है उसमें खासतौर से दो बातें हैं, जैसे कि मेरे कम्युनिस्ट मित्र ने बताया कि लैंडलैस लोगों को लैंड मिले यह खास एम उस कानून का होना चाहिए, और है। दूसरी बात सोश्यल जस्टिस को भी दृष्टिगत रखना है। यह बात नहीं हो कि सोसाइटी में कइयों के पास बहुत ज्यादा जमीन रह जाय और कइयों के पास बहुत कम या बिलकुल नहीं। ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक प्रश्न सामने रहता है कि इन दोनों के साथ में एक तो ओवरऑल प्रोडक्शन गिरे नहीं, बल्कि बढ़े, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन भी इसके खिलाफ नहीं है। बल्कि इस बात को स्वीकार करता है और लोगों को इन्सेन्टिव मिले ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, यह बात भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

अब सबसे पहला कदम जो इस विषय में उठाना चाहिए, जो रूल्स में होना चाहिए था, वह यह कि एलॉटेबल लैण्ड गवर्नमेंट के पास कितनी है वह मालूम कर ली जाय। वह तो मालूम ही है गवर्नमेंट को, लेकिन विशेषकर पहले यही देखना चाहिए कि कितनी लैण्ड गवर्नमेंट के पास में एलॉटेबल है।

दूसरी बात जो मालूम करना है वह यह है कि लैण्डलैस पीपल (people) वास्तव में कितने हैं, या ऐसे कितने आदमी हैं जिनको जमीन की जरूरत है, जिनके पास में जमीन नहीं है और सिवाय जमीन पर मजदूरी करने के दूसरा कोई कमाने का जरिया नहीं है।

(सर्व श्री रामकिशन और रामानन्द अग्रवाल आदि के जोर से बातचीत करने पर)

माननीय सदस्य मुझे बोलने दें। सुनने की कृपा करेंगे। I am distracted, Sir,

तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि लैंडलैस पीपल कितने हैं, यह बात मालूम करने की जरूरत है। उनके बारे में और भी बातें मालूम कर ली जायं। लैण्डलैस मज़दूर ऐसे भी हो सकते हैं जो मिलों में काम करते हैं, लेकिन लैण्डलैस वास्तव में ऐसे आदमी हों कि सिवाय खेतों पर काम करने के गुजारे का साधन दूसरा जिनके और नहीं हो, वह लैंडलेस है। यह दो बातें मालूम हो जायं तो फिर पहला कदम यह होना चाहिए कि यह एलॉटेबल लैण्ड है गवर्नमेंट के पास में और यह जो लिस्ट बने ऐसे आदमियों की कि जो भूमिहीन हैं उनको माननीय सदस्य ने जैसी प्रायोरिटी बताई है और गवर्नमेंट भी जिस प्रायोरिटी को मानती है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उस प्रायोरिटी के मुताबिक यह लैण्ड कम से कम डिस्ट्रीब्यूट हो जाय।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : माननीय सदस्य ने जो प्रायोरिटी बताई है और सरकार ने जो रखी है उसमें आप कोई डिफ्रेन्सियेशन नहीं करते हैं ?

**श्री केसरीसिंह** : कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है।

**श्रीमती सभानेत्री** : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) आपको अपना मत व्यक्त करने दें

**श्री केसरीसिंह** : तीसरी बात यह है कि यहां पर ट्रान्सफर्स के बाबत की बात चली कि जो ट्रान्सफर्स हो गये हैं उनको वैध माना जाय या नहीं माना जाय, उसके लिए किसी किसी ने तो यह कहा कि वह नहीं होना चाहिए। और कई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वह रिकॉग्नाइज़ कर लेनी चाहिए, जो ट्रान्सफर्स हुए हैं वे सब रिकॉग्नाइज़ कर लेने चाहिए, और कई ने यह भी सुझाव दिया कि समय और बढ़ाया जाय जिसमें जिनके पास सरप्लस लैण्ड हैं वह आदमियों को बेच सकें अथवा डिस्पोज़ ऑफ कर सकें जो कि लैण्डलैस हैं। इस विषय में मेरे कम्युनिस्ट मित्र ने जो कहा कि यह बहुत बड़ा शोषण हो गया है यानी आपने कहा कि जब से सीलिंग लाने के लिए कमेटी बनी तब से ही लोग र ंग को डिफीट करने के लिए ट्रान्सफर्स व ं लगे, और इसमें बड़ा भारी शोषण हुआ, यह बात जो उन्होंने फर्माई है उससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर कोई राजी खुशी जमीन खरीद करता है यानी जो बात बेचने वाले को भी मन्जूर है और खरीद वाले को भी मन्जूर है, तो उसमें शोषण कैसा ? कोई खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है कि इतनी जमीन दे रहे हैं और इतना पैसा ले रहे हों। कन्सोलिडेशन में तो आपने यह किया है कि जबरदस्ती चकबन्दी कर दी और ऊपर से इतनी फीस देंगे।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : फोर्सीबल ट्रान्सफर्स का जिक्र नहीं कया है।

**श्री केसरीसिंह** : वह अलग बात है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनमें बड़ा भारी शोषण हो गया है, यह बात कतई सत्य नहीं है। मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, हाल कि आपकी भाषा में आप ऐसा कह सकते है कि पीछे जमीन छुड़ा ली। जैसा कि रूस में किया गया कि लिबरेट किया है ; You can use that word for it. आप जैसी चाहें भाषा रखें, उसमें मुझे कतई कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। राजी खुशी से कोई जमीन खरीदता है और उसकी कीमत राजी खुशी से तय होती है तो शोषण का कोई प्रश्न नहीं है।

तो पहला जो स्टेप बताया कि लैण्डलेस पीपल को लैण्ड मिलेगी तो जितनी जमीन गवर्नमेंट के पास में है और जितने लैण्डलेस आदमी है वह मालूम करके अलॉट करदें लैण्ड। दूसरा स्टेप यह होना चाहिए कि ट्रान्सफर्स को निश्चित रूप से रिकग्नाइज़ करें। इसमें सीलिंग के लॉ को डिफीट करने का प्रश्न नहीं पैदा होता है, क्योंकि आपका लॉ आखिर यही तो है कि इससे ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उपमंत्री, राजस्व) : Bu how can we recognise ? It

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

:

is provided in the Act. How can it be recognised in the rules now ?

**श्री केसरीसिंह** : एक्ट भी बदला जा सकता है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : Today the discussion is on the rules.

**श्री केसरीसिंह** : यह मैं मानता हूं, but it is never too late to right a wrong.

मेरी जो मान्यता है वह मुझे निश्चित रूप से कहना है। तो मेरा यह निवेदन था कि उनको रिकॉग्नाइज् करना चाहिए। पहले के ट्रॉन्सफर्स हुए हैं उनको और आगे भी समय देना चाहिए ताकि इस समय में भी जो सरप्लस लैण्ड है प्राइवेट होल्डर्स के पास वह ऐसे आदमियों को डिस्पोज् ऑफ कर सकें जिनके पास कि जमीन नहीं है, जो भूमिहीन की तारीफ में आते हैं। इससे बड़ी भारी सहूलियत होगी। यह जो लोगों की जमीन छीनने की बात है, प्रोपर कम्पेन्सेशन देने की बात है, इन सारी बातों में सहूलियत होगी। कॉम्प्लीकेटेड प्रोसीजर की बात है, इस बारे में भी सहूलियत होगी। जिनको जमीन लेना है राजी खुशी ले सकेंगे। उधर इससे कम्पेन्सेशन वाजिब मिलेगा इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट वेल्यू है जमीन की। जो लोग लेना चाहते हैं, कीमत भी राजी-खुशी देंगे, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए ?

दूसरा कदम जो मैं अर्ज करता हूँ वह इसके बाद आता है। इसके बाद भी यदि यह पाया जाता है कि अभी तक काश्तकार रह गये हैं जो कि भूमिहीन हैं, उनको जमीन नहीं मिली ,तो मेरा निवेदन है कि जो बड़े से बड़े फार्म हैं; Strike at the biggest farms. परन्तु यह भी देखें कि एक जिले में, एक तहसील में या जो यूनिट आप वाजिब समझें उसमें यदि हम पायें कि ये दो स्टेप्स लेने के बाद भी कोई कल्टीवेटर रह गया है जो कि भूमिहीन है तो आप यह न देखें कि उसी आदमी को उसी गांव में जमीन मिले। यह जरूरी नहीं हैं, अगर बाहर मिलती है और अगर वह ईमानदारी से चाहता है कि काश्त करे, उस जमीन पर कमा कर खाये तो वह दूर भी जाने को तैयार हो सकता है....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : मैंने तो प्रायोरिटी के लिए कहा

**श्री केसरीसिंह** : हां तो, इसके बाद तीसरा कदम यह होना चाहिए कि यदि फिर भी जमीन न हो भूमिहीनों को देने के लिए तो बिगेस्ट फार्म को स्ट्राइक करें। पहले यह कहें कि किसी के पास २ हजार बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रहनी चाहिए। आपको मालूम ही होगा कि अगर ऐसा करें तो इतनी जमीन मिल जायगी उसमें पूरा नहीं हो तो come down to one thousand, come down to eight hundred or come down to any size—— जिसमें कि उन लोगों के लिए पर्याप्त जमीन हो जाय जो कि भूमिहीन हैं उनके लिए। तो इस तरह से यदि आप जमीन को अलॉट करेंगे, भूमिहीनों को इस इस तरह से जमीन देंगे तो वाजिब होगा।

इसमें मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि भूमिहीनों में से कौनसे भूमिहीनों को जमीन देगें, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्हीं भूमिहीनों को जमीन मिलनी चाहिए कि जो

(श्री केसरीसिंह)

वास्तव में खेती करना चाहते हैं, जो जमीन को ग्रोन करना चाहते है, जो उस पर प्रोडक्शन करके कमाने की उम्मीद करते हैं। ऐसे न हों कि भूमिहीनों में नाम मंडा दिया और नम्बर आया तो जमीन ले ली जो कि बाद में किसी को सबलेट कर देगें या बेच देगें। उसकी लैंड रेवेन्यू समय पर देनी होगी उसकी भी चिन्ता नहीं। ऐसे नहीं हों। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि भूमिहीनों को आप एट ए प्राइस यानी कीमत पर जमीन दें, लेकिन वह प्राइस एग-जॉर्बिटेन्ट नहीं हो। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि मुफ्त में बख्शीश करो, वह चीज गलत है। गवर्नमेंट की लैंड है उसको चाहे इजी इन्स्टालमेंट रूप पर दो, लेकिन उसका भी पैसा लो, उसको भी एट ए प्राइस दो। ऐसा करने से जो कीमत आयेगी वह आपके पास रहेगी। जिस प्राइस पर वे खरीदें वह प्राइस वाजिब रहे, लेकिन प्राइस जरूर होनी चाहिए। तो उस हालत में ही आदमी आगे आयेगा जो कि वास्तव में खेती करना चाहता है; Who really needs to cultivate the land and hopes it produce something out of that; गवर्नमेंट के पास जो एलॉटेबल लैंड है उसको इनमें इस तरह से वितरित करेगी और जो भी पैसा आये उस पैसे को बाई वे ऑफ सबसिडी या लोन भूमिहीनों को दे सकते हैं, जिससे यदि वे किसी प्राइवेट होल्डर से जमीन खरीदना चाहते हैं तो उनसे जमीन खरीद सकें। यह जो जमीन बेचने व खरीदने का मौका आप दें उसमें यदि खरीदने वाला गरीब आदमी है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो गरीब है उनको सबसिडी दो, और जो ठीक-ठाक हैं, तो उनको लोन दो जमीन खरीदने के लिए, परन्तु यह नहीं है कि मुफ्त में आ रही है तो हाथ मारलो और बिना मुआवजे के तुरन्त जमीन मिल जायगी। ऐसा हुआ तो यह बात खतरे की होगी आपके नेशनल प्रोडक्शन के लिए।

यह मेरे एक माननीय मित्र ने बताया कि गंगानगर में साढ़े बारह बीघा जमीन इस तरह से फ्री-अथवा नगण्य कीमत पर, तो उसका नतीजा यह हुआ है कि आज उन पर वे कल्टी-वेटर प्रायः नहीं हैं। उन्होंने वह प्रोफिटेबल कीमत पर डिस्पोज़ ऑफ कर दी या उसको सबलेट कर दिया। मैं देखता हूँ, क्योंकि तह-सील कमेटी में मुझे बैठने का मौका मिलता है कि जो जमीन हम अलॉट करते हैं उनको जो कि आपके लैंडलेस की डेफिनिशन में आते हैं तो उनमें ऐसे लोग भी आते है जो कि वास्तव में खुद जमीन कल्टीवेट नहीं करते हैं, वे या तो अपनी एप्लीकेशन को पहले दे देते हैं या किसी तरह से पहुँचा देते हैं। जिससे जमीन उनके नाम अलॉट हो जाती है और वे लेकर सबलेट करते हैं और दूसरे जो अच्छे काश्तकार हैं; जैसे मान लीजिये मेरे पास १०० बीघा जमीन है लेकिन मैं अगर आज २०० बीघा काश्त कर सकता हूँ लेकिन कानून के कारण कर नहीं सकता तो क्या करूंगा कि कोई गरीब आदमी है जो अच्छा काश्तकार नहीं है लेकिन भूमिहीन की संज्ञा में आता है तो उसको कह दूंगा कि तू इस जमीन को लेले। वह उस जमीन को अपने नाम से ले लेता है, पर उस जमीन पर अधिकार मेरा रहता है। इस तरह के तरीके चलेंगे। काश्तकारों के लिए काश्त करने को जमीन की कमी हो ऐसी बात नहीं है। आप यह समझते हैं कि जमीन थोड़ी-थोड़ी सभी बांटलें यह बहुत गलत खयाल है। वास्तव में ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जिसको जमीन दी जाय वह उस पर मेग्ज़िमम प्रोडक्शन करे, नफा नुक्सान हों तो वह

(श्री केसरीसिंह)

नुक्सान को बर्दाश्त कर सके। ऐसे आदमियों को अलॉट होनी चाहिए और एट ए प्राइस अलॉट होनी चाहिए।

इसी सिलसिले में कम्पेन्सेशन की बात आ जाती है। कम्पेन्सेशन आपने मुकर्रर किया है और कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि does not approximate the market value at all; उससे मारकेंट वेल्यू का कोई तालमेल ही नहीं है। जैसे गंगानगर के बारे में बताया कि वहां पर जमीन की कीमत हजार या दो हजार रुपया बीघा है लेकिन बीघोड़ी वहां पर एक रुपया या आठ आना बीघा ही है और कई जगह इतना अधिक प्रोडक्टिविटी और इतनी मार्केट वेल्यू ऑफ दी लैंड नहीं होते हुए भी १०) या २०)रु. पर बीघा बीघोड़ी लेते हैं। इसलिए जो आपने बीघोड़ी पर कम्पेन्सेशन रखा है वह वाजिब नहीं है। मार्केट वेल्यू से कुछ न कुछ उसका तालमेल होना चाहिये। रीजनेबल कम्पेन्सेशन होना चाहिए और उसका मार्केट वेल्यू से तालमेल भी जरूर होना चाहिए।

यहां मैं एक और बात अर्ज करूं कि जहां प्रोडक्शन की बात कही उसमें यह बात है कि जमीन से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तब होगा जब काश्तकार को यह निश्चित होगा कि यह जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। यह आश्वासन काश्तकार को नहीं होगा तो वह इतना इन्वेस्टमेन्ट व इम्प्रूवमेन्ट नहीं कर सकेगा जब तक कि वह जमीन उसके पास स्थाई नहीं है। जब तक उसको यह विश्वास नहीं हो जायगा कि यह जमीन मेरे ही पास रहेगी तब तक वह उस पर कैसे पैसा लगायेगा और कैसे मैक्जिमम प्रोडक्शन करेगा। आज बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो यह जानते हों कि आखिर में हमारी जमीन हमारे ही पास रहेगी। इसलिए जो प्रोडक्शन होना चाहिए और जो इन्वेस्टमेन्ट जमीन पर होना चाहिये वह नहीं होता। इतना ही नहीं बल्कि जिनको सर्टेन्टी होती है वे किसी को सब लेट करने में या परमानेन्ट होल टाइम एग्रीकल्चरल लेबरर यह हाली-वाली रखने में भी नहीं हिचकेगी। हम हाली रखकर भी काश्त करवाने में ऐतराज नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि जो सब-टिनेन्ट्स के रूप में काश्त करते हैं उनको और हाली के रूप में जो काश्त करते हैं उनको एम्प्लॉयमेन्ट मिलती है। मैं निवेदन करता हूँ कि आप यह जरूर कहेंगे कि सबलेट करने की बात गलत है, हाली रखना खराब है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि अनइकॉनॉमिक होल्डिंग किसी को आप देते हैं, जैसा कि आपने रखा है लैंड अलॉटमेन्ट पॉलिसी के मुताबिक १५ बीघा जमीन किसी को दें और यह चाहे कि इतनी जमीन पर वह २ बैल रखकर खेती करके अपना पेट भर ले तो यह बिल्कुल गलत बात है। कोई यह कहे कि वह अपना गुजर कर सकता है तो मैं यह कहूँगा कि खेती का उनको ज्ञान नहीं है। मेरे सामने अगर यह चोइस हो कि मैं या तो १५ बीघा जमीन ले लूं या किसी के पास हाली रह जाऊं तो मैं हाली रहना बेहतर समझता हूँ क्योंकि हाली की स्थिति बेटर होती है बनिस्पत अनइकोनोमिक होल्डिग लेकर खेती करने वाले से....

श्री हरीराम धारू (सिवाना-सु०) : यह हाली रहने की प्रथा कब से पड़ी है?

श्री केसरीसिंह : 'हाली' शब्द पसन्द नहीं आवे तो इसे हटा दीजिये। लेकिन जो पैसा लेकर काम करते है उनको एम्प्लॉयमेंट

(श्री केसरीसिंह )

मिलती है, रोजी मिलती है, पेट भरने का साधन मिलता है। इसके अलावा ऑल्टर्नेटिव एम्लॉयमेन्ट आप उसको दे नहीं सकते। कानून बनाकर आप जो बात कर रहे हैं उससे नुकसान होगा।

श्री हरिराम घारू : आप अपनी बात फरमा रहे थे कि मैं हाली रह जाऊंगा। यह कहां तक संभव है ?

श्री केसरीसिंह : मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा था, कि यदि मुझे यह चोइस दी जाय तो मैं हाली रहना पसन्द करूंगा।

श्री हरीराम घारू : जमीन के बारे में आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने लिये फरमा रहे हैं, वह कहां तक सच है ?

श्री केसरीसिंह : I am not bound to please you with my answer.

मैं अपने जवाब से आपको खुश करने के लिये बाध्य नहीं हूं।

श्री हरीराम घारू : Please say in Hindi.

श्री रामकिशन ( वैर ) : ये खुद नहीं कह रहे हैं, पास बैठे हुए चौधरीजी इनसे कहलवा रहे हैं।

श्री केसरीसिंह : जो बीड़ पड़े रह जाते हैं, यदि बड़े-बड़े बीड़ पड़े रख लेते हैं तो दायरा रह जाता है। अनसर्टेंटी ऑफ टेन्योर ऐसी बेकार चीज है जिससे जमीन पड़ी रह जाती है और मेग्जिमम प्रोडक्शन नहीं होता और जितने एम्प्लॉयमेन्ट की गुंजायश है बा वे ऑफ सबलेटिंग या एग्रीकल्चरल लेबर उसमें कमी आती है।

तो लैंड लेस को लैंड मिले और इसमें किसी को जरूर मिले कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मिलनी उनको चाहिये जो रियली कल्टीवेशन करें, यह बख्शीश के तौर पर किसी को मिले भूमिहीनों में नाम लिखा ले उनको यह गलत बात होगी; इससे प्रोडक्शन गिरेगा।

दूसरी बात है, सोश्यल जस्टिस की। पहले सीलिंग ऑन लैंड पर विचार करने एक कमेटी बैठी थी उसमें हमारे यहां के खैरी साहब भी थे। वे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे, वे बड़े तजुर्बेकार हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि गवर्नमेन्ट के पास इतनी अलॉटेबल लैंड है, इतने लैंड लैस पीजेन्ट्स हैं और इन सबके लिये यह जमीन पर्याप्त है, इसलिये सीलिंग लगाने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग कमीशन की भी यह राय है कि जहां पर जमीन पर अधिक प्रेशर नहीं हैं वहां सीलिंग लगाने की जरूरत नहीं है अथवा सीलिंग बहुत ऊंची रखी जा सकती है। लेकिन उस कमेटी ने उस चीज को मंजूर नहीं किया यह कह कर कि सोश्यल जस्टिस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सोश्यल जस्टिस का भी नमूना देखिये। उस कमेटी में ढ़ाई हजार रूपये माहवार पाने वाले भी थे और उनके लड़के भी नौकरी करते हैं, कोई एस. डी. ओ. है और कोई कहीं दूसरी अच्छी जगह पर है। वे कहते हैं कि ५ आदमियों की फेमिली एक किसान की है तो उसके लिये ३६००) रु० सालाना की आमदनी पर्याप्त है। It should be enough as the maximum.

(श्री केसरीसिंह)

वे खुद चाहें तो दो ढाई हजार रुपये मासिक पा लें लेकिन जहां जमीन पर खेती का प्रश्न है वहां ३६००) कमा लेना ही काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि हमारी मंशा ऐसी नहीं है कि आप चाहें उस जमीन पर इम्प्रूवमेन्ट करके १० हजार रुपये सालाना पैदा कर लें। लेकिन मैं कहूंगा कि ३६००) रु० सालाना का स्टेन्डर्ड बनाया है वह यहां शायद इसलिये तो नहीं कर दिया कि कागज पर ही रह जाय। इतना पैदा हो सकता है। It should be the maximum यदि ३६००) रु० का प्रोविजन रख रहे हैं जैसा कि मैं मानता हूं, जरूर रखा रहेगा, then you are not true to what you are saying. इसमें कहां 'सोश्यल जस्टिस है मेरी समझ में नहीं आता ?

मेरे मित्र जनसंघ के एक माननीय सदस्य बड़े अच्छे वकील हैं, वे बड़े जोर से कहते हैं कि सीलिंग जल्दी से जल्दी लगादो। मेरे ख्याल से काश्तकारी से उनका वास्ता कम पड़ा है। यदि ऐसा कानून बना दें कि जितने वकील हैं वे उतने ही मुकदमे ले सकते हैं जितनों से ३६००) सालाना की आमदनी हो और बाकी के मुकद्दमे हैं उनको हम बहुत से वकीलों में बांट देंगे जो पूरी आमदनी नहीं कर सकते तो उन माननीय मित्र को अंदाज लगेगा कि कितनी एवसर्ड बात कही जा रही है। मैं भी अर्ज करूं कि यदि कोई काश्तकार है जो ५० बीघा जमीन लेकर काश्त करने की हैसियत रखता है तो उसको उतने पर काश्त करने देनी चाहिये। किसी के पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा जमीन पर वह काश्त कर सकता है मान लीजिए, उतनी काबलियत उसमें है कि वह ५०० बीघा जमीन पर काश्त अच्छी तरह से कर सकता है उसको यदि आप कहें कि ५० बीघा से अधिक जमीन पर आप काश्त नहीं कर सकते तो यह कहां का न्याय है, कहां की सोश्यल जस्टिस है ? मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता....

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : उसका तो एक्ट पास कर दिया।

**श्री केसरीसिंह** : कर दिया तो क्या हुआ ? अभी भी वापिस सोचा जा सकता है। यह मैंने पहले ही कहा है और अब भी कहता हूं; आपने अगर यह तय कर लिया कि कूए में गिरेंगे तो क्या काश्तकार यह भी नहीं कहे कि कूए में क्यों गिरेंगे ?

**श्री मोतीलाल चौधरी** : रूल्स का कोई बेसिस चाहिए।

**श्री केसरीसिंह** : रूल्स का बेसिस गलत हो तो क्या उसका विरोध नहीं करें ? इसका मतलब तो हुआ कि आप कहें कि कूए में गिरेंगे ही ये अब किधर से गिरेंगे–इधर से या उधर से–यह डिसाइड करना है। हम कह रहे हैं कि बिलकुल मत गिरो।

अच्छा, जो एग्जेम्पशन रखा है, वह भी देखिये। मैं अर्ज करूं कि आपने रखा है कि जो एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म हैं उनको एग्जेम्प्ट करेंगे। जो शुगर केन पैदा करें और उसके नीचे जितनी भी जमीन हो उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। आप अगर केन को एग्जेम्प्ट करेंगे। आप शुगर केन को एग्जेम्प्ट करेंगे, जिससे ज्यादा आमदनी होती है। यानी जिनके पास साधन हैं, जो ज्यादा अच्छी तरह

(श्री केशरीसिंह)

उसको मेन्टेन कर सकता है, उनको आप कहेंगे कि आप कर सकते हैं, आपके लिए एग्जेम्प्शन है। लेकिन दूसरे जो गरीब हैं, उसकी आप क्या आग्र्यूमेंट देंगे ?

श्री मोतीलाल चौधरी : आप तो और लम्बे जा रहे हैं।

श्री केसरीसिंह : तो क्या और ग्रेन आवश्यक नहीं है ? गेहूं पैदा कर सकता है, उस पर भी मत लगाइये। कोई यह आग्र्यूमेंट दे कि गन्ने को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि वह इम्पोर्टेन्ट क्रॉप है, जैसे-कॉफी है, टी है— ये भी इम्पोर्टेन्ट हैं, इससे फारिन एक्सचेंज मिलता है। इनको भी एग्जेम्प्ट करिये। मैं अर्ज करता हूँ कि जो दूसरे ग्रेन्स हैं क्या वे इम्पोर्टेन्ट नहीं हैं ? क्या आपको व्हीट इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका क्या मतलब है, एग्जेम्प्शन हटना चाहिए ?

श्री केसरीसिंह : ऐसे एक्जेम्प्शन नहीं होने चाहिए, इनमें सोश्यल जस्टिस कहां है ? और साथ ही हम तो कहते हैं कि सीलिंग लगना ही न चाहिए। सीलिंग के लिए अर्ज किया कि जो लैंडलेस आदमी हैं, जिनके पास जमीन नहीं है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : But that is against your Party's policy...

श्री केसरीसिंह : आपके ऐसे कह देने से क्या हैं ? I know it better.

श्री मोतीलाल चौधरी : आप कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह नहीं चाहते हैं।

श्री केसरीसिंह : जो लैंड लैस हैं, जो जमीन का ओनर बनना चाहते हैं और कुछ कमाने की उम्मीद रखते हैं उनको जमीन मिलनी चाहिए....

श्री रामानन्द अग्रवाल : फार्म्स के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री केसरीसिंह : मेरा ख्याल है कि इनके लिये सीलिंग जरूरी नहीं होना चाहिए। मेरा तो यह कहना है कि सीलिंग नहीं लगना चाहिए, परन्तु एक तरफ एग्जेम्प्शन रखा गया है और दूसरी तरफ सोश्यल जस्टिस का नारा लगाया जाता है। मैं आरग्यूमेंट के लिए कहता हूं कि सोश्यल जस्टिस इसमें कहां है ? साधन वालों को छूट और साधन-हीन जो हैं उन पर कानून।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका ख्याल है कि सीलिंग हो नहीं। अगर हो तो एग्जेम्प्शन नहीं हो।

श्री केसरीसिंह : आॅल्टर्नेटिव एम्लॉयमेंट की बात कहता हूँ।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपसे आगे हैं।

श्री केसरीसिंह : मैं अर्ज करूं कि आप लोग सुनें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

मैं अर्ज करता हूं कि अभी आप जो कह रहे थे पार्टीशन वगैरह की बात जो करें वह रिकॉग्नाइज नहीं करनी है क्योंकि बेटे, भाई या किसी और रिश्तेदार को जमीन बांट देंगे।

(श्री केसरीसिंह)

मैं अर्ज करता हूँ, इसमें हर्ज क्या है ? जो जमीन है वह अगली पीढ़ी में कम हो जायगी। यह ऐसी बात नहीं है कि हाय-हाय गजब हो गया। किसी किसी के पास जमीन ज्यादा रह गई। ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोचना गलत बात है। अगर जमीन ज्यादा है तो फेमिली आगे बढ़ेगी, जो पॉपूलेशन आगे बढ़ेगी, उस समय जमीन कम रह जायगी तब आप कहेंगे कि जमीन कम है। तब क्या करेंगे ? तब कहेंगे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सुधार करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो प्रति एकड़ में। और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तब कहेंगे let us lower the ceilings. यह नहीं करेंगे, इसकी क्या गारन्टी है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, यह सीलिंग एक्ट पास हो चुका है। अब ये रूल्स सदन के सामने रखे गये हैं, तो आपके इन रूल्स के ऊपर क्या सजेशन हैं, बहस का यह प्रिन्सिपल माना जा सकता है। लेकिन इन रूल्स के ऊपर जो लाइट तकरीर हो रही है ....

श्री केसरीसिंह : तकरीर तो होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उससे क्या सीलिंग बदल जायगा, या अलग हो जायगा ? यह होने वाला नहीं है, क्योंकि वह सदन के सामने नहीं है। वह मरा बच्चा है जिसे बंदरिया अपने कंठ से लगा कर घूमती है। यह उचित होगा कि इन रूल्स पर, उसूलों पर ही बात हो। सभापति महोदया, यह निश्चित किया जाय तो अच्छा होगा और दूसरे माननीय सदस्यों को भी समय मिल सकेगा।

श्री केसरीसिंह : आप समझने की कोशिश करें। मैं अर्ज करता हूँ ....

श्री मोतीलाल चौधरी : टाइम पूरा होगया।

श्री केसरीसिंह : टाइम पूरा नहीं हुआ। अभी पांच मिनट हैं। This is the next inevitable step. इनएविटेबल रिजल्ट हैं, दूसरा कष्ट नहीं हो सकता। दूसरा नतीजा क्या होगा, मैं प्रोफेसी करता हूँ I am almost certain about it. इसमें जो कांग्रेस का अल्टीरिअर मोटिव है, वह यह है कि उन्होंने रिकमन्ड किया है कि हमारे देश में हम कोऑपरेटिव जोइन्ट फार्मिंग लायें और इसे हमारे देश में हमारे साम्यवादी मित्र तो डंडे के बल से करना पसन्द करेंगे, जैसा उन्होंने किया है रूस में। यह कांग्रेसी लोग क्या करेंगे कि इस तरह के कानून कायदे बनाकर शुरूआत में तो अच्छी सीलिंग रखेंगे, क्योंकि इससे लोगों को बहका सकते हैं लेकिन इसका काश्तकारी के ऊपर क्या अफेक्ट होता है ....

श्री मोतीलाल चौधरी : बड़ी दूर की देखते हैं।

श्री केसरीसिंह : इन-प्रिन्सिपल, जो चीज आप ला रहे हैं उसको लोग कतई नहीं चाहते हैं। अगर आप रेफरेन्डम कराने को तैयार हों तो यह देख सकते हैं ....

श्री ज्वालप्रासाद शर्मा : हमारे मेनीफेस्टो में है और हम मेनीफेस्टो पर जीत कर आये हैं।

श्री केसरीसिंह : यह नहीं कहा होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बता दिया है।

श्री केसरीसिंह : Then I will say something else. इसमें प्रोवीजन जोड़ा है कि वहीं शुरू करेंगे जहां वाजिब समझेंगे । इसलिए यह जो बात कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं । जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी को ये रिप्रेजेन्ट करते हैं वहां के लोग इसे चाहते हैं ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : यह सब जगह लागू होंगे ।

श्री केसरीसिंह : यह सब जगह लागू होगा यह ठीक है, परन्तु there is this provision in the Act. एक माननीय सदस्य ने कहा कि सब जगह लागू करना चाहिए, एक साथ लागू करिये एक में आपने कहा कि जहां चाहेंगे वहां पहले लागू होगा । जिस एरिया में आप चाहेंगे वहां पहले लगाया जायगा और जहां तुरन्त नहीं लगाना चाहेंगे वहां लेटर ओनलगाया जायगा । यह कांग्रेस की तरफ से कहा है, आपकी मन्शा क्या है, वह आप जानें ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : I shall explain.

श्री केसरीसिंह : इस तरह का प्रोवीजन जरूर है । अब आप इस मेनीफेस्टो पर जीत कर आये हैं तो बड़ी अच्छी बात है । पहले आपके यहीं शुरू करें । फिर हम हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लोगों को भी समझा देंगे कि बड़ी अच्छी चीज है, इससे फायदा है । तो आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के काश्तकारों को फायदा होगा उसे देखकर हमारे उधर के लोग भी समझ जावेंगे ।

श्री मोतीलाल चौधरी : हम राजी हो जायेंगे, अगर आप समझ जायं । काश्तकारों को बाद में समझाना ।

श्री केसरीसिंह : मैं तो अच्छी तरह समझता हूँ, यह सारा धन्धा कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए बना है । जिनसे आप जमीन ले लेंगे उनके पास जमीनें इतनी कम रहेंगी कि उन्हें खेती पूरवेगी नहीं और जिन्हें आप जमीनें दे रहे हैं उन्हें इतनी कम दे रहे हैं कि उसमें खेती पूरवेगी क्या ? तो पेट भी भरेगा नहीं । तो फिर यही रास्ता उनके सामने रहेगा कि वह कोऑपरेटिव फार्मिंग में जायें । गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है । मैं समझता हूँ कि इससे प्रोडक्शन पर घातक असर होगा और काश्तकारों की हैसियत गिरेगी, बारबर गिरेगी ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : भविष्य देख रहे हैं ।

श्री केसरीसिंह : बेशक देख रहा हूँ । इसमें क्या है, हमारे जो साम्यवादी मित्र हैं उनकी जो आइडियोलोजी है उसमें वे मानते हैं कि काश्तकार उनकी आइडियोलोजी को पनपने देने में सबसे बड़ा रोड़ा है । यह जो रोड़ा है, इसको दूर करने के लिए ये चाहते हैं कि इनमें डिसकन्टेन्टमेंट पैदा करे, बाई एनी सब्टल मीन्स । सब्टल मीन्स इसलिए कि उसका कारण वे दूसरे पर थोप सकें । तो बाई ऐनी सब्टल मीन्स वे डिस्कन्टेन्टमेंट पैदा करना चाहते हैं । उन्होंने केरल में ६० पर्सेन्ट ऑफ मार्केट वेल्यू का कम्पेन्सेशन देने वाली बात कही, कारण कि वहां सरकार उन्हीं की थी, उसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं थोपी जा सकती थी और यहां पर कहते हैं कि कम्पेन्सेशन बिल्कुल मत रखो क्योंकि उनमें डिस्कन्टेंटमेंट बढ़े, डिस्कन्टेंटमेंट पैदा करने वाली कन्डीशन्स क्रियेट हों,

# Page No 110



(श्री केसरसिंह)

जिसकी कि जिम्मेदार तो कांग्रेस हो जाय और कम्यूनिज्म को फ्लोरिश होने का अवसर मिले।

**श्रीमती सभानेत्री** : समय हो गया है।

**श्री केसरीसिंह** : दो मिनट और हैं।

मैं अर्ज करता हूं, थोड़ी अप्रासंगिक बात जरूर है, लेकिन एक मिनट के अन्दर मैं अर्ज करता हूं कि माननीय सदस्य कितना हित चाहते हैं किसानों और मजदूरों का, उसका एक नमूना है.......

**श्री मोतीलाल चौधरी** : कौन ?

**श्री केसरीसिंह** : साम्यवादी। पाली मिल में एक हड़ताल हो गई थी। मुझे भी तार लिख कर भेज दिया कम्युनिस्ट सेक्रेटेरी थे उन्होंने.......

**श्री मोतीलाल चौधरी** : जेल में होंगे।

**श्री केसरीसिंह** : वे थे पर अब निकल गये। तो मैं इनके पास गया और अर्ज की कि मैनेजमेंट में मेरे एक मित्र हैं। अगर आप चाहें तो आपस में बैठ कर तसफीया हो सकता है। आप कहें तो मैं ट्राई करूं। बोले, नहीं यह ठीक नहीं है। मैंने पूछा आप क्या चाहते हैं ? बोले, हम चाहते हैं कि मजदूरों में डिस्कन्टेंटमेंट पैदा हो ताकि हम उन्हें एजूकेट कर सकें जिससे वे अपने हकों के लिए लड़ सकें। तो उसका नतीजा क्या होता है ; अगर राजीनामा हो जाता है तो जैसे डिमान्ड करते हैं छः की तो मिल जाता है चार। अब वे इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने जायेंगे तो एक दो भी नहीं मिलेगा यानी मजदूर नुकसान में रहेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप चाहते थे, एक जागीदार के प्रेशर से एक सेठ साहब को पंच बनाया जाय।

**श्री केसरीसिंह** : मैंने नहीं कहा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : You are under mis-conception.

**श्री केसरीसिंह** : लोगों ने मिल का बहुत नुकसान किया....

**श्री मोतीलाल चौधरी** : यहां सीलिंग की बात करते हैं और बाहर दोनों बराबर हैं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : जनता आप दोनों को जानती है।

**श्री केसरीसिंह** : जनता जानती है तभी तो इनकी जमानत वहां पर जब्त हुई है और आप लोग भी वहां असफल हो रहे हैं, फाइनल में अर्ज करूं कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज़ कमीशन बनाया है। उसके लिए यहां यह बात कहेंगे कि जमींदार उसे पुट ऑफ करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि चार-छः साल तक पुटऑफ होता आया है तो दो-चार महीने और हो जायेगा, अब वह कमीशन कैसा है, उसके चेयरमैन हैं हाई कोर्ट के जज....

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

कल जारी रखूंगा।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : समाप्त कर दिया।

**श्री केसरीसिंह** : समाप्त करना है तो मुझे इजाजत दीजिये, मैं कुछ समय बोलूं। मैं कल जारी रखूंगा।

**श्रीमती समानेत्री** : कल समाप्त किया जाय।

सदन की कार्यवाही कल ढ़ाई बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

( तदनन्तर सदनकी कार्यवाही रात्रिके ८ बजे, बुधवार, दिनांक ११ सितम्बर, १९६३ के म. प. २।। बजे तक के लिए स्थगित हुई )।

# Page No 112



## संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, दिनांक १० सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक**

आदिवासियों के जंगलात में अधिकार।

मरम्मत।

कुशलगढ़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार।

टोडा बांध की मरम्मत।

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतिकरण।

मकान और कोलोनीज़ बनाने के लिये सहायता।

आत्महत्या के प्रयत्न का मामला।

यूनियनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना।

मकान बनाने के लिए अनुसूचित जातियों को सहायता।

ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन।

पंचायतों के चुनाव।

गंगापुर-हिन्डौन सड़क।

समाज कल्याण विभाग का छात्रावास।

भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज को आर्थिक सहायता।

गंगानगर में हत्यायें, डकैतियां व चोरियां।

गहरे कुओं पर काम करने वालों की सुरक्षा।

मुकदमों का वापस लिया जाना।

नाजायज़ पिलाई वसूल करना।

एडवर्ड मेमोरियल भवन।

सूरतगढ़-पीलीबंगा सड़क।

उदयपुर में औद्योगीकरण।

कोटड़ी में बिजली।

आयुर्वेदिक औषधालय।

नलों के टेम्पोरेरी मीटर।

भेसा पिचूना का बांध।

भूमि की सनदें।

लाइसेन्स रिन्युअल फीस।

सड़कों का तोड़ा जाना।

नोहर के गांवों की सिंचाई योजना।

गोपाल इन्डस्ट्रीज़ लि० के खिलाफ शिकायत।

पुलिस डकैत मुठभेड़।

आयुर्वेद रत्न उत्तीर्ण वैद्यों का ग्रेड।

भीनमाल में छात्रावास।

समाज कल्याण विभाग के छात्रावास।

जावाल नदी पर काज़वे।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर व्यय।

जंगलात की सीमा–तहसील गिरवा।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री दुर्गालाल बोड़दार, सदस्य विधान सभा, ने चीनी (Sugar) के राशन कार्ड व वितरण से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नाथूराम मिर्धा, खाद्य मंत्री, ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

## राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम-क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ के प्रारूप पर विचार दिलाना

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य-मंत्री, द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर आज भी विचार किया गया:—

"राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम-क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३, [The Rajasthan Tenancy (Fixation of Ceiling on Land) (Government) Rules, 1963] के प्रारूप को जो दिनांक १९ मार्च, १९६३ को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जाय।"

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री दिग्विजयसिंह।
(२) श्री केदारनाथ शर्मा।
(३) श्री तेजाराम गहलोत।
(४) श्री रामानन्द अग्रवाल।
(५) श्री नाथूराम (१२७)
(६) श्री केसरीसिंह (८९)

सदन की बैठक रात्रि के ८ बजे बुधवार, दिनांक ११ सितम्बर, १९६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

## बुधवार, दिनांक ११ सितम्बर, १९६३ की कार्य-सूची

१. राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापन)।

२. राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ के प्रारूप पर विचार।

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६० का उत्तर देखिये )

## अधिकारों व अनुदानों की सूची

| तहसील पैदावार | मीना मील व | हकदार सिवाय |
|---|---|---|
| कबाड़ा वास्ते तामीर नये ढ़ीमडे के | ६) फी ढ़ीमडा | १२) फी ढ़ीमड़ा |
| कबाडा वास्ते पुराने ढ़ीमड़े के। | मुफ्त मगर ढ़ीमडा फीस कीमावली आठ आना (८ आना) सालाना देना होगा। फी बेरा कम से कम १)रु० और ज्यादा से ज्यादा ३)रु० चढ़स वाले, बूरों की निर्ख रूप में निस्फ होगा। | मुफ्त मगर ढ़ीमड़ा फीस की मावली १)रुपया सालाना देना होगा। फी बेरा कम से कम २)और ज्यादा से ज्यादा ६) चढ़स वाले बेरों की निश्चय रूप से निस्फ होगी। |
| कबाडा वास्ते तामीर मकान नया | आधी रॉयल्टी रेट्स। | तीन चौथाई रायल्टी रेट |
| कबाडा वास्ते मरम्मत पुराने मकान की। | फोरेस्ट रेंज ऑफिसर को दर्ख्वास्त करने पर चौथाई रेट से। | फोरेस्ट रेंज ऑफिसर को दर्ख्वास्त करने पर चौथाई रेट से |
| चराई मवेशी | बाजारी निर्ख से आधी कीमत पर। | बाजारी निर्ख से पौन कीमत पर। |
| मवेशियों के लिये घास· बलीता | मुफ्त टिकट लेने पर मगर फी गाडी राज में देना होगा। | मुफ्त टिकट लेने पर १० पूला घास की गाडी राज में देना होगा। |
| नोट: १— | बाद में स्टेट समय से ही १० पूला के एवज में बतौर रॉयल्टी के। ४। लिया जा रहा है। | नोट:— बाद में स्टेट समय से ही २० पूला के एवज में बतौर रायल्टी के। ८। लिया जा रहा है। |

२—बाजारी निर्ख से मतलब जंगलात से घोषित निर्ख नाम से है।

३—जरायम पेशा काम को कॉन्स्टीट्यूशन में अनकॉन्स्टीट्यूशनल डिक्लेयर कर लिया गया है।

# परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LABOUR DEPARTMENT

No. F6(2)IB/3/6013493 Dated Jaipur, the 1st Aug., 60

## ORDER

Whereas the registered trade unions named below whose annual returns for the year ending 31st March, 1960 were due by 31-3-60, have failed to submit the same by the prescribed date, as required by section 28 of the Indian Unions Act, 1926 (Act No. XVI of 1926).

And whereas a notice under section 10 (b) of the said Act was served upon them under this Department No. F. 6 (9)IB/4/RTV/11978 to 12279 dated the 19th May, 1960 to submit the same by 31.7.60 i.e. within a period of two months of the date of its issue.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon me under section 10(b) of the Indian Trade Unions Act, 1926 (Act No. XVI of 1926), I, N.K. Joshi, Dy. Labour Commissioner (Labour Laws) and Registrar of Trade Unions, Rajasthan, hereby cancel the registration certificates of these unions, with effect from the 1st of August, 1960.

| S. No.<br>1 | Name of the Union<br>2 | Registration No.<br>3 |
|---|---|---|
| 1. | Sawaimadhopur Cement Works Karamchari Sangh, Sawaimadhopur. | 62/53 |
| 2. | Jhalawar Bijlighar Karamchari Union, Jhalawar. | 77/54 |
| 3. | Rajasthan Mine Managers Union, Bhilwara. | 91/54 |
| 4. | Man Industrial Corporation Mazdoor Union, Jaipur. | 105/54 |
| 5. | Gadi Hamal Mazdoor Union, Jodhpur. | 136/55 |
| 6. | Bidi Mazdoor Union, Beawar. | 1/1955 |
| 7. | Nagar Palika Karamchari Sangh, Bijaynagar. | 4/1956 |
| 8. | Ajmer State Khan Mazdoor Union, Ajmer. | 1/1956 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | Tonk Bidi Mazdoor Sangh, Tonk. | 18/57 |
| 10. | Associated Soap Stone Distributing Co. (P) Ltd. Employees Union, Udaipur. | 46/57 |
| 11. | Govt. Central Press Employees Union, Jaipur. | 1/58 |
| 12. | Govt. Central Press Employees Union, Bijainagar. | 51/57 |
| 13. | Karkhana Lekhak Karamchari Union, Jaipur. | 16/59 |
| 14. | Bhartiya Paledar Mazdoor Sangh, Marwar Junction. | 33/58 |
| 15. | Globe Wagon Factory Mazdoor Sangh, Bharatpur. | 40/58 |
| 16. | Stone Quarries Mazdoor Sabha, Ramganjmandi. | 54/58 |
| 17. | Pathar Khan Mazdoor Sabha, Jhalawar. | 55/58 |
| 18. | Jansar Gypsum Mazdoor Sangh, P. O. Jansar, District Bikaner. | 61/58 |
| 19. | Bhakhra Bijli Mazdoor Union Daga Katla, Sriganganagar. | 67/58 |
| 20. | Nira Crushing Mazdoor Sangh, Jodhpur. | 74/58 |
| 21. | Bikaner Municipal Karamchari Sangh, Bikaner. | 80/58 |
| 22. | Raj. Elec. and Water Workers Federation, Jaipur. | 85/58 |
| 23. | Municipal Karamchari Sangh, Beawar. | 105/58 |
| 24. | Jodhpur Mazdoor Bidi Mazdoor Union Raj Bhawan, Outside Sojti Gate, Jodhpur. | 109/58 |
| 25. | Municipal Karamchari Sangh, Kapasin. | 122/58 |
| 26. | Bidi Mazdoor Union, Chhipa Baroad. | 125/58 |
| 27. | Raj. Press Karamchari Federation, Jaipur. | 131/58 |
| 28. | Bijli Mal Karamchari Union, Bikaner. | 134/58 |
| 29. | Raj. Canal Project Workers Union, Hanumangarh. | 142/58 |
| 30. | Bidi Mazdoor Union, Barmer. | 4/59 |
| 31. | Zila Alwar Mehtar Sangh, Alwar. | 25/59 |
| 32. | Ajmer Division Sarvjanik Union Braham Puri, Jaipur. | 27/59 |
| 33. | Rashtriya Bidi Mazdoor Sangh, Bundi. | 29/59 |
| 34. | Kota Darbar Karamchari Union, Shanpura, Kota | 30/59 |
| 35. | Bank Employees Union, Kota. | 31/59 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 36. | P.W.D. Karamchari Union C/o Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, Beawar. | 32/59 |
| 37. | Rajasthan Salt Class IV Employees Union, Sambhar Lake. | 34/59 |
| 38. | All Rajasthan Mines Employees Union, Bhilwara. | 36/59 |
| 39. | Truck Malik Union, Nasirabad. | 37/59 |
| 40. | Rasayansala Karamchari Union, Jaipur. | 38/59 |
| 41. | Sarvjanik Nirvan Mazdoor Sangh ( South Division ) Malaka Darwaja, Pali. | 43/59 |
| 42. | Vyassik Karamchari Sang, Bajaj Bazar, Alwar. | 44/59 |
| 43. | J. Marshal Mazdoor Union, Mal Road, Kota. | 45/59 |
| 44. | Vidyut Karyala Karamchari Sangh, Bikaner. | 46/59 |
| 45. | Kantha Mazoor Union 4/256 Shahpura Mohala, Beawar. | 47/59 |
| 46. | Lalsot P. W. D. Mazdoor Union, Lalsot. | 52/59 |
| 47. | Rashtriya Khan Mazdoor Sangh, Sir Mathura (Dholpur) | 55/59 |
| 48. | National Engineering Industries Labour Union, Jaipur. | 56/59 |
| 49. | Nagar Vikash Mandal Karamchari Sangh, Jaipur. | 57/59 |
| 50. | Rashtriya Glass Works Mazdoor Union, Dholpur. | 59/59 |
| 51. | Rashtriya Nagarpalika Karamchari Union, Dholpur. | 60/59 |
| 52. | Nagarpalika Karamchari Sangh, Bharatpur. | 61/59 |
| 53. | Rashtriya Narain Sangh Karamchari Sangh, Jalika. (Ajmer) | 62/95 |
| 54. | Rashtriya Sarmaik Sangh Mani ( Western Railway) | 64/59 |
| 55. | Chamra Kamgar Sangh Bagroan ki kholi, Ghat Gate, Jaipur. | 66/59 |
| 56. | The Mewar Sakar Mill Mazdoor Union, Bhopalsagar | 71/59 |
| 57. | Bharitya Karamchari Sangh Ajmer. | 73/59 |
| 58. | Sawaimadhopur Bidi Mazdoor Union, S. Madhopur. | 76/59 |
| 59. | Jaipur Cinema Karamchari Union, Jaipur. | 77/59 |
| 60. | Pathar Khan Mazdoor Sabha, Nimbhahera. | 79/59 |
| 61. | Motor Mazdoor Union, Banswara. | 80/59 |
| 62. | Khanij Sharmik Sangh, Bassi Paharpur. | 81/59 |
| 63. | C. W. P. Mazdoor Union, Suratgarh. | 82/59 |
| 64. | Rashtriya P. W. D. Karamchari Distt. Sangh Bhilwara, Head office, Bijainagar. | 84/59 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 65. | Bikaner Division Vyapar Karamchari Union, Khanjanchi Building, Bikaner. | 88/52 |
| 66. | Rajasthan Bus Owners Association, M. I. Road, Jaipur. | 97/59 |
| 67. | Hindustan Salt Co. Employees Union, Sambharlake | 99/59 |
| 68. | Karamcharigan Mazdoor Union, Nagarpalika | 1/60 |
| 69. | Bharatpur Khanij Khan va Pathar Mazdoor Union, Bharatpur. | 3/60 |
| 70. | Motor Mazdoor Union, Tonk. | 8/60 |
| 71. | Rajasthan Vidhyut Karyalaya Karamchari Sangh, Jaipur. | 18/60 |
| 72. | Jaipur Shahar Thela Chalak Union, Jaipur. | 19/60 |
| 73. | Press Karamchari Sangh, Bharatpur. | 27/60 |
| 74. | Jaipur Kuti Dealers Association, Jaipur. | 29/60 |
| 75. | Harijan Mazdoor Sabha, Kota. | 32/59 |
| 76. | Jaipur Biri Mazdoor Sangh, Kishanpole Bazar, Jaipur. | 33/60 |
| 77. | Nagar Jila Municipal Karamchari Sang, Nawa, Kuchmanroad. | 37/60 |
| 78 | Rashtriya charan Karamchari Sang | 47/60 |
| 79. | Cycle Association, Jodhpur. | 49/60 |
| 80. | Balmiki Karamchari Sang, Alwar. | 51/60 |

## परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०० का उत्तर देखिए )

### समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों को गृह निर्माण हेतु दी गई सहायता की जिलेवार सूची

| क्रम संख्या | वर्ष | गांव का नाम | जिला | स्वीकृत धनराशि | परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १. | १९५७–५८ | मालपुरा | टोंक | ७७०० रु० | २२ |
| २. | — | सवाईपुरा | सीकर | १७१५० रु० | ४९ |
| ३. | — | ढाणी लूनी वालों की | सीकर | २४५० रु० | ७ |
| ४. | — | चौमूं | जयपुर | २१०० रु० | ६ |
| ५. | — | रामनगर | जयपुर | ३०५०० रु० | ५० |
| ६. | — | फतेहटीबा, जयपुर | जयपुर | २७७०० रु० | ४२ |
| ७. | — | रविदासपुरा | भरतपुर | ५६०० रु० | १६ |
| ८. | — | बरदासर | चुरू | ३०५०० रु० | ५० |
| ९. | — | कुराबाद | उदयपुर | ३०५०० रु० | ५० |
| १०. | — | नन्दखेड़ा और ब्यावर | अजमेर | ११५५० रु० | ३३ |
| ११. | — | कालरा | अजमेर | ७०० रु० | २ |
| १२. | १९५८–५९ | फतेहटीबा, जयपुर | जयपुर | २२५० रु० | ३ |
| १३ | — | कुन्दनपुरा | जयपुर | १५०० रु० | २ |
| १४. | — | लखेसरा | जयपुर | २८०० रु० | ८ |
| १५. | — | चौमूं | जयपुर | १२०० रु० | ६ |
| १६. | — | पुरानी बस्ती जयपुर एवं विजयनगर | जयपुर | २६२५० रु० | ३५ |
| १७. | — | लालावाला | जयपुर | १४०० रु० | ७ |
| १८. | — | फतेहटीबा, जयपुर | जयपुर | १०८०० रु० | ३६ |
| १९. | — | सांगानेर | जयपुर | ७५०० रु० | ५० |
| २०. | — | कुन्दनपुरा | जयपुर | ३३०० रु० | २२ |
| २१. | — | सवाईमाधोपुर | सवाईमाधोपुर | ७५० रु० | १ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| २२. | १६५८–५६ | माहोली | सवाईमाधोपुर | ३३०० रु० | २२ |
| २३. | — | बरखापुरा | सवाई माधोपुर | १२५०० रु० | ५० |
| २४. | — | फतेहटीबा, जयपुर | जयपुर | १२०० रु० | ४ |
| २५. | — | पालना | पाली | १३०० रु० | १३ |
| २६. | — | पाली | पाली | ६०० रु० | २ |
| २७. | — | सेवारी | पाली | ३६०० रु० | ३६ |
| २८. | — | सेवारी | पाली | १००० रु० | १० |
| २९. | — | मालपुरा | टोंक | ५५०० रु० | २२ |
| ३०. | — | रविदासपुरा | भरतपुर | २४०० रु० | १६ |
| ३१. | — | रविदासपुरा | भरतपुर | ४५०० रु० | ६ |
| ३२. | — | सोहनपुरा | भरतपुर | १५०० रु० | २१ |
| ३३. | — | ढाणी लूनी वालों की | सीकर | १४०० रु० | ७ |
| ३४. | — | सवाईपुरा | सीकर | ६८०० रु० | ४६ |
| ३५. | — | बनवात | सीकर | ७७५० रु० | ३१ |
| ३६. | — | खाचरीयावास | सीकर | २७०० रु० | १८ |
| ३७. | — | ढाणी लूणी वालों की | सीकर | २१०० रु० | ३ |
| ३८. | — | रामदेवरा | जसलमेर | २१०० रु० | ७ |
| ३९. | — | सालूम्बर | उदयपुर | २५५० रु० | १७ |
| ४०. | — | मूलातलाई | उदयपुर | १३६५० रु० | ३६ |
| ४१. | — | लखादवास | उदयपुर | २४०० रु० | १६ |
| ४२. | — | मूलातलाई | उदयपुर | ३५० रु० | १ |
| ४३. | — | मूलातलाई | उदयपुर | ३५०० रु० | ५ |
| ४४. | — | खुराबाद | उदयपुर | १५००० रु० | ५० |
| ४५. | — | ४२ आर. पी. रायसिंग नगर | गंगानगर | ३८५० रु० | ११ |
| ४६. | — | कयार | अजमेर | १२००० रु० | १६ |
| ४७. | — | श्रीनगर | अजमेर | २५० रु० | १ |
| ४८. | — | पारनहेरा | अजमेर | ६७५० रु० | ६ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ४६. | १६५८–५६ | छावड़ा | अजमेर | ७५० रु० | १ |
| ५०. | — | बरदासर | चुरु | १४१३० रु० | ४५ |
| ५१. | — | बासरा | अलवर | ४६५० रु० | ३३ |
| ५२. | — | रामनगर | कोटा | ३००० रु० | २० |
| ५३. | — | प्रसुपुरा | बीकानेर | २३२५० रु० | ३१ |
| ५४. | १६५६–६० | केकड़ी | अजमेर | ७५०० रु० | १० |
| ५५. | — | पारनहेरा | अजमेर | १७२५० रु० | २३ |
| ५६. | — | नन्द | अजमेर | ६०० रु० | १ |
| ५७. | — | जाया | भरतपुर | ११२५० रु० | १५ |
| ५८. | — | नदलाई | भरतपुर | १६५०० रु० | २२ |
| ५६. | — | भरतपुर | भरतपुर | १०५०० रु० | १४ |
| ६०. | — | मुसावर | भरतपुर | ११२५० रु० | १५ |
| ६१. | — | वैर | भरतपुर | २६२५० रु० | ३६ |
| ६२. | — | बदायू | बीकानेर | ११२५० रु० | १५ |
| ६३. | — | बीकानेर | बीकानेर | ३७५०० रु० | ५० |
| ६४. | — | विजयनगर | गंगानगर | १३२५० रु० | १५ |
| ६५. | — | नोखा | बीकानेर | १८७५० रु० | २५ |
| ६६. | — | गोविन्दगढ़ | जयपुर | ११२५० रु० | १५ |
| ६७. | — | पीचिवाड़ा | जयपुर | ६७५० रु० | १३ |
| ६८. | — | पीचिवाड़ा | जयपुर | १५०० रु० | २ |
| ६६. | — | बज़ाजनगर | जयपुर | ४५०० रु० | ६ |
| ७०. | — | किशनगढ़ | जयपुर | १३५०० रु० | १८ |
| ७१. | — | अमृतपुरी | जयपुर | ३७५०० रु० | ५० |
| ७२. | — | बारां | कोटा | १६५०० रु० | २२ |
| ७३. | — | विदासर | चुरु | ७५०० रु० | १० |
| ७४. | — | रावलदेसर | चुरू | २२५०० रु० | ३० |
| ७५. | — | जालोर | जालोर | १३५०० रु० | १८ |

# Page No 122



| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ७६. | १६५६–६० | भीनमाल | जालोर | १६५०० रु० | २६ |
| ७७. | — | गीलोंद | उदयपुर | ३७५०० रु० | ५० |
| ७८. | — | सुचेरा | नागोर | १८००० रु० | २४ |
| ७६. | — | मांडोर | जोधपुर | ५०० रु० | १ |
| ८०. | — | सुभाषनगर | सीकर | ३७५०० रु० | ५० |
| ८१. | — | हिन्डोन | सवाईमाधोपुर | १२७५० रु० | १७ |
| ८२. | — | टोडारायसिंह | टोंक | २४७५० रु० | ३३ |
| ८३. | — | देवली | टोंक | २१००० रु० | २८ |
| ८४. | १६६०–६१ | सरदारशहर | चुरू | ११०२५० रु० | १४७ |
| ८५. | — | तारानगर | चुरू | ८००० रु० | १६ |
| [illegible] | — | सरदारशहर | चुरू | १२००० रु० | १६ |
| ८७. | — | मालपुरा | टोंक | ३१५० रु० | २१ |
| ८८. | — | देशनोक | बीकानेर | १०५०० रु० | १४ |
| ८६. | — | जयपुर | जयपुर | ७५०० रु० | १० |
| ६०. | — | फतेहटीबा, जयपुर | जयपुर | ४४५० रु० | ३४ |
| ६१. | — | भरतपुर | भरतपुर | ६००० रु० | १२ |
| ६२. | — | डीग | भरतपुर | १६५०० रु० | २२ |
| ६३. | — | अलवर | अलवर | ४१२५० रु० | ५५ |
| ६४. | — | बून्दी | बून्दी | ७३५०० रु० | ६८ |
| ६५. | — | सरवार | अजमेर | ६००० रु० | ८ |
| ६६. | १६६१–६२ | अम्बामाता | उदयपुर | २३२५० रु० | ३१ |
| ६७. | — | शमशेरगढ़ | उदयपुर | ३००० रु० | ४ |
| ६८. | — | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | ६०७५० रु० | ८१ |
| ६६. | — | पाली | पाली | १६५०० रु० | २६ |
| १००. | — | कुचामनसिटी | नागौर | २६२५० रु० | ३५ |
| १०१. | — | परवतसर | नागौर | ६७५० रु० | ६ |
| १०२. | — | डीडवाना | नागौर | १८००० रु० | २४ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| १०३. | १९६१–६२ | मेड़तासिटी | नागौर | २१००० रु० | २८ |
| १०४. | — | डूंगरगढ़ | चुरू | २२५०० रु० | ३० |
| १०५. | — | बून्दी | बून्दी | १५७५० रु० | २१ |
| १०६. | — | लाखेरी | बूंदी | ४५०० रु० | ६ |
| १०७. | — | इन्द्रगढ़ | कोटा | १२६०० रु० | १६ |
| १०८. | — | मालपुरा | टोंक | ७५०० रु० | १० |
| १०९. | — | भरतपुर | भरतपुर | ७५० रु० | १ |
| ११०. | — | अलवर | अलवर | ८२५० रु० | ११ |
| १११. | — | दौसा | जयपुर | ७५० रु० | १ |
| ११२. | — | बजाजनगर, जयपुर | जयपुर | २२५० रु० | ३ |
| ११३. | — | घाटगेट व बाड़ का टीबा, जयपुर | जयपुर | १५०० रु० | २ |
| ११४. | — | फुलेरा | जयपुर | ४५०० रु० | ६ |
| ११५. | — | चौकड़ी तोपखाना, जयपुर | जयपुर | ७५० रु० | १ |
| ११६. | — | नदी एरिया जयपुर | जयपुर | ९७५० रु० | १३ |
| ११७. | — | हसनपुरा | जयपुर | ६००० रु० | ८ |
| ११८. | — | चाकसू | जयपुर | २२५० रु० | ३ |
| ११९. | — | झालावाड़ | झालावाड़ | १७२५० रु० | २३ |
| १२०. | — | झालरापाटन | झालावाड़ा | १४२५० रु० | १९ |
| १२१. | — | सीकर | सीकर | ३३००० रु० | ४४ |
| १२२. | — | फतेहपुर | सीकर | १६५०० रु० | २२ |
| १२३. | — | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | २०२५० रु० | २७ |
| १२४. | — | फलौदी | जोधपुर | २४७५० रु० | ३३ |
| १२५. | — | अजमेर | अजमेर | ३७५०० रु० | ५० |
| १२६. | १९६२–६३ | भवानी मंडी | झालावाड़ | १८००० रु० | २४ |
| १२७. | — | केसोरायपाटन | झालावाड़ | १९५०० रु० | २६ |
| १२८. | — | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | ९७५० रु० | १३ |
| १२९. | — | नागौर | नागौर | ३०००० रु० | ४० |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| १३०. | १६६२–६३ | कुचामन सीटी | नागौर | २२५० रु० | ३ |
| १३१. | — | लाडनूं | नागौर | १३५०० रु० | १३ |
| १३२. | — | नागौर | नागौर | ८२५० रु० | ११ |
| १३३. | — | लाडनूं | नागौर | १७२५० रु० | २३ |
| १३४. | — | बून्दी | बून्दी | ८२५० रु० | ११ |
| १३५. | — | नैनवा | बून्दी | २२५० रु० | ३ |
| १३६. | — | ब्यावर | अजमेर | १४२५० रु० | १६ |

## परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६११ का उत्तर देखिये )

STATEMENT SHOWING THE CASES OF CROP COMPENSATION OF PATAN TEHSIL - CANAL DIVISION CANAL PROJECT KOTA.

PART 1960 - 61.

| Name of Village. 1 | No. of Cultivators. 2 | Area of land 3 | Amount. 4 | Remarks. 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ghata-ka-Barana. | 11 | 102 | Rs. 3061.50 nP. | All paid. |
| Dehi Khera. | 5 | 415 | Rs. 1237.00 | One payment of 150/- is due rest all paid. |
| Keshorai Patan. | 1 | 3 | Rs. 90.00 | All Paid. |
| PART 1961 - 62. | | | | |
| Ghata ka Barana. | 6 | 3344 | Rs. 996.00 | All Paid. |
| Ghadi. | 16 | 19-1- | Rs. 571.00 | One payment of 4.5 is due ( payee stated ) rest all paid. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kamolar. | 7 | 13.3 | Rs. 394.50 | All Paid. |
| Jaloda. | 2 | 3.5 | Rs. 97.50 | All Paid. |
| Bhinya. | 2 | 5.0 | Rs. 150.00 | All Paid. |
| Jhaliji ka Barana. | 2 | 21-6 | Rs. 639.60 | All Paid. |
| Isarnagar. | 5 | 3-17 | Rs. 115.00 | All Paid. |
| Keshorai Patan. | 5 | 4-18 | Rs. 147.00 | Two payments of 90 are due to difference in the name of payee; rest all paid. |
| Joshiyo ka Khera. | 5 | 13-12 | Rs. 405.60 | All Paid. |

# परिशिष्ट संख्या ५

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ का उत्तर देखिये )

| क्रम संख्या | स्थान | पाइप लाइन बिछाते वक्त तथा बाद में तोड़ने की संख्या |
|---|---|---|
| १. | चौतीने कुएं से कोट गेट | २ बार तोड़ी गई। |
| २. | नए कुएं से कन्दोई बाजार | ३ बार तोड़ी गई। |
| ३. | कोट गेट से तेलीपाड़ा सड़क | १ बार तोड़ी गई। |
| ४. | तेलीपाड़े से मोहतों के चौक | नहीं तोड़ी गई। |
| | तेलीपाड़े से बांठियों का चौक व वेदों का चौक | २ बार तोड़ी गई |
| ६. | स्टेशन से रानी बाजार होते हुए पी० बी० एम० अस्पताल | नहीं तोड़ी गई। |
| ७. | रानी बाजार से गोगागेट | नहीं तोड़ी गई। |
| ८. | कोट गेट से बागड़ियान मोहल्ले तक। | १ बार तोड़ी गई। |

| क्रम संख्या | स्थान | पाईप लाईन के बाद सड़कें ठीक करने का खर्चा |
|---|---|---|
| १. | चौतीने कुएं से कोटगेट | ५३१.६४ |
| २. | नए कुएं से कन्दोई बाजार | ८२५.६० |
| ३. | कोटगेट से तेलीवाड़ा सड़क | ८०५.४० |
| ४. | तेलीवाड़े से मोहतों के चौक | कोई खर्चा नहीं हुआ |
| ५. | तेलीवाड़े से बांठियों व वेदों का चौक | ७३३.०० |
| ६. | स्टेशन से रानी बाजार होते हुए पी बी० एम० अस्पताल। | कोई खर्चा नहीं हुआ। |
| ७. | रानी बाजार से गोगागेट | कोई खर्चा नहीं हुआ। |
| ८. | कोटगेट से बागड़ियान मोहल्ले तक। | १६२७.४० |

Copy of the letter No. 739 dt. 14-1-63 from the Executive Engineer, W. W. Bikaner to the Administrator, Municipal Council, Bikaner.

Sub:— Repairs of roads dugged out while laying pipe lines in the city.

Ref:— Your letter No. 607 dt. 5-1-63.

With reference to your letter under reference, I have to inform you that the estimate amount of strips covered by the general repairs of roads may be done by the Municipal board shall be sent to you on receipt of such information. A blind cheque in anticipation of a particular work cannot be sent in advance.

———

Copy of the letter No. 31 dt. 1-1-63 from the Executive Engineer, Water Works, Bikaner the administrator, to Municipal Board, Bikaner.

Sub:— Repairs of roads dugged out while laying pipe lines in the city.

Ref:— Your letter No. 983/G.F. dt. 15-10-62.

I have gone carefully through the estimate prepared by the Overseer. My Assistant Engineer has also personally checked all the roads and streets where pipe lines have been laid and where the road strip needs repair. The Assistant Engineer checked road strip along with the Overseer, Municipal Board. I have also checked number of these places. Accordingly a statement is attached showing the type of repairs to be done on each road strip. The approximate expenditure for repairing those roads strip according to the actual requirement is only Rs. 10,000.00.

Kindly confirm that on this account there will be no further complaint for those road strips.

As regards payment, I suggest that the work may be taken up by the Municipal Board. To facilities verification the Overseer Municipal Board, may intimate in advance to the Special Officer, V. W. S. Bikaner whenver work is taken in hand for a particular road strip. The work will also be supervised by the Special Officer with the completion of each. The Municipal Board may send a bill to the Deptt. for payment. Necessary comments regarding the rate and estimate has already been conveyed by this office letter No. 8705 dt. 20-10-62.

An early reply and confirmation of the proposal is requested.

Copy of the letter No. 739 dt. 14-1-63 from the Executive Engineer, W. W. Bikaner to the administrator, Municipal Council Bikaner.

Sub:—Repairs of roads dugged out while laying pipe lines in the city

Ref:—Your letter No. 983/GD dt. 15.10.1962.

I am in receipt of your estimate sent for repair of roads where water Works Deptt. has laid the pipe lines by excavating trenches in the roads. The matter has been scrutinised and the following observations of this office are brought to your notice.

(1) Almost all of the lengths have been taken in the estimate at 2½ on an average. But actually at the site the width of trench is only 2' in 90% cases of the lengths (not exceeding 600') the width is more than 2'. Therefore it is suggested that while actually executing the work, this point may be kept in view so the estimate may not inflat unnecessarily.

(2) In sample estimate it has been proposed to excavate the trenches to 9" depth in all the lengths. This is not necessary because in more than 75% of the length, the soil has settled and 1" or 3/4" thick carpet would be sufficient after scrapping the old surface. Of course in some of the lengths where the trenches have settled down below the road surface it may be necessary to read the entire consolidation and carpeting work. I think economy can be effected even on this work by reducing the excavation to a depth of 6" only.

(3) Since the original repairs were carried out with the view that the roads may be out to use immediately with essential repairs and knowing the ultimate repairs will be necessary after some period. Therefore there is likelihood for getting the used material while re-executing the trenches. It has been our experience that at least 30% of material would be available for reuse in form of Norram or small kankar for top consolidation of various coats. Necessary provision to this effect may be entered in the conditions of the contract of the estimate.

(4) In the sample estimate entire load for the excavated material has been taken on an average of one mile. Economy can be effected by limiting the load on an average of 1/2 mile but utilising the surplus earth in filling the depressions and pits scattered throughout the city.

(5) The detailed list of roads as attached with your estimate could not be scrutinised and for this purpose I am directing my Asstt. Engineer to verify it along with Overseer Municipal Board, Bikaner. I feel that at many places in many lengths the road surface is quite good as compared to the neighbouring site and it will look very akward if the pipe line trenches are extremely good as compared to the road condition and in which case it would be better, if the entire road surface is recrepeted.

Keeping the above points in view I feel the total value of the work would hardly exceed Rs. 12000/- of course I am confident that the M. Board will charge or bill only for the actual amount incurred or paid to the contractor. The rates and the approach adopted in the estimate is good and I have got no objection if the work is taken in hand keeping in view the above observations.

———

## परिशिष्ट ६

( कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ का उत्तर देखिये )

बाडाखेड़ा जोड़ पर सन् १९५०–५१ से १९६२–६३ तक जो घोड़िया प्राप्त हुई उसका नक्शा

| | | | |
|---|---|---|---|
| १९५०–५१ | रु० १३७०१–०० | १९५१–५२ | रु० महेकमाना कटाई हुई। |
| १९५२–५३ | रु० ५५००–०० | १९५३–५४ | रु० ८२१०–०० |
| १९५४–५५ | रु० ६३००–०० | १९५५–५६) से ) १९५८–५९) | महकमाना कटाई हुई |
| १९५९–६० | रु० १००००–०० | १९६०–६१ | रु० १००००–०० |
| १९६१–६२ | रु० २०००१–०० | १९६२–६३ | रु० १९३००–०० |

## शुद्धि-पत्र

( मंगलवार, दिनांक १० सितम्बर, १९६३ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| ३ | शीर्ष | ( निरन्जननाथ आचार्य ) | ( श्री निरंजननाथ आचार्य ) |
| ५ | ३ | ५९२० | ५९२ |
| १३ | २८ | वेलिड | वेलिड |
| १४ | अन्तिम से ७ | ( निव्हाहेड़ा ) | ( निम्बाहेड़ा ) |
| १५ | १ | श्री अब्दुलजव्वार | श्री अब्दुलजब्बार |
| १६ | १ | [ श्री रामकिश | [ श्री रामकिशन |
| १८ | १३ | श्री भैरोसिह | श्री भैरोंसिंह |
| २७ | १२ | हिन्डोन | हिन्डौन |
| ३१ | ६ | डकती | डकैती |
| ३२ | १४ | व्यव० ा | व्यवस्था |
| ३३ | ५ | श्री केसरीसिह | श्री केसरीसिंह |
| ४१ | २ | श्री सम्पतिलाल बोहरा | श्री सम्पत्तिलाल बोहरा |
| ७० | १० | श्री नि रंजननाथ आचार्य | श्री निरंजननाथ आचार्य |
| ८५ | शीर्षक | ध्वान | ध्यान |
| ८६ | ६ | लाख का | लाख की |
| ९१ | अन्तिम से ६ | ज सकता | जा सकता |
| १०४ | अन्तिम से ४ | स्ट्रोग | स्ट्रोंग |
| ११० | ७ | श्री नाथूराम मिध ा | श्री नाथूराम मिर्धा |
| १२५ | शीर्ष | ( श्री रामप्रसाद लडढा ) | ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) |
| १३१ | १ | क ो | को |
| १३५ | शीर्ष | ( श्री दुर्गालाल बाढ़दार | ( श्री दुर्गालाल बाढ़दार ) |
| १४० | १० | डिस्क फकेशन | डिस्क्वालीफिकेशन |
| ,, | २८ | कन्सटेलशन | कन्सल्टेशन |
| १४४ | १८ | मे | में |
| ,, | अन्तिम से ५ | तह तय दि | तहत यदि |
| १४६ | न्तिम से ५ | एस्टेबलिश | एस्टेब्लिश |
| १५१ | शीर्ष | (          ) | ( श्री दिग्विजयसिंह ) |

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १५६ | अन्तिम से ८ | ससूल | से वसूल |
| १६४ | १ | समानेत्री | सभानेत्री |
| ,, | १६ | एक्बीक्टिीज़, एम्बीक्टिीज़ | एम्बीव्टिीज़ |
| १६६ | शीर्ष | ( श्री तेजराम गहलोत ) | ( श्री तेजाराम गहलोत ) |
| ,, | २२ | वग़ैर हहे | वग़ैरह हैं |
| १७१ | ६ | एग्जेप्शन | (एग्ज़ेम्पशन ) |
| १७३ | शीर्ष | श्री तेजाराम गलोहत ) | ( श्री तेजाराम गहलोत ) |
| १७८ | अन्तिम | रेजोलयूशन | रिज़ोल्यूशन |
| १८१ | शीर्ष | ( श्री रामनन्द अग्वाल ) | ( श्री रामानन्द अग्रवाल ) |
| २०५ से२०७ | शीर्ष | ( श्री केसरीसिह ) | ( श्री केसरीसिंह ) |
| २०८ | अन्तिम से ५ | श्री हरीराम धारू | श्री हरीराम घारू |
| २१० | २ | बा | बाई |
| २१३ | शीर्ष | ( श्री केशरीसिंह ) | ( श्री केसरीसिंह ) |
| २१४ | १४ | आरग्यू मेंट | आर्ग्यू मेन्ट |
| २१६ | अन्तिम से ४ | श्री ज्वालप्रसाद शर्मा | श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा |
| २१७ | ६, २१ | श्री रामप्रसाद लढ्ढा | श्री रामप्रसाद लड्ढा |
| २१६ | शीर्ष | ( श्री केसरसिंह ) | ( श्री केसरीसिंह ) |
| २२६ | शीर्षक | [ २६ | [ २२६ |